पंचम माला, खंड 51, अंक 31, गुरुवार, 10 अप्रैल, 1975/ 20 चैत्र 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LI, No. 31, Thursday, April 10, 1975/Chaitra, 20 1897 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

तेरहवां सत्र

[Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं

[Vol. LI Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

20 LSS/75—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 31, गुरुवार, 10 अप्रैल, 1975/20 चैत्र, 1897 (शक)

No. 31, Thursday, April 10, 1975/Chaitra 20, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सोवियत संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to the Soviet Parliamentary Delegation	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 587, 589 से 591, 594, 596 और 597	*Starred Questions Nos. 587, 589 to 591, 594, 596 and 597	2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 588, 592, 593, 595 और 598 से 607	Starred Questions Nos. 588, 592, 593, 595 and 598 to 607 , . .	18
अतारांकित प्रश्न संख्या 5677, 5678, 5680 से 5696, 5695 से 5704, 5706 से 5719, 5721 से 5727, 5729 से 5754, 5756 से 5769, 5771 से 5802, 5804 से 5862 और 5864 से 5876	Unstarred Questions Nos. 5677, 5678, 5680 to 5693, 5695 to 5704, 5706 to 5719, 5721 to 5727, 5729 to 5754, 5756 to 5769, 5771 to 5802, 5804 to 5862 and 5864 to 5876 . .	28
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table. . .	127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	131
श्री मोरारजी देसाई द्वारा अनिश्चित काल तक अनशन करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति	Situation arising out of Shri Morarji Desai's decision to go on an indefinite fast	131
श्री अटल बिहारी वाजपयी	Shri Atal Bihari Vajyapee	131
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	132
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	132
एक सौ छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Hundred and Forty-sixth Report presented	132

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 141 के 27 फरवरी, 1975 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने संबन्धी वक्तव्य—	Statement Re. Correction of Answer to SQ No. 141 dated 27th February, 1975 Re. Durgapur Steel Plant	133
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav .	133
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377 . .	133
उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने में सरकार की असफलता	Government's failure to fill vacancies in the High Courts and Supreme Court	133
अनुदानों की मांगें, 1975-76	Demands for Grants, 1975-76 .	135
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation	135
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	135
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar .	136
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Rameshekhar Prasad Singh	137
श्री बनमाली बाबू	Shri Banamal Babu	137
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	138
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	139
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	139
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	139
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	140
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P.V.G. Raju	141
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	141
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	142
सभा की कार्यवाही के बारे में	Re. Business of the House	155

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 10 अप्रैल, 1975/20 चैत्र, 1897 (शक)

Thursday, April 10, 1975/*Chaitra* 20, 1897 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सोवियत संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत

WELCOME TO THE SOVIET PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे आरम्भ में ही एक घोषणा करनी है ।

मैं अपनी ओर से और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से सोवियत रूस की प्रीजिडियम के उप-सभापति, महामहिम श्री एस० वी० नियाजबेकोव और सोवियत संसदीय शिष्टमण्डल के उन माननीय सदस्यों का जो हमारे आदरणीय अतिथि के रूप में भारत आये हुए हैं, सहर्ष स्वागत करता हूं । शिष्टमण्डल के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. श्री एस० एफ० एंटोनोव, संसद सदस्य
2. श्री ए० एम० बागीरोव, संसद सदस्य
3. श्रीमती ई० पी० मोसकालेंको, संसद सदस्य
4. श्री जी० टी० स्टेन्को, संसद सदस्य
5. श्री वी० वी० सुरोतसेव
6. श्रीमती वी० वी० शुमारिना
7. श्री ए० के० कपकेव
8. श्री वी० वी० नाज़ारोव

(5–8) अधिकारी

शिष्टमण्डल आज सुबह आया और 17 अप्रैल तक भारत में रहेगा । वे हमारे देश में सुखपूर्वक रहें, ऐसी हमारी कामना है । उनके माध्यम से हम सोवियत रूस की संसद, सरकार और जनता को अपनी शुभकामनायें भेजते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कानपुर और बंगलौर स्थित विमान बनाने वाले कारखानों में प्रशिक्षण के लिये दाखिला

587. **श्री शंकर राव सावंत**+

श्री वसंत साठे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पांडे ने 27 फरवरी, 1975 को महाराष्ट्र विधान परिषद् में कहा है कि महाराष्ट्र निवासियों को गोपनीयता के आधार पर कानपुर और बंगलौर में विमान बनाने वाले रक्षा कारखानों में प्रशिक्षण के लिये दाखला नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस प्रकार के द्वेषजनक भेदभाव को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में नियोजन के लिए महाराष्ट्र से अथवा किसी अन्य राज्य से छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सरकार अथवा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा कोई अनुदेश जारी नहीं किए गये हैं ।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि यह पाया गया है कि राज्य मंत्री का उत्तर, उन्हें दी गई गलत सूचना पर आधारित था और इस सम्बन्ध में उत्पन्न गलत विचार को साफ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रश्न ग़लत है । ऐसा कानपुर में कभी नहीं हुआ ।

श्री शंकर राव सावंत : महाराष्ट्र में इस समय यह धारणा है कि यह द्वेषजनक भेदभाव वहां पर वास्तव में विद्यमान है । किन्तु महाराष्ट्र के मंत्री द्वारा यह रहस्योद्घाटन अनधिकृत और असुविधाजनक है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कानपुर और बंगलौर में एच० ए० एल० के कारखानों में कितने छात्रों को प्रवेश मिला और उनमें से कितने महाराष्ट्र से हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया है कि उनके मंत्री का उत्तर उन्हें दी गई ग़लत सूचना पर आधारित था और वे इसे शीघ्र ही ठीक करने जा रहे हैं । जिस जानकारी को उन्होंने स्वयं ग़लत माना है उस पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये।

श्री शंकरराव सावंत : हमें आंकड़े दीजिये ।

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसके लिये आग्रह न करें क्योंकि फिर हमें महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे । हमारे सामने समस्त देश के आंकड़े हैं । इसलिये हमें इसके लिये आग्रह नहीं करना चाहिये ।

श्री शंकर राव सावंत : जिन लोगों ने ग़लत जानकारी दी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और वे राज्य सेवा के हैं या केन्द्रीय सेवा के ?

श्री स्वर्ण सिंह : सबसे अच्छी कार्यवाही यह है कि इसे भूल जाईये ।

श्री वसंत साठे : मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह ग़लतफ़हमी दूर कर दी जो महाराष्ट्र विधान परिषद् में ग़लत जानकारी देने के कारण पैदा हो गई थी । मेरे विचार में देश के किसी भाग में भी इस कारण कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगले प्रश्न को लूंगा । मंत्री के वक्तव्य के बाद आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा ।

श्री जी० विश्वनाथन : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं केवल एक प्रश्न पूंछूगा ।

अध्यक्ष **महोदय** : केवल एक प्रश्न की इजाजत है ।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के एक वक्तव्य से दो वाक्य उद्धरत करता हूं :

> "महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री एस० बी० चव्हाण ने आज कहा कि अपने प्रदेश में अपने ही लोगों को प्राथमिकता देने की मांग के प्रति राज्य की नीति यह थी कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में सभी नये प्रतिष्ठानों में, कम से कम 80 प्रतिशत गैर प्रबन्धकों के पद और 50 प्रतिशत प्रबंधकों के पद स्थानीय लोगों को दिये जाने चाहिये । वर्तमान प्रतिष्ठानों में, नई भर्ती में स्थानीय लोगों को कम से कम 90 प्रतिशत गैर-प्रबन्धकों के पद और 60 प्रतिशत प्रबन्धकों के पद दिये जाने चाहियें ताकि स्थानीय लोगों को एक उचित समय में उनका हक मिल सके । क्या सरकार प्रादेशिक लोगों को प्राथमिकता देने की इस नीति का अनुमोदन करती है जिसके कारण देश का विघटन हो रहा है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि मुख्य मंत्री ने ऐसी कोई बात कही है तो वह केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के लिये नीति निर्धारित नहीं कर सकते ।

श्री जी० विश्वनाथन : उन्होंने सरकारी क्षेत्र को भी शामिल किया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र को हमारे सरकारी क्षेत्र को नहीं ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या वे ऐसा कर सकते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उनके वक्तव्य को ध्यान से पढ़ा नहीं है । उनके मस्तिष्क में क्या बात है, मैं नहीं बता सकता ।

मनसई नदी पर पुल का निर्माण

*589. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में मनसई नदी पर एक पुल (जिसका नाम 'पंचानन सेतु' रखा जाना है) के निर्माण के लिये कोई धन राशि मंजूर की है , और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता है और अब कितनी राशि मंजूर की गई है तथा प्रस्तावित निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से एक परियोजना के लिये धनराशि मंजूर करने का अनुरोध किया था ? क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह परियोजना पांचवीं योजना में शामिल कर ली है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जैसा मैंने बताया, इस पुल के लिये कोई राशि मंजूर नहीं की गई है । यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र के पास भेजी गई योजनाओं में कूच-बिहार जिले के मायाभंगा में मनसई पुल की योजना भी शामिल की थी ।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या इस योजना समेत सभी योजनाओं के लिये धनराशि मंजूर की गई थी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : राज्यों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर अभी विचार हो रहा है ।

सिल्चर और जीरीघाट सड़क का निर्माण

*590. **श्री नुरुल हुडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कछार जिले में फियूलरटोल से होकर सिल्चर और जीरीघाट के बीच सड़कों के निर्माण कार्य को अनेक वर्ष पहले सीमा सड़क कर्मी दल ने अपने हाथ में ले लिया था और आवश्यक धन की मंजूरी दे दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त सड़क खराब हालत में है और निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं और उसकी समय सूची क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) सीमा सड़क संगठन द्वारा 15-2-1973 को सिल्चर-जीरीघाट (जीरीवाम) सड़क असम सार्वजनिक विभाग से सुधार के लिए ली गई थी । सुधार कार्यों के लिए अभी तक कोई खर्च मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) 1972 में बाढ़ के कारण सड़क को काफी क्षति हुई है । 1974 में दोबारा प्रचंड बाढ़ और भूस्खलन हुआ और सड़क 1-6-1974 से 22-7-1974 तक अवरुद्ध रही । भूस्खलन साफ कर दिए जाने और 100 फुट तथा 80 फुट स्थान के 2 बेलि पुल चालू कर दिए जाने के बाद सड़क को 23-7-1974 को चलने योग्य बना दिया गया । भूस्खलन वाले क्षेत्रों का भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग के परामर्श से विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) जिन सुधार कार्यों की 1974-75 के लिए योजना बनाई गई थी उन्हें 1974 की बाढ़ के परिणामस्वरूप जो क्षति हुई थी उसे शीघ्र पूरा कर दिए जाने की आवश्यकता के कारण हाथ में नहीं लिया जा सका । 1975-76 और उससे आगे अब जिन सुधार कार्यों की योजना बनाई गई है उन्हें मार्च, 1978 तक पूरा कर दिए जाने की प्रत्याशा है ।

श्री नूरूल हुडा : फियूलरटोल से होकर सिल्चर और जीरीघाट के बीच की सड़क लगभग 50 किलोमीटर लम्बी है । इस सड़क के बड़े भाग के साथ बराक नदी बहती है । प्रति वर्ष बराक नदी की बाढ़ से यह सड़क पानी में डूब जाती है और इसे काफी क्षति पहुंचती है । चूंकि आसाम को मणिपुर से मिलाने वाली यही एक सड़क है और सामरिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इस लिये क्या सरकार इसकी मरम्मत आदि कराने की ओर समुचित ध्यान देगी ?

श्री जे० बी० पटनायक : यह सड़क 40 किलोमीटर लम्बी है, 50 किलोमीटर नहीं । इस सड़क की मरम्मत क्यों नहीं की जा सकी, यह मैं बता चुका हूं । अब हमने इसकी पूरी मरम्मत कराने की योजना बनाई है और सड़क 1978 तक पूरी हो जायेगी ।

श्री नुरुल हुडा : इस सड़क के सुधार और निर्माण पर कितना धन खर्च होगा ? बदरपुर से त्रिपुरा राज्य में जाने वाली एक और सड़क है जिसे सीमा सड़क कर्मी दल ने अपने हाथ ले लिया है । यह सड़क भी बिल्कुल खराब हालत में है । इस सड़क में कार ट्रक और अन्य गाड़ियां भी नहीं गुर्जर सकती । इन दोनों सड़कों के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ? त्रिपुरा को शेष आसाम से मिलाने वाली दूसरी सड़क कब पूरी होगी ?

श्री जे० बी० पटनायक : सिल्चर और जीरीघाट सड़क के बारे में 1975-76 के लिये 37 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । दूसरी सड़क के बारे में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है । यह जानकारी माननीय सदस्य के पास भेज दी जायेगी ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : यह प्रश्न नौवहन तथा परिवहन मंत्री को सम्बोधित था । किन्तु इसका उत्तर रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया है । इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें संशोधन कर दिया गया था । मुझे खेद है कि आपको सूचित नहीं किया गया । मंत्री की ओर से मैंने उत्तर दे दिया है ।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये धनराशि की कमी

*591. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी और कीटनाशक दवाइयों के उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को मात्र नियंत्रण कार्यक्रम में परिवर्तित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार मलेरिया उन्मूलन के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) इस योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है और योजना आयोग ने इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आबंटित की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए इस समय पांचवीं पंच वर्षीय योजना के हेतु अस्थायी रूप से 84.92 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं ।

विवरण

विशेषज्ञों की दो समितियों ने मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की 1974 में समीक्षा की है । पहली समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की कि चूंकि देश से मलेरिया को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को निकट भविष्य में प्राप्त करना सम्भव नहीं है, इसलिए 'मलेरिया नियंत्रण' के कारगर उपाय को ही तात्कालिक उद्देश्य बनाया जाए । दूसरी समिति ने उपर्युक्त सिफारिश को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया और स्थिति के यथार्थ मूल्यांकन के आधार पर अर्थात् मलेरिया की घटनाओं, मलेरिया को पिछली स्थिति आदि के आधार के अनुसार देश के विभिन्न भागों का वर्गीकरण करके एक नई महत्वपूर्ण नीति अपनाने तथा प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने का सुझाव दिया ।

इन सिफारिशों पर मलेरिया-रोधी कार्यों के लिए एक संशोधित नीति पर विचार किया जा रहा है ।

श्री पी० गंगादेव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मलेरिया पूर्णतया नियंत्रण में था और यह पुनः देश में फैल गया है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार लोगों को पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी औषधियां उपलब्ध कराने हेतु मच्छरों और उनसे फैलने वाले रोगों की रोकथाम करने के लिए क्या विशेष कदम उठा रही है?

डा० कर्ण सिंह : यह सही है कि मलेरिया फिर से फैल रहा है । इसके कई कारण हैं । उनमें से एक कीटनाशी औषधियों की कमी है । तेल संकट के बाद कीटनाशी औषधियों का मूल्य काफी बढ़ गया है । इस सम्बन्ध में कई एक समस्याएं हैं । हमने उनपर गम्भीरता से विचार किया है। हमारा विचार है कि जब तक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अब तक दिये गये धन से अधिक धन नहीं दिया जाता तब तक इसका पुनः फैलना रोका नहीं जा सकता । हम समूचे मामले पर फिर से विचार कर रहे हैं ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की बैठक अगले सप्ताह दिल्ली में हो रही है और मैं राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क कर रहा हूं क्योंकि वे ही इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी हैं । हमने बहुत से दीर्घकालीन उपाय किये हैं । हम शहरी मलेरिया उन्मूलन योजना पर विचार कर रहे हैं। औषध अध्ययन किये जा रहे हैं । कीटनाशी औषधियों का आयात किया जा रहा है । डी० डी० टी० के उत्पादन हेतु एक अतिरिक्त संयंत्र लगाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । ये दीर्घकालीन उपाय हैं । इस समय हमारे सामने एक गम्भीर समस्या है ।

श्री पी० गंगादेव : इंग्लैंड और अमरीका ने डी० डी० टी० का उत्पादन बहुत कम कर दिया है । इससे स्वास्थ्य के लिए भारी खतरा पैदा हो गया था और पानी दूषित हो गया था । बंगलौर में पीने का पानी डी० डी० टी० से दूषित हो गया था । अतः मैं जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य को इस प्रकार के खतरे को रोकने और मलेरिया उन्मूलन के लिए एक नया फार्मूला निकालने के लिए सरकार कौन से तुरन्त कदम उठाने का विचार रखती है ।

डा० कर्ण सिंह : बहुत से पश्चिमी देशों में डी० डी० टी० का प्रयोग बन्द किया जा रहा है क्योंकि अन्त में यह भूमि में और जल सप्लाई में जाकर मिलती है और इससे प्रदूषण होता है। दूसरी ओर यदि हम डी० डी० टी० का प्रयोग नहीं करते तो हमारे पास मच्छरों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तुरन्त कोई रास्ता नहीं है । बी एच सी और मालाथियन औषधियां बहुत मंहगी हैं और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं हैं ।

डी० डी० टी० का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी किया जाता है । एक ओर हमने डी० डी० टी० का प्रयोग और काफी हद तक उसका उत्पादन भी बन्द कर दिया है । परन्तु हम इसे पुनः चालू कर रहे हैं ।

Shri Bhagirath Bhanwar : Malaria is taking epidemic form in the country particularly in rural areas. Whether it is a fact that besides shortage of drugs the recruitment of staff is made temporary ? Temporary staff do not work properly. Whether Malaria Eradication programmes are not being implemented properly for this very reason ? The staff posted in various parts of the country remain temporary for years together. Whether any scheme has been formulated to make the staff permanent and impart training to them so that the job could be completed effectively ?

Dr. Karan Singh : There has not been any obstruction in our programmes due to staff being temporary. There was some slackness when we entrusted this work to states. The work should be done expeditiously. The matter regarding making the staff permanent can be looked into. This programme was a time bound programme. Hence in the beginning staff was not recruitment on permanent basis.

Shri Ram Sahai Pandey : Such work should not be entrusted to states as will entail delay. The international agencies are of the view that DDT is not effective on mosquitoes. Whether any effective drug has been invented to kill the mosquitoes.

DR. Karan Singh : Our country has a population of 60 crore. It is not possible to complete such a big scheme by sitting in the Central Ministry. It entails cooperation of not only states but local bodies also. Mosquito menace is increasing day by day. Only the Health Ministry is not concerned. Sewage, Drainage and Slum departments are also concerned. We are having close connection with W.H.O. and we do consult with it.

श्री दिनेश जोरदर : मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के विचित्र जीवन-यापन और सामाजिक ढंग के कारण तथा वर्तमान प्रशासनिक, राष्ट्रीय और आर्थिक ढांचे के कारण देश में मच्छरों की बढ़ती हुई संख्या को रोकना सम्भव नहीं है । हमारे बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में गन्दगी हटाने और जल-निकास की भारी कमी है । देश की अर्थव्यवस्था ठीक न होने के कारण देश से मलेरिया और मच्छर हटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी औषधियों का प्रयोग करना भी सम्भव नहीं है । क्या स्वास्थ्य मंत्रालय हैजा, चेचक, टाइफायड और अन्य रोगों को रोकने वाली औषधियों की तरह कोई मलेरिया निरोधक दवाई का अन्वेषण करने का विचार कर रहा है । अतः देश में मच्छर आदि मलेरिया उन्मूलन की बात सोचने के बजाय, जो असम्भव है, और गत कई वर्षों में इतना अधिक धन खर्च करने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि मच्छर फिर से यहां तक दिल्ली में भी पैदा हो रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या निरोधक औषधियां बनाना सम्भव है या नहीं और क्या स्वास्थ्य मंत्रालय मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहा है।

डा० कर्ण सिंह : यह एक बहुत रुचिकर बात है। चेचक के मामले में बी सी जी का टीका काफी सफल हुआ है । मलेरिया के लिए टीके की खोज नहीं हुई है और हमारे वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें इस सम्बन्ध में वैकल्पिक ढंग अपनाना होगा और वह रास्ता टीका है। मुझे आशा है कि हम कभी न कभी इस सम्बन्ध में कोई रास्ता तलाश कर लेंगे ।

Shri R. P. Yadav : The hon. Minister has stated that the programme for eradication of Malaria entrusted to States has slackned. Absence of underground drainage is one of the reasons for increase in the number of mosquitoes. Mosquito menace has also increased to a great extent in mosquito free areas of Delhi and North and South Avenues of New Delhi. Whether Govt. propose to take action to put an end to this menance.

Dr. Karan Singh : We will try to eradicate mosquitoes in these areas.

श्री वसंत साठे : मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी औषधि का आविष्कार किया है जिसे नर मच्छर में प्रविष्ट कराने से बाद में अन्य नर मच्छरों को नष्ट किया जा सकता है । क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है और क्या इस बारे में कोई प्रयास किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर सभा में पहले चर्चा की जा चुकी है ।

डा० कर्ण सिंह : जी हां, यह एक वकल्पिक तरीका हो सकता है । परन्तु अभी ऐसी स्टेज नहीं आई कि इसे मलेरिया समस्या पर लागू किया जा सके ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं माननीय मंत्री का हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"1965-66 के दौरान, जब मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को 80 प्रतिशत सफलता मिल चुकी थी, मलेरिया के एक लाख मामले रिकार्ड किये गये जब कि गत वर्ष 20 लाख मामलों का समाचार मिला है । एक दशक में केवल दिल्ली में मलेरिया के सब से अधिक मामले दर्ज हुए । कुल मिलाकर गत वर्ष में दिल्ली में 17,000 मामलों का समाचार मिला।"

मैं लोक लेखा समिति के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन की ओर भी उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं लोक लेखा समिति के 75वें प्रतिवेदन से निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत करना हूं :

"समिति राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को पहुंचे लगातार धक्के पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है । योजना, जो शुरू में 1958-59 में चालू हुई थी और जो 1974-75 में पूरी होनी थी, के पूरा होने की कोई आशा नहीं है । योजना पर समिति द्वारा 1969-70 में पुनः विचार किया गया और उन्हें जनवरी 1971 में सूचित किया गया कि कार्यक्रम 1975-76 तक पूरा होगा समिति ने आशा वयक्त की अब और विलम्ब नहीं होगा । लगभग एक वर्ष के बाद समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कार्यक्रम पूरा होने की तिथि और पीछे हो गई है । मलेरिया उन्मूलन के सम्बन्ध में तब से अब तक उन्होंने तथा उनके विभाग ने क्या प्रयास किये हैं ।

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़े अनुमान से कम हैं । 1974 में ये आंकड़े 25 लाख थे । मैं पहले ही बता चुका हूं कि मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं । मैं उसके कारण भी बता चुका हूं । यदि वह चाहते हैं तो मैं पुनः बता सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चेचक के मामले ।

डा० कर्ण सिंह : चेचक के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और समाचार पत्रों में इसका खंडन किया जा चुका है और मुझे आशा है कि शताब्दी के अन्त तक एक भी मामला नहीं होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चण्डीगढ़ में......

डा० कर्ण सिंह : यह चेचक के बारे में नहीं। ये खसरे के बारे में है। मैंने एक टीम वहां भेजी थी। ये खसरे के बारे में और चेचक के बारे में नहीं और समाचार पत्रों में खण्डन किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों में पहले से इस बात का खण्डन किया जा चुका है।

डा० कर्ण सिंह : दो विशिष्ट समितियों ने समस्या पर विचार किया है। हमारे पास मलेरिया की रोकथाम के लिए अधिक संसाधन होने चाहिये। अतः इस मामले पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया गया है। इसकी रोकथाम के लिए हमें 45 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। नियत की गई धन-राशि 23 करोड़ रुपये है। हम उपलब्ध संसाधनों से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता मिली है क्योंकि यह इस देश में कई एक योजनाएं और परियोजनाएं चला रहा है। क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रोजेक्ट वास्तव में मलेरिया के मच्छरों के जिनेटिक कन्ट्रोल पर विचार कर रहा है ? क्या इस प्रोजेक्ट के परिणामों से इस देश को कुछ लाभ होगा और क्या यह सच है जैसाकि समाचारपत्रों में छपा है कि इसका चिन्ह पोषण अमरीकी सशस्त्र दल और सेना द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जा रहा है जैसाकि विश्व के अन्य भागों में किया जा रहा है।

डा० कर्ण सिंह : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग 70 लाख डालर की सहायता दी है। वे हमारी सहायता कीटनाशी औषधियां तथा सामान के रूप में कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में काफी वैज्ञानिक कार्य भी हुआ है। परन्तु अभी ऐसी स्टेज नहीं आई है कि इसका सीधा प्रभाव मलेरिया पर पड़ सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अमरीकी सेना के लिए नियत एक प्राइवेट अनुसन्धान प्रोजेक्ट है ताकि हम इसका लाभ न उठा सकें।

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में यह एक द्विपक्षीय प्रोजेक्ट है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, पी० एल० 480 और भारत सरकार है और रिपोर्ट मिलने पर यह निश्चय ही लाभप्रद होगा। प्रोजेक्ट का समूचा प्रश्न उच्चत्तम स्तर पर विचाराधीन है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में भारतीय जन सम्पर्क संस्थान का प्रतिवेदन

*594. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जन सम्पर्क संस्थान ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में कोई रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संस्थान द्वारा किए गये अध्ययनों की प्रमुख विशेषताओं का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) बहुत सी सिफारिशें इस कार्यक्रम में विचार नेताओं को अधिकाधिक शामिल करने के सम्बन्ध में हैं। इस मंत्रालय ने कार्यक्रम को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से पंचायत प्रधानों, स्कूल अध्यापकों, श्रमिक संघों के नेताओं आदि को सक्रिय रूप से इसमें शामिल करने के लिए पहले से ही कदम उठा लिए हैं। कार्यक्रम सम्बन्धी नीतियों को तैयार करते समय बाकी सिफारिशें ध्यान में रखी गई हैं।

विवरण

भारतीय जन-सम्पर्क संस्थान की रिपोर्ट में निम्नलिखित अध्ययन सम्मिलित हैं :--

(1) प्रशासन एवं संगठनात्मक संचार व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन।

(2) परिवार नियोजन में विचारशील नेताओं की विशेषताओं और संचार व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन।

(3) परिवार नियोजन के सन्देश प्रसारण में संचार और परितृप्ति सम्बन्धी अध्ययन।

(4) परिवार नियोजन में ग्रामीण नेताओं के लिए प्रेरणादायक प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रत्येक अध्ययन की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :--

1. प्रशासन एवं संगठनात्मक संचार व्यवहार

(1) परिवार नियोजन पर्यवेक्षी स्टाफ उपयुक्त प्रशासनिक अधिकार से वंचित है और इस प्रकार जिन कार्यकर्त्ताओं से यह कार्यक्रम चलाने की आशा की जाती है उनके ऊपर परिवार नियोजन कार्यक्रम के संगठन को प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिएं।

(2) सीमावर्ती फील्ड स्टाफ का पर्यवेक्षी कार्य करने तथा ग्रामीण महिलाओं, जो जनसंख्या का अतिसंवेदनशील वर्ग है, को प्रभावित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी के अलावा महिला चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। सीमावर्ती फील्ड स्टाफ की शक्ति को बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

(3) लक्ष्य प्रधान दृष्टिकोण पर पुनः विचार करने तथा संशोधन करने की आवश्यकता है।

(4) परिवार नियोजन के तरीके को स्वीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक संतुष्ट उपयोगकर्ता बन जाए यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती दौरे बढ़ाये जाने चाहियें।

(5) निष्कर्षों से यह पता चला कि परिवार नियोजन सीमावर्ती स्टाफ के लिए प्रशिक्षण साधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ज्ञान और निपुणता का वर्तमान स्तर अपर्याप्त पाया गया। खासतौर से विस्तार शिक्षा और प्रोत्साहन संचार में प्रशिक्षण को तेज किया जाना चाहिए। सेवा-कालीन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के अलावा उन्हें पत्रिका, समाचार-पत्र, चार्ट और इसी प्रकार के अन्य साहित्य जैसी छपी सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें परिवार नियोजन के क्षेत्र में होने वाली नवीनतम प्रगति की जानकारी बनी रहे।

(6) अध्ययन से यह भी पता चला कि शिक्षा और प्रोत्साहन संबंधी सहायता के उपलब्ध न होने के कारण कार्यकर्ता अपने शिक्षा संबंधी प्रयत्नों में बाधा अनुभव करते हैं। अतः उन्हें फिल्म, प्रदर्शनी, कठपुतली प्रदर्शन जैसी विभिन्न प्रकार की सहायता और 'कथा', 'कीर्तन', और 'कव्वाली' आदि जैसे अन्य परम्परागत माध्यमों की पर्याप्त रूप से सहायता मिलनी चाहिये।

(7) 'मनपसंद-दृष्टिकोण' का पूर्णतः पालन नहीं पाया गया है । जिसके फलस्वरूप प्रयोगकर्ताओं द्वारा परिवार नियोजन के तरीकों का अपनाया जाना विशेषतः इन चार तरीकों तक ही सीमित पाया गया है ।

(8) इस कार्यक्रम में विचारशील नेताओं का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किया गया है । विषय परिचायक प्रशिक्षण कम्पों का आयोजन कर उन्हें सक्रिय किया जा सकता है

2. परिवार नियोजन में विचार शील नेताओं की विशेषताओं और संचार व्यवहार नामक अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं

(1) आंकड़ों से पता चला कि नेताओं और अनुयायियों के बीच होयाफ़िली (समान धर्म, जाति, व्यवसाय, आय आदि के लोगों में प्रयोग किया जाने वाला प्रभाव) और हेटरोफ़िल्ली (समान धर्म, जाति, व्यववाय, आय आदि के लोगों तक सीमित न रहने वाला प्रभाव) का व्यापक प्रभाव मौजूद है ।

(2) सामाजिक-जनांकिकीय विशेषताओं में नेता अपने अनुयायियों की अपेक्षा ऊंचा दर्जा रखते हैं ।

(3) नेताओं को केवल परिवार नियोजन या कृषि के खास कार्य में ही नहीं लगाया गया था वल्कि उन्हें लगभग ग्रामीण जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र के व्यवहारिक कार्य का नियंत्रण सौंपा गया था ।

(4) अध्ययन से पता चला कि नेताओं को पर्याप्त मात्रा में परिवार नियोजन संबंधी जानकारी है और इस ओर उनका अनुकूल रूप से झुकाव है । प्रेरकों और गैर-नेताओं की अपेक्षा उनका परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ सम्पर्क है । किन्तु इस समय वे सामान्यतः बिना किसी विशेष शिक्षा और प्रोत्साहन कार्य के कार्यक्रम की सहायता कर रहे हैं ।

(5) कुल मिला कर नेता लोग उन प्रेरकों के विरुद्ध थे जिन्हें भुगतान पर मामले लाने के लिए क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा चुना गया था । यह भी देखा गया कि सामान्यतया समुदाय के लोगों द्वारा अधिकांशतः प्रेरकों के प्रति अरुचि थी । यह भी पाया गया कि प्रेरकों का परिवार नियोजन संबंधी ज्ञान का स्तर कम था और इस ओर उनका झुकाव भी कम था ।

(6) विचारशील नेताओं का परिवार नियोजन संबंधी ज्ञान प्रेरणादायक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा और भी बढ़ाया जा सकता है ।

(7) इस क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व लुप्त पाया गया । इस प्रयोजन के लिए कुछ इच्छुक महिलाओं और उन महिलाओं को भी लगाये जाने की भी आवश्यकता है जिनका समाज में काफी सम्मान है ।

3. परिवार नियोजन के संदेश को स्वीकृति में संचार एवं परितृप्ति संबन्धी अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं

(1) अध्ययन से पता चला कि प्रत्यर्थियों को संदेश से ऊब नहीं थी अपितु वे उन्हें पंसंद करते थे और उनके बारे में और अधिक जानकारी चाहते थे । इससे पता चला कि परिवार

नियोजन कार्यकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली विस्तार शिक्षा का लोगों द्वारा स्वागत किया गया था किन्तु पिछड़े इलाकों में नेताओं और मित्रों जैसे अनौपचारिक पारस्परिक स्रोत अधिक विश्वास योग्य नहीं थे।

(2) अध्ययन से ज्ञात हुआ कि संदेश प्रसारण का सामान्य स्तर नीचा था। अतः यह स्थिर नहीं किया जा सका कि क्या परिवार नियोजन सम्बन्धी संदेश की स्वीकृति के लिये प्रसारण का एक उच्च स्तर लोगों में परितृप्ति उत्पन्न कर सकेगा या नहीं।

(3) अध्ययन से यह भी पता चला कि हालांकि परिवार नियोजन के बारे में लोगों में सामान्य जानकारी थी, फिर भी प्रत्यार्थियों के बहुमत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की समस्या के सम्बन्ध में कोई भी महत्वपूर्ण विचार नहीं था। तथापि, अनेक लोगों ने नसबन्दी आपरेशन करा कर परिवार नियोजन को अपनाया।

(4) अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि नगरीयकरण, उत्तरोत्तर प्रगति और शिक्षा के स्तर से परिवार नियोजन तरीकों के बारे में जानकारी का प्रभाव पड़ता है यद्यपि यह जानकारी अनिवार्यतः स्वीकृति के स्तर के अनुपात में नहीं थी। परिवार नियोजन के तरीकों की स्वीकृति अपेक्षाकृत कम पाई गई।

(5) संदेश के उत्तम प्रसारण के सम्बन्ध में अध्ययन के अनेक सुझाव दिये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सम्मिलित हैं स्थानीय हालातों से सम्बद्ध सन्देश का प्रसारण करना, शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा को आरम्भ करना, संतति निग्रह के विभिन्न उपायों के बारे में उत्तम सूचना का प्रसारण करना, अधिक विस्तार शिक्षा सम्बन्धी कार्य, संचार की विभिन्न प्रणालियों का विवेकपूर्ण संयोजन, स्थानीय नेताओं को शामिल करना आदि।

4. परिवार नियोजन में ग्रामीण नेताओं के लिए प्रेरणा संबन्धी प्रशिक्षण

(1) उपयुक्त रूप से निर्दिष्ट किये गये तीन दिवसीय अवधि के अल्प कालीन विषय परिचायक प्रशिक्षण कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के 2 खंडों के 26 ग्रामीण विचारशील नेताओं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, के ज्ञान और जानकारी में और अधिक वृद्धि की गई।

(2) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के विशिष्ट कार्यों के करने में भी काफी प्रोत्साहन उत्पन्न हुआ। इससे उनमें परिवार नियोजन तरीकों, प्रोत्साहन और शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न तकनीकों, सेवाओं की व्यवस्था आदि से संबंधित पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध हुई।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम के निष्कर्ष सम्बन्धी एक अन्तरिम मूल्यांकन तथा तीन मास के प्रशिक्षण के पश्चात् अन्तिम मूल्यांकन से यह पता चला कि ज्ञान की प्राप्ति और मनोवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को इस अवधि के दौरान प्रतिधारित किया जा सकता है।

(4) अन्तिम मूल्यांकन से यह भी पता चला कि साढ़े तीन मास के समय में प्रशिक्षित नेताओं ने समाज के 175 व्यक्तियों को प्रेरित किया। प्रशिक्षण प्राप्त नेताओं द्वारा लाये गये मामले समाज के सभी वर्गों से संबंधित थे लेकिन वे ऐसी आयु और समान दर्जे के थे जिसे परिवार नियोजन के लक्ष्य में उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(5) प्रशिक्षित नेताओं द्वारा किया गया शिक्षा और प्रोत्साहन कार्य का स्वरूप उन व्यक्तियों के कार्य से उत्तम था जो नमूना प्रेरकों से संबंधित थे।

(6) प्रशिक्षित नेताओं द्वारा आरम्भ किया गया प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्य का बहुत कारगर प्रभाव पड़ा। अपनी पारी में प्रेरणाप्राप्त नेताओं ने 17 प्रतिशत अधिक लोगों को प्रेरित किया। अध्ययन ने क्षेत्र पर आधारित प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रशिक्षण के समान कार्यक्रम से उत्तम परिणाम नहीं निकल सकते। क्षेत्र में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण साधनों और प्रशिक्षण सम्बन्धी विषय के विकास का पता लगाने के लिये एक मार्गदर्शी अध्ययन चलाने की आवश्यकता है।

Shri M. S. Purty : The reports and the suggestions made by Institute of Mass Communication are of vital significance for the success of family planning programme. I would like to know from hon. Minister whether those suggestions have so far been implemented and if not, the reasons thereof ?

Dr. Karan Singh : In the abcence of Mass Communication, Family Planning Programme cannot be a success. It is our policy to cover wider possible range in our mass communication. We said so many things in year 1974, which was world Population Year. One of these things was that Prime Minister herself should write to each Sarpanch and Pradhan in the country asking to do family planning work through Panchayats. We convened a meeting of Cooperative societies and associated Co-operative Movement with Family Planning. We contacted labour leaders, and trade Unionists and asked them to take more interest in family planning work. Similar approach has also been made to public sector as well as organised sector, the management as well as labour. Special efforts have been made to educate the villagers in this regard. It is our policy to bring in the people in mass Communication. The Family Planning Programme should not only be a Government programme but it should be a public Programme.

Shri Sharad Yadav : I want to seek some interesting information from hon. Minister. I spent two three years in jail. I want to know that so as to give fake figures under this family planning programme, how many people have he starilised in jails ? The people who have been given life imprisonment or are undergoing longtime imprisonment, they have been sterilised in jails. It was forced sterilisation. I want to know how many people have been sterilised in jails ?

Dr. Karan Singh : No such case has been brought to my notice. If my friend is having any information about, it, he may come out with the same.

Shri Sharad Yadav : I remained in jails and many people have been sterilised there

Dr. Karan Singh : Sterilisation is not bad if people volantarily go in for it.

Mr Speaker : But the debatable point is waht is the need of sterilisation in jails ?

Shri Narsingh Narain Pandey : I want to know from hon. Minister that despite all is propaganda or mass Communication whether any age limit has been fixed for sterilisation and whether any figures have been collected in this regard. May I know if it has been made clear that only the people with fertility will be sterilised or the persons with large families will be sterilised or even the old mass who are above 50 years of age, they too will be sterilised ?

Dr. Karan Singh : I do not want to indulge into any biological discussion that fertility is possible after 50 years of age or not. But our efforts are to concentrate more on the reproductive age group for sterlisation. It is made clear in our camps that sterilisation will not be of any use for the people of old age group.

20 LSS/75—2.

Shri M. Ram Gopal Reddy : It has been stated by hon. Minister that mass Communication work has been done for family planning and several programmes chalked out. But despite all this our population is growing at the rate of 2.5 percent per year. Whereas the growing rate in other countries is less than 1 percent per year. May I know if Government will come out with some legislation so as to curb population growth, sterilisation should be made compulsory. As long as it is not done the population will continue to grow at the rate 2.5 and 3 percent and all our family planning programmes will be a failure. So I want a categorical reply from hon. Minister that whether he is coming forward with such a legislation or not ?

Dr. Karan Singh : There is no doubt that rate of population growth is fast which has created several problems and we will be having similar problems in future also. But we are running a number of programmes and consequently we hope that the speed of population growth will come down. It is not our policy to force any legislation for the purpose at this stage. I cannot say what will be the situation after two, four or six years but at present our policy is that it should be done voluntarily, we should take the people into confidence, educate them and it should not be thrusted upon them.

श्री बृजराज सिंह कोटा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के पत्र पर सरपंचों तथा प्रधानों की क्या प्रतिक्रिया हुई?

डा० कर्ण सिंह : लखनऊ में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् की एक बैठक हुई। मैंने भी उस बैठक में भाग लिया। जहां तक मुझे मालूम हुआ है लोगों को यह बात समझाने के लिये काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है कि इस मामले पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है। पत्र के प्रभाव की मात्रा तो नहीं बताई जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों तथा सदस्यों को इस मामले में पहल करनी चाहिये।

Shri M.C. Daga : May I know if Government is having any plan to raise the marriage age upto 21 and 18 years ?

Dr. Karan Singh : This aspect is considered from time to time and is still under consideration but till now no decision has been arrived at.

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर देते हुये मंत्री महोदय ने व्यापक जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल पर रख दिया है। मैं आपका ध्यान भारतीय जन सम्पर्क संस्थान के पृष्ठ 5 की ओर दिलाना चाहता हूं जहां यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। मैं उसे उद्धृत करता हूं :

3(4) "अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि नगरीयकरण, उत्तरोत्तर प्रगति और शिक्षा के स्तर से परिवार नियोजन तरीकों के बारे में जानकारी का प्रभाव पड़ता है यद्यपि यह जानकारी अनिवार्यता स्वीकृति के स्तर के अनुपात में नहीं थी। परिवार नियोजन के तरीकों की स्वीकृति अपेक्षाकृत कम पाई गई।"

(5) "सन्देश के उत्तम प्रसारण के सम्बन्ध में अध्ययन ने अनेक सुझाव दिये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सम्मिलित है स्थानीय हालातों से सम्बद्ध संदेश का प्रसारण करना, शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा को आरम्भ करना, संतति निग्रह के विभिन्न उपायों के बारे में उत्तम सूचना का प्रसारण करना, अधिक विस्तार शिक्षा सम्बन्धी कार्य, संचार की विभिन्न प्रणालियों का विवेकपूर्ण संयोजन, स्थानीय नेताओं को शामिल करना आदि"

श्रीमान जी, मंत्री महोदय ने हमें केवल स्थानीय नेताओं तथा पंचायतों के कार्यक्रमों के बारे में ही बताया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि स्थानीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में, ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों से सम्बद्ध शिक्षा सम्बंधी योजनायें तैयार करने के बारे में सरकार की ठोस योजना क्या है?

डा० कर्ण सिह: यह बिल्कुल सत्य है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का संदेश जब साधारण तक पहुंचाने के लिये बहुत साधनीय प्रयत्न अपेक्षित है। अभी तक यह अधिकांश रूप से शहरों तक ही सीमित रहा है। यह बात समझ में आती है और आवश्यक भी है। हम इसे पूरा करने के लिये गांवों में पहुंचना चाहते हैं। हम सम्पूर्ण दृष्टिकोण पर ही पुर्नविचार कर रहे हैं। मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों से सम्पर्क रखे हुये हूं और हम दूरदर्शन, उपग्रह तकनीक, रेडियो, फिल्म, श्रव्य साधनों सभी के मायम से कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार कर रहे हैं। हम नये संदेशों और कार्यक्रमों के साथ पढ़े लिखे लोगों के अतिरिक्त गांवों में जाना चाहते हैं। हम इस वित्तीय वर्ष के अन्त में इसे कार्यान्वित कर लेंगे।

Shri Jharkhande Rai : Many methods are being adopted through out the country. May I know which is the most effective, useful and popular method and whether it is proposed to be introduced in the whole country or whether all these methods will continue ?

Dr. Karan Singh : So far two methods have proved most effective. One is terminal method consisting of vasectomy and tubectomy. It is done by operation. We understand that we can achieve our objective with the help of this method. Second method is the use of Nirodh. Nirodh is being used by millions. We hope to check population growth with this method also.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि किसी नगर को ऊपर का दर्जा मिलना उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है? यदि जनसंख्या नहीं बढ़ती तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक भत्ते नहीं मिलेंगे। इसी कारण ये कर्मचारी परिवार नियोजन को गंभीरता से नहीं लेते। क्या इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन किया जायेगा क्योंकि परिवार नियोजन और जनसंख्या वृद्धि का आपस में कोई मेल नहीं।

डा० कर्ण सिह : यह बहुत रोचक विचार है। यह केवल भत्तों का प्रश्न नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के और भी कई लाभ हैं जिनसे प्रोत्साहन मिलता है। राज्य विधान सभाओं और इस सभा में प्रतिनिधित्व का भी प्रश्न है। दुर्भाग्य से इस वर्ष मेरे विभाग की मांगों को बिना चर्चा के ही निपटाया जायेगा। मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रश्न यह है कि हम वास्तव में जनसंख्या सीमित करना चाहते हैं या हमारी नीति जनसंख्या बढ़ाने की है। क्या हमारी नीतियां एक दूसरे की परस्पर विरोधी नहीं और हमारे प्रयत्न निष्फल नहीं हो रहे। यह बड़ा अच्छा प्रश्न है।

Shri Nawal Kishore Sharma : The Hon. Minister has told just now that Nirodh is very effective in checking the population growth. Will the increase in the price of Nirodh not affect adversely the family planning programme ?

Mr Speaker : There should be free supply to hon. members.

Dr. Karan Singh : Members are already getting free supply through C.G.H.S. We have to increase the price from 15 paise 25 to paise per packet because the expenses have increased. In fact it costs 55—60 paise. I hope people will easily tolerate this increase.

Shri Achal Singh : Will the hon. Minister try to persuade Sadhus, hermits and saints to propagate 'Braham charya' so that population growth may be checked without any cost ?

Dr. Karan Singh : We shall welcome if any body observes 'Brahamcharya'.

Sh. Mulki Raj Saini : Some vasectomy operations are not successful and the other persons are discouraged. Will the hon. Minister state the number of total cases, percentage of unsuccessful cases and the number of doctors and compounders against whom action was taken and the steps being taken by Government to check the reoccurrence of such cases ?

Mr. Speaker : You should give separate notice if you want this information specifically.

Dr. Karan Singh : I may tell you that the number of unsuccessful cases is generally very small. But undue publicity is given to such cases. However we have issued instructions to State Governments to take action against the erring persons ?

पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के मामले पर भारत के साथ युद्ध की धमकी

श्री के० मालन्ना :

*596. **चौधरी राम प्रकाश :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यदि काश्मीर के मामले पर शांतिपूर्वक समझौते के प्रयास असफल रहे तो पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करेगा ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 'युद्ध न करने' के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास): (क) और (ख) 6 मार्च, 1975 के 'वाशिंगटन पोस्ट' के अनुसार प्रधान मंत्री भुट्टो ने एक भेंट वार्ता में यह कहा था :—

> "हम शत्रुतापूर्ण नीति को सक्रिय नहीं करेंगे। हम तो भारत को यह बताने की नीति को सक्रिय करेंगे कि वह हमसे बात करने के लिये बाध्य है . . . . .। हम शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धान्त के प्रति वचनबद्ध हैं परन्तु हमने युद्ध न करने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि लड़ाई की संभावना हो सकती है । परन्तु यदि हमारे सभी शांतिपूर्ण प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा।"

(ग) भारत सरकार ने इस बात पर ध्यान किया है कि अमरीकी सरकार द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सप्लाई पर सभी रोक उठा लेने के तुरन्त बाद हाल के सप्ताहों में पाकिस्तान में नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच मत भेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाने की जगह अन्य तरीकों से निपटाने का संकेत देना शुरू कर दिया है। फिर भी जैसा कि बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है भारत की स्थिति अब भी वही है कि जम्मू और कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति को द्विपक्षीय शांतिपूर्ण तरीकों से निपटाया जाये। यह पूरी तरह से शिमला समझौते की व्यवस्थाओं के अनुरूप है जिसके दोनों देश पक्षधर हैं ।

श्री के० मालन्ना : माननीय मंत्री ने भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया है। क्या उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध न करने का समझौता नहीं किया है? काश्मीर के बारे में शेख अब्दुल्ला और भारत के बीच जो समझौता हुआ है क्या उस से शिमला समझौते की भावना और उपबन्धों का उल्लंघन होता है?

श्री विपिनपाल दास : मैंने अपने उत्तर में पहले ही भुट्टो के वक्तव्य को उद्धृत किया है जिसमें उन्होंने कहा है "हम ने युद्ध न करने के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं"। शेख अब्दुल्ला के साथ हुए समझौते का शिमला समझौते से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री के० मालन्ना : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि शेख साहब के साथ समझौता से क्या शिमला समझौते का उल्लंघन हुआ है?

श्री विपिनपाल दास : शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था जबकि शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता भारत का आन्तरिक मामला है।

श्री के० मालन्ना : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौते से काश्मीरी जनता के हितों पर कुठाराघात हुआ है और पाकिस्तान काश्मीरी जनता के लिये मताधिकार की मांग करता रहेगा। क्या यह वक्तव्य भारत के आन्तरिक मामलों में हस्ताक्षेप नहीं हैं? सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री विपिनपाल दास : जहां तक इन वक्तव्यों का सम्बन्ध है, हम इन्हें आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। शिमला समझौते के एक खंड में काश्मीर के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि जम्मू और काशमीर के जिस भाग पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है उसे वार्ता द्वारा सुलझाया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : मैं सरकार के साथ इस बात पर सहमत हूं कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगा प्रतिबन्ध हटा लेने के बाद पाकिस्तानी नेता युद्ध की भाषा बोलने लगे हैं। क्या यह अमरीकी षडयन्त्र नहीं क्योंकि वियतनाम और कम्बोदिया में मूंह खाने के की बाद वह विश्व के इस भाग को युद्ध क्षेत्र बनाना चाहता है? पाकिस्तान द्वारा काश्मीर हथियाने पर उसके शस्त्रास्त्रों के व्यापारियों को भी लाभ होगा?

श्री विपिनपाल दास : श्री भुट्टो ने 1972 में श्री कुलदीप नय्यर को एक भेंट में कहा था कि काश्मीर पर पाकिस्तान को जो सैनिक लाभ प्राप्त हुआ था वह अब समाप्त हो गया है और भविष्य में भी उसका कोई स्थान नहीं। लेकिन अब 1975 में वह युद्ध की भाषा बोलने लगे हैं। इस बीच कई बातें हो गई हैं। अमरीका ने पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध हटा लिया है। अतः आपकी कही दोनों बातों में कुछ सम्बन्ध हो सकता है।

श्री एस० ए० शमीम : माननीय मंत्री ने कहा है कि शिमला समझौते में काश्मीर के उस भाग का उल्लेख है जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं। क्या उसमें वह भाग भी शामिल है जिसे पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है और जिस पर महाराजा हरी सिंह की प्रभुसत्ता थी?

श्री विपिनपाल दास : निश्चित रूप से पाकिस्तान ने अवैध रूप से यह भाग चीन को सौंप दिया है। वह भाग भी शामिल है।

Sh. Shankar Dayal Singh : How many times Pakistan has violated Indo-Pak borders in Kashmir after the Simla Agreement and the number of incidents of firing by Pakistanis as well as the number of persons killed or wounded ?

Mr. Speaker : This is a separate question. Why do you link it with this question ?

श्री विपिनपाल दास : इस समय मैं आपको इस बारे में जानकारी नहीं दे सकता।

Disparity in wages of Male and Female

***597. Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether there is disparity today in the wages of a male and a female engaged in the same nature of work in different spheres of life ; and

(b) if so, what are those spheres ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) and (b) The Central Government, in so far as they are the "appropriate Government" under the Minimum Wages Act, 1948, have notified equal wage rates for men and women. The bulk of the employments covered by the Act fall in the State sphere and complete information regarding these employments is not available, though it is seen from the minimum wage notifications of some of the State Governments that the lower wages for female workers have been notified largely in agriculture, plantations, stone breaking or stone crushing, cashew, Rice, flour or Dal mills and Road construction or building operations.

Sh. M.C. Daga : Do you propose to bring forward any bill during the current Session to ensure equal wage rates for men and women in the same nature of work ?

Sh. Bal Govind Verma : Sir, this year is being observed as women's International year and we propose to bring forward a legislation.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इथोपियाई गृह युद्ध में हताहत भारतीय

*588. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोपियाई गृह युद्ध में कुछ भारतीय हताहत हुये;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उनके परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) इरीट्री में हाल के उपद्रवों में कोई भी भारतीय हताहत नहीं हुआ। लेकिन एक भारतीय को एक गोली से, जिसका निशाना वह नहीं था, थोड़ी सी चोट आई। मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि न तो घायल व्यक्ति ने इस बारे में आवेदन किया और न ही चोट इतनी थी कि इसकी जरूरत पड़ती।

मैडिकल प्रैक्टीशनरों द्वारा किये जाने के सर्जीकल आपरेशनों को विनियमित करने के लिये विधान

*592. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय ऐसे मेडिकल प्रैक्टीशनरों द्वारा आपरेशन किये जाने पर कोई काननी पाबन्दी नहीं है जो समेकित चिकित्सा प्रणाली में अर्हता प्राप्त है;

(ख) क्या उसका मंत्रालय ऐसे मेडिकल प्रैक्टीशनरों द्वारा किये जाने वाले सर्जीकल आपरेशनों का विनियमन करने के लिये एक विधान बनाने पर विचार कर रहा है, जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में अर्हता प्राप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) समेकित प्रणाली नामक कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है किन्तु भारतीय चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षित चिकित्सकों को उनके प्रशिक्षण के रूप में शल्य चिकित्सा भी अलग अलग स्तरों में सिखलाई जाती है । ऐसे चिकित्सकों द्वारा शल्य चिकित्सीय आपरेशन किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा की गई खरीद का पुनरीक्षण करने के लिये उच्च अधिकार प्राप्त समिति

*593. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा की गई खरीद का पुनरीक्षण करने के लिये सरकार ने एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति स्थापित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) समिति के गठन और निर्देश पदों से सम्बन्धित विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(1) सरकारी खरीदों के मामले की जांच करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित समिति का गठन :—

1. मंत्री, पूर्ति और पुनर्वास	अध्यक्ष
2. सचिव, पूर्ति विभाग	सदस्य
3. श्री एन० एम० बागले	गैर सरकारी सदस्य
4. श्री ए० एन० हक्सर	
5. श्री एम० वी० कामथ	

निम्नलिखित प्रत्येक मंत्रालय का प्रतिनिधि :

6. वित्त (व्यय विभाग)	सदस्य
7. संचार (डाक व तार)	"
8. रेल	"
9. रक्षा, और	"
10. औद्योगिक विकास	"

निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रतिनिधि :

11. योजना आयोग (राज्य सरकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये) सदस्य
12. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक; और "
13. महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) सदस्य सचिव

(2) समिति के निदेश पद :

(क) सामान की अधिप्राप्ति में कार्यकुशलता और मितव्ययता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाई गई खरीद की प्रणाली और कार्यविधि में एकरुपता लाना और सुधार के सुझाव देना।

(ख) सूचित करने के लिये विलम्ब में कमी करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा और केन्द्रीय सरकार की ओर से की गई खरीद के लिये वित्तीय भुगतान की प्रणाली और कार्यविधि की जांच करना और सुधार के सुझाव देना।

(ग) को अन्य सम्बद्ध विषय जैसे विशिष्टियां, निरीक्षण, परीक्षण, निकासी, नौभरण आदि ।

(घ) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के लिये संगठनात्मक व्यवस्था करना।

फारक्का बांध के मानचित्रों की चोरी

*595. **श्री एम०एम० जोजफ** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के दो अति गुप्त मानचित्र कलकत्ता महानगर आयोजना संगठन के कार्यालय से गुम हो गये हैं;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय और बांध प्राधिकारी मान चित्रों की चोरी के बारे में अनभिज्ञ थे; और

(ग) यदि हां, तो मानचित्रों के खो जाने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं श्रीमन्। फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों से संबंधित मानचित्र (ये भारतीय सेना के परम गुप्त मानचित्र नहीं थे) कलकत्ता महानगर आयोजन संगठन को जारी किये गये थे और वे उनके कब्जे में हैं।

पाकिस्तान रेडियो द्वारा भारतीय नेताओं की अधिकाधिक बुराई किया जाना

*598. **श्री एन० आर० बेकारिया**

श्री अरबिन्द एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस्लामाबाद को एक अविलम्बनीय पत्र भेजा है जिसमें पाकिस्तान रेडियो द्वारा भारत की तथा कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला की अधिकधिक निन्दा किये जाने को रोकने के लिये कहा गया है;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने उस पर अब तक कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जनवरी, 1975 के आखिरी दिनों से लेकर अब तक रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के अन्य प्रसार साधन शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुये भारत-विरोधी, खास तौर से कश्मीर पर प्रचार करते रहे हैं। इस प्रचार में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला सहित कुछ भारतीय नेताओं पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान सरकार के साथ ऊंचे स्तर पर इस मामले को उठाया गया था और उनसे कहा गया था कि वे पाकिस्तान रेडियो पर बन्दिश लगायें।

(ख) और (ग) : पाकिस्तान सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि हमने रेडियो पाकिस्तान द्वारा किये जिन उल्लंघनों का उल्लेख किया है, वह उसकी जांच कराने के लिये कदम उठा रहे हैं और यह कि इस तरह की घटनायें फिर नहीं होंगी लेकिन रेडियो पाकिस्तान के प्रचार की प्रखरता हाल के दिनों में कुछ कम हो गई है लेकिन वह कश्मीर के मामले पर अभी विरोधी ही है। आल इंडिया रेडियो अपने प्रसारणों में सही तथ्य प्रस्तुत करके पाकिस्तान के प्रचार का प्रतिवाद करता रहा है।

तटीय माल के लिये जहाजों की कमी

*599. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तटीय माल के लिये जहाजों की कमी के बारे में जानकारी है,

(ख) क्या प्राइवेट जहाज मालिक इन मार्गों पर जहाज चलाने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि ये मार्ग आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हैं,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तटीय माल के लिये सरकारी नौवहन सेवा आरम्भ करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार तटीय माल की ढुलाई मांग पूरा करने के लिये क्या उपाय करने का है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया तथा मुगल लाइन लि० दो सरकारी क्षेत्र की नौवहन कम्पनियां भी तट पर जहाज चला रही हैं। ये इसे चलाती रहेंगी। इसके अलावा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि सरकार तट पर एक नई नौवहन सेवा शुरू करे।

(घ) अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य बातों के साथ लाभप्रद भाड़ा दरों तथा परिचालनात्मक टनभार की पर्याप्तता की व्यवस्था करने के लिये एक युक्तियुक्त ढांचा तैयार करने की दृष्टि से सरकार सम्पूर्ण मामले पर विचार कर रही है। इसके अलावा पत्तनों पर जहाजों के विराम काल में सुधार करने के लिये कई उपाय किये जा रहे हैं।

हाजीरा, गुजरात में नये शिपयार्ड का निर्माण

*600. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण गुजरात में हाजीरा में एक नया शिपयार्ड बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित तकनीकी आर्थिक कार्य दल ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दो नये शिपयार्ड स्थापित करने के लिये गुजरात में हाजीरा सहित चार अन्य स्थानों की सिफारिश की है। इन चार स्थानों पर प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये तीन विदेशी परामर्शदाता नियुक्त किये गये। हाल ही में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टें प्राप्त की गई हैं। प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों की ध्यानपूर्वक जांच के बाद ही पांचवीं योजना में दो नये शिपयार्डों के लिये स्थान निश्चित करने के बारे में फैसला किया जा सकता है।

वर्ष 1974 में राज्यवार जनदिवसों की हानि

*601. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवादों के कारण वर्ष 1974 में, राज्यवार कितने जनदिवसों की हानि हुई?

(ख) इन विवादों में कुल कितने श्रमिक अन्तग्रस्त थे; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) केन्द्र में तथा राज्यों में औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अधीन आवश्यकतानुसार अनौपचारिक मध्यस्थता, संसाधन, न्यायनिर्णयन या विवाचन के जरिये कामरोधों को कम करने और औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के प्रयास करता रहता है।

विवरण

1974 के दौरान हुये औद्योगिक विवादों, उनमें अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों और हानि हुये श्रम-दिनों की राज्यवार संख्या (अनन्तिम) दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	औद्योगिक विवादों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों की संख्या	हानि हुये श्रम दिनों की संख्या
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश . . .	111	84,133	153,531
असम . . .	7	5,312	14,266
बिहार . .	282	365,264	1,524,995
गुजरात .	153	53,273	933,520
हरियाणा . . .	30	10,134	215,336
हिमाचल प्रदेश . . .	3	186	1,706
जम्मू और कश्मीर . .	5	436	2,789

1	2	3	4
कर्नाटक	70	45,320	357,951
केरल .	170	139,856	950,131
मध्य प्रदेश	120	99,335	481,443
महाराष्ट्र	592	513,285	10,139,464
मणिपुर	4	684	4,630
उड़ीसा	72	21,339	142,348
पंजाब	13	2,180	10,901
राजस्थान	47	34,728	716,235
तमिलनाडु	303	247,250	3,049,801
त्रिपुरा	5	364	11,669
उत्तर प्रदेश	200	112,616	715,656
पश्चिम बंगाल	331	543,748	11,543,333
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10	5,035	16,119
चण्डीगढ़	4	871	2,206
दिल्ली	27	24,769	274,126
गोवा	29	7,117	38,818
पांडिचेरी	13	29,422	323,653
जोड़	2,601	2,346,657	31,624,627

राज्यों में औद्योगिक संबन्ध आयोगों के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

*602. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीश गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश के अनुसार औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिये प्रत्येक राज्य में औद्योगिक सम्बन्ध आयोग और उन सब के ऊपर एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया, प्रत्येक राज्य से प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिये कौन-कौन से राज्य ऐसी व्यवस्था करने के पक्ष में हैं और कौन-कौन से राज्य पक्ष में नहीं हैं; और उक्त व्यवस्था का विरोध करने वाले राज्यों ने इस विरोध के लिये क्या मुख्य कारण बताये हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की इस सिफारिश पर क्या निर्णय किया है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) केन्द्र और राज्यों में औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित करने के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश, जुलाई, 1970 में हुये स्थाई श्रम समिति के 29वें अधिवेशन में स्वीकार की गई थी, जिसे राज्य सरकारों/प्रशासनों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था।

(ग) इस मामले पर प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है।

Army called to help Civil Authorities

*603 **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1540 on the 21st November, 1974 and state :

(a) the number of times the services of the army were utilized for assisting civil authorities during the months of October to December, 1974, State-wise ;

(b) the number of citizens killed and injured by opening fire on each occasion ; and

(c) the factors that necessitated the use of army for assisting the civil authorities during the above period, State-wise ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c) During the period October to December, 1974 the Army assisted the various States on 3 occasions for the maintenance of essential services and on 5 occasions for other types of assistance. The Army was not utilised during this period for the maintenance of law and order and there were no cases of Army resorting to firing. A statement indicating state-wise details of the occasions when Army assistance was provided and also the purpose for which the assistance was given is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing details of Army Assistance rendered during October, 1974 to December 1974

Sl. No.	Name of the State	No. of occasions on which Army assistance rendered	Date/Period	Purpose for which assistance was rendered
		Maintenance of Essential Services		
1.	West Bengal	1	30th Sep. to 3rd Oct. 74.	Assistance provided during threatened strike by Calcutta Corporation employees.
2.	Bihar	2	(i) 12th Dec. to 15th Dec. 1974	45 Army Doctors were provided at Patna, Darbhanga and Ranchi consequent to the Doctors in Bihar proceeding on mass casual leave.
			(ii) 29th Dec. 74 to 25th Jan. 1975	60 Army Doctors were provided at Patna, Darbhanga and Ranchi consequent to the Doctors in Bihar proceeding on mass casual leave.

Other types of assistance

1. Madhya Pradesh	1	21st Oct. 74 (Bhopal)	Recovery of vehicle.
2. Jammu & Kashmir	3	(i) 2nd Oct. 1974 (Udhampur)	-do-
		(ii) 27th Oct. 74 (Jammu)	3 Ambulances provided for evacuation of wounded personnel.
		(iii) 10th Nov. 74 (Chanani)	Recovery of vehicle.
3. Himachal Pradesh	1	6th Nov. 1974 (Simla)	-do-

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किराये में वृद्धि

*604. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बसों के किराये बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या किराये में वृद्धि उस हानि को पूरा करने के लिये की जा रही है जो दिल्ली परिवहन निगम को स्टोरों तथा डिपुओं में चोरी तथा उठाईगिरी के कारण लगातार हो रही है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम का 1964 से प्रवृत्त वर्तमान किराया ढांचा अलाभप्रद है। पेट्रोल, स्नेहक, फालतू पुर्जे, टायर इत्यादि के मूल्यों में वृद्धि के कारण परिचालन की बढ़ी हुई लागत को दृष्टि में रखते हुए तीसरे वेतन आयोग के सिफारिशों पर निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन और महंगाई भत्ते का भुगतान से दिल्ली में बस किराये में उपयुक्त संशोधन की वांछनीयता सरकार के विचाराधीन है।

Minimum Wage Policy

*605. **Shri R.V. Bade :**

Shri Madhav Rao Scindia :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given some advice to State Government in regard to minimum wage policy ;

(b) if so, the gist thereof ;

(c) the names of the States which have implemented it and the extent to which, each of them has implemented it ; and

(d) what further action is being taken where it has not been fully implemented ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) Yes, Sir. The State Governments have been urged to carry out revisions in minimum wages, wherever due, keeping in view the requirements of the Minimum Wages Act, 1948 and the recommendation on the subject made by the National Commission on Labour.

(c) and (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

[*Placed in Library. See No. L.T.-9402/75.*]

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में श्रमिक विवाद और उनमें काम बन्द होना

*606. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में, यूनिटवार, कितनी वार श्रमिक अशान्ति उत्पन्न हुई और काम बन्द रहा;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितने उत्पादन की हानि हुई; और

(ग) काम बन्द होने के क्या कारण थे तथा भविष्य में काम बन्द होने की घटनाओं तथा श्रमिक अशान्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :(क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रमिक अशान्ति तथा कार्य बन्द होने की घटनाओं की संख्या तथा अप्रैल फरवरी 1974 की अवधि में इन घटनाओं के कारण हुई उत्पादन की हानि का कारखाने-वार व्यौरा नीचे दिया गया है :—

कारखाना	श्रमिक अशान्ति की घटनाएं			काम बंद होने की घटनाएं (24 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए)		
	संख्या	उत्पादन की हानि (टन)		संख्या	उत्पादन की हानि (टन)	
भिलाई स्टील कारखाना	8	बी० एफ० कोक	649	5	कच्चा लोहा	14340
		इस्पात पिण्ड	5069		इस्पात पिण्ड	1577
		बिक्री योग्य इस्पात	542		बिक्री योग्य इस्पात	883
		ग्रेन्यूलेटिड स्लेग	1540			
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	180	बिक्री योग्य इस्पात	10940	14	बिक्री योग्य इस्पात	1455
राउरकेला इस्पात कारखाना	56	इस्पात पिण्ड	8290	10	गर्म धातु	23337
		बिक्री योग्य इस्पात	8598		इस्पात पिण्ड	23827
					बिक्री योग्य इस्पात	15538
बोकारो स्टील इस्पात कारखाना						..
मिश्रित इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	72	धातु	8464	42	धातु	5683

(ग) काम ठप्प होने की घटनाएं मुख्यतः उपस्करों के लगातार घिसने, दुर्घटनाओं, खराब परिचालन, उचित रख-रखाव की कमी तथा बढ़िया किस्म के फालतू पुर्जे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारणों से हुई है।

काम ठप्प होने की घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिये किये गये मुख्य उपायों में उपस्करों का निरीक्षण, प्रतिरोधक रख-रखाव करने तथा बड़ी-बड़ी मरम्मत का काम समय पर करने, उचित प्रोद्योगिक पद्धतियां अपनाने, उपस्करों के परिचालन रख-रखाव और उनको ठीक हालत में रखने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और फालतू पुर्जों और स्टोर की दूसरी मदों की व्यवस्थित ढंग से प्राप्त तथा नियंत्रण प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है।

वर्ष 1974-75 में सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों में रख-रखाव कार्यों में सभी प्रकार से सुधार हुआ है और इस की झलक इस बात से मिलती है कि इस्पात कारखानों में अधिक उत्पादन हुआ है।

मालिक मजदूर सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं इसके लिए कई उपाय किये गये हैं। इन उपायों में कामगरों की व्यक्तिगत शिकायतों को शीघ्र दूर करने और उत्पादन, कल्याण, सुख सुविधाओं, सुरक्षा आदि कुछ क्षेत्रों में संयुक्त परामर्श द्वारा प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने और आपसी हित के विभिन्न मामलों में मजदूर सघों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत करना शामिल है। औद्योगिक स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्पात उद्योग के बनाई गई संयुक्त वार्ता समिति के सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जाता है।

वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (जनवरी, 1975 के अन्त तक) हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों में श्रम घंटों तथा उत्पादन में हुई हानि नीचे दी गई है:—

	श्रम घंटों की हानि	उत्पादन में हुई हानि का मूल्य
		करोड़ रुपये
1972-73 .	286,682	8.876
1973-74 .	276,207	13.934
1974-75 .	191,769	3.434
(अप्रैल, 74 से जनवरी, 75 तक)		

वर्ष 1974-75 के अन्तिम दो महीनों का रुख पहिले 10 महीनों की तरह रहा है और गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1974-75 में श्रम घंटों की हानि काफी कम हुई है। इस बात का पता उत्पादन में हुई वृद्धि से चलता है।

मिश्रित इस्पात कारखाने के बारे में इसी प्रकार के आंकड़े नीचे दिए गये हैं

	श्रम घंटों की हानि	उत्पादन की हानि (करोड़ रु०)
1972-73 .	240,991	13.41
1973-74 .	184,957	8.70
1974-75 .	325,906	3.72
(अप्रैल, 74 से जनवरी 75 तक)		

यद्यपि श्रम घंटों की हानि की संख्या में वृद्धि हुई है इस वर्ष मिश्रित इस्पात कारखाने के कुल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

काली पनबिजली परियोजना तल से मैंगनीज तथा लौह् अयस्क निकाला जाना

*607. **श्री बालकृष्ण वैंकन्ना नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 लाख टन मैंगनीज तथा 100 लाख टन लौह् अयस्क युक्त क्षेत्र के कर्नाटक में स्थायी रूप से काली पनबिजली परियोजना में डूब जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार और खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अनुरोध किया है कि इस अयस्क की क्षति हो जाने से पूर्व उसे निर्यात करने के लिए निकालने की अनुमति दी जाये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य की सरकार ने यह सुझाव रखा था कि मैसूर मिनरल्स लि० को उनके द्वारा इस क्षेत्र से निकाले गये निम्न ग्रेड के मैंगनीज अयस्क को विदेशों में सीधे बेचने के लिए मन्जूरी दे दी जाए। खनिज सलाहकार बोर्ड ने इस सुझाव पर विचार किया था। बोर्ड ने यह सिफारिश की थी कि मैसूर मिनरल्स लि० को इस क्षेत्र में खनिज को तेजी से निकालने के लिए पट्टे ले लेने चाहिएं और भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम से निकाले गये अयस्क का अपक्रय अन्ततः निर्यात करने के लिए अवमज्जन स्तर से ऊपर इसका स्टाक करने के लिए कहा जाए।

कोचीन पत्तन न्यास के लिए योजना परिव्यय

5677. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोचीन न्यास पत्तन के लिए कितना योजना परिव्यय रखा गया है;

(ख) क्या 'सुपर टैंकर बर्थ' के लिए अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 'सुपर टैंकर बर्थ' का कार्य इस समय किस चरण पर है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में कोचीन पत्तन के लिए 33.74 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) और (ग) उक्त परिव्यय में से सुपर टैंकर बर्थ के लिए 25.07 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) सुपर टैंकर बर्थ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों के परामर्श से विचाराधीन है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कार्य शुरू होने के बाद इसे पूरा होने में लगभग 3½ वर्ष लगेंगे। परन्तु, पहले ही स्वीकृत रैक्लेमेंशन दीवार पर तेजी से काम हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में आये भूकम्प

5678. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बिहार में हाल ही में आये भूकमपों के कारणों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) केदारनाथ (उत्तर प्रदेश) तथा बिहार—नेपाल—सीमा पर 31 जनवरी, 1975 को जो भूकम्प आये वे हल्के प्रकार के थे जबकि 19 जनवरी, 1975 को किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) में जो भूकम्प आया वह काफी जोरदार था जिससे भारी क्षति हुई और उसके कारणों का विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है। किंतु ये सभी क्षेत्र एक ही भूकम्प पट्टी में स्थित हैं।

(ख) हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में हाल के भूकम्पों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा भूतल-सवक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार एकत्र आंकड़ों का मौसम विभाग तथा सर्वे आफ इण्डिया द्वारा एकत्रित आंकड़ों के साथ-साथ संश्लेषण एवं विश्लेषण करना होगा। इस लिए अभी कारणों के सम्बन्ध में कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

पश्चिम बंगाल और केरल के तटवर्ती गांवों में सड़कों का निर्माण

5680. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों से तटबर्ती गांवों में सड़क निर्माण शुरू करने के लिए कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा संचालित किसी योजना के अन्तर्गत तटवर्ती मत्स्य उद्योग प्रधान गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की सड़कों के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदे में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादन की धीमी गति के लिए श्रमिकों को दोषी ठहराना

5681. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्पादन की धीमी गति के लिए श्रमिकों को दोषी ठहराया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या कारण हैं ?

20 Lss/75—3.

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अनुमानतः संकेत केन्द्रीय श्रम मंत्री के उस अभिभाषण की ओर है जो उन्होंने 9 मार्च, 1975 को राष्ट्रीय श्रम संस्थान की महा परिषद् की पहली बैठक में दिया था। अपने भाषण में श्रम मंत्री ने श्रमिकों पर दोषारोपण नहीं किया था बल्कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अन्य-संक्रामण की उस प्रक्रिया का जिक्र किया था जो पूंजीवादी उत्पादन संबंधों में निहित होती है।

रीवां में वन्य पशुओं को मारने के लिए सैनिक गाड़ियों तथा स्वचालित हथियारों का प्रयोग

5682. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवां नगर के समीप कोइमूर तोपखाना रेंज में तैनात कुछ सैनिक कर्मचारियों ने उस क्षेत्र के आस-पास दुर्लभ वन्य जीवों को मारने के लिए सैनिक गाड़ियों तथा स्वचालित हथियारों का प्रयोग किया; और

(ख) यदि हां, तो दुष्कार्य को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रीवां के समीप काइमूर तोपखाना रेंज में कोई सेना यूनिट तैनात नहीं है। वहां इलाहाबाद से यूनिटें तोपखाना अभ्यासों के लिए जाती हैं। वन्य जीवों को गोली मारने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Declaration of Ajmer-Khandwa Road as National Highway

†5683. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether there is heavy road traffic between Ajmer and Khandwa ;

(b) whether road traffic on Delhi-Bombay road has greatly increased at present because the Chambal bridge near Dholpur on the above road has collapsed and the Army centre, Neemuch, and the Army Centre Mhow are also situated on this road ;

(c) whether Government's attention has been drawn to the need of declaring this road as a National Highway ; and

(d) if so, the steps taken by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport : (Shri H.M. Trivedi): (a) Ajmer-Khandwa Road is a State road and as such it falls within the sphere of State activities The States concerned have not given any indication so far whether or not the traffic on this road is heavy.

(b) No such report is available so far.

(c) No, Sir. The Govt. of Rajasthan have requested for declaration of the Ajmer-Bhilwara-Ratlam-Indore road as a National Highway during the Fifth Plan period.

(d) No final decision about the new additions to be made to the existing National Highway System during the Fifth Plan period has yet been taken. It is, therefore, not possible to indicate at this stage the position about any road or roads which might be included in the National Highway System during the current Plan period.

श्रमिक विवादों के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना

5684. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में श्रमिक विवादों के लिए स्थायी तंत्र की स्थापना के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति के कथित सुझाव की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा)

(क) जा हां।

(ख) सुझाव नोट कर लिया गया है।

सैनिक समाचार में सहायक पत्रकार

5685. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक समाचार में इस समय कितने सहायक पत्रकार कार्य कर रहे हैं; और

(ख) इन पत्रकारों को स्थायी करने और पदोन्नति देने के बारे में भावी-सम्भावनायें क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चार।

(ख) सैनिक समाचार में इस समय चार सहायक पत्रकार कार्य कर रहे हैं। इन में से एक व्यक्ति तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा है। शेष तीन व्यक्ति पहले अनुवादक के रूप में कार्य कर रहे थे। 1963 में अनुवादकों के पदों का समापन कर दिए जाने पर, इन तीन व्यक्तियों को सहायक पत्रकारों के पद पर नियुक्ति के उपयुक्त नहीं पाया गया। तथापि, क्योंकि उनमें से दो व्यक्ति पहले ही स्थायी रूप से अनुवादकों के पद सम्भाले हुए थे अतः सभी तीनों को ऐसे ही कार्य करते रहने दिया गया और उस प्रयोजन के लिए सहायक पत्रकारों और तीन अधिसंख्या पदों का सृजन किया गया। अतः वर्तमान नियमों के अधीन व ग्रेड में पुष्टि किए जाने अथवा उप-सम्पादक के उच्चतर पद पर पदोन्नति के पात्र नहीं हैं।

लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

5686. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही लेडी हार्डिंग अस्पताल नई दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेने का है· और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल और कलावती सरण बाल चिकित्सा अस्पताल, नई दिर्ल्ला को केन्द्राय सरकार के नियंत्रण में लाने के बारे में एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

बंगला देश के साथ संबन्ध स्थापित करने के लिये अखिल भारतीय निकाय

5687. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार के पास बंगला देश के साथ घनिष्ठ सूझबूझ पैदा करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किसी सामाजिक तथा सांस्कृतिक निकाय को सहायता तथा वित्त देने के बारे में कोई योजना है क्योंकि बंगला देश के लोगों के साथ मैत्री बढ़ाना आवश्यक है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास): ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की अखिल भारतीय संस्था को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान हो। तथापि, दिसम्बर 1972 के भारत-बंगलादश सांस्कृतिक समझौतेके अन्तर्गत एक विस्तृत सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम है जिसमें शिक्षण, कला, सूचना साधन और खेलकूद के अनेक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सांस्कृतिक विनिमय सहित सभी संभव तरीकों से भारत और बंगलादेश के बीच मैत्री एवं समझ को सुदृढ़ करने एवं बढ़ाने की सरकार की नीति है।

खेतड़ी तांवा अद्योग समूह

5688. **श्री बशेश्वर नाथ भार्गव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी तांवा उद्योग समूह से सम्बन्धित कितने और किस प्रकार के मामले विभिन्न न्यायालयों में विधाराधीन हैं·

(ख) उपर्युक्त मामलों पर कितनी धनराशि खर्च हुई और कानूनी सलाहकारों की कितनी धनराशि दी गई·

(ग) क्या अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों के अवमान सम्बन्धी दो मामले विचाराधीन हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या खेतरी तांबा अद्योग समूह के तीन अधिकारियों को न्यायालय के अवमान के मामले में 15 दिन के लिये सिविल जेल भेजा गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) तथा (ख) इस समय खेतड़ी तांबा उद्योग समूह के संबंध में 49 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं । ये मामले मुख्यतः ठेका-उल्लंघन, माल की कम पूर्ति, भूमि अधिग्रहण विवादों आदि के बारे में धन-विषयक मुकदमों तथा सीमा-शुल्क, बिक्री कर की वापसी, मजदूरी भुगतान, पंच फैसला विवादों आदि के बारे में रिट याचिकाओं के रूप में है। वित्त वर्ष 1974-75 में फरवरी 75 तक कुल कानूनी खर्च 35279 रुपये हुआ ।

(ग) तथा (घ) यह सही है कि इस समय कम्पनी के अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों के अवमान में के दो मामले विचाराधीन हैं। छोटे न्यायालय द्वारा निर्णीत एक मामले का अपील जिला न्यायालय में विचाराधान है। दूसर मामले में कारंवाई जिला न्यायालय द्वारा रोक दी गई है। न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण मामले के बारे में और अधिक ब्यौरे देना इस समय उचित नहीं होगा।

जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में चूना पत्थर के निक्षेप

5689. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां भारताय भूसर्वेक्षण विभाग ने सीमेंट के कारखानों की स्थापना के लिये पर्याप्त माला में चूना-पत्थर के निक्षेप का पता लगाया है और

(ख) सरकार को प्रत्येक मामले में इन निक्षेपों के मिलने के बारे में रिपोर्ट किस किस तारीख को प्राप्त हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा चूना पत्थर के लिए किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप जम्मू तथा कश्मीर के श्रीनगर, उधमपुर, कठुआ, तथा लद्दाख जिलों में 1897.60 लाख टन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, सिरमूर तथा मण्डी जिलों में 3095.40 लाख टन तथा हरियाणा के अम्बाला, गुड़गांव तथा महेन्द्रगढ़ जिलों में 365.60 लाख टन भण्डारों का अनुमान लगाया गया है। पंजाब के होशियारपुर तथा गुरदासपुर जिलों के कुछ भागों में चूनापत्थर की कुछ माला होने का पता चला है।

(ख) चूंकि सर्वेक्षणों के बाद रिपोर्ट तैयार करने में कुछ समय लगता है, अतः भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था मामयिक प्रगति रिपोर्टों द्वारा मुख्य निष्कर्षों से सरकार को अवगत करती रहती है। संस्था के प्रकाशनों में भी इन निष्कर्षों की जानकारी दी जाती है।

नेहरू होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली के डिप्लोमा को मान्यता

5690. **श्रीमती मुकुल बैनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू होमियोपेथिक मेडीकल कालेज एण्ड हास्पीटल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली के होमियोपेथिक मेडिसन और सर्जरी (डी० एच० एम० एस०) के डिप्लोमा का केन्द्रीय सरकार का मान्यता प्राप्त नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त कालेज से (प्रतिवर्ष) कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की और गत तीन वर्षों में इस संस्था को कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या उन्होंने उक्त कालेज के अधिकारियों को मार्च, 1975 में कोई आश्वासन दिया, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) यह डिप्लोमा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(ख) सूचना नीचे दी गई है:—

वर्ष	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या
1972	62
1973	80
1974	75

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संस्था को कोई अनुदान नहीं दिये गये। 1 सितम्बर, 1972 से संस्था के व्यय को दिल्ली प्रशासन द्वारा वहन किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

साउथ मोतीबाग, नई दिल्ली में स्कूटर स्टैंड

5691. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 13 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में शान्ति निकेतन के एक निवासी द्वारा दिल्ली प्रशासन के नोटिस में यह बात विशेष रूप से लाई गई थी कि रिंग रोड बस स्टाप पर प्रायः स्कूटर उपलब्ध नहीं होते हैं और स्कूटर की तलाश में व्यक्ति को लगभग एक मील चलना पड़ता है;

(ख) इस इलाके तथा साउथ मोतीबाग और आनन्द निकेतन के निवासियों को यह अत्यावश्यक राहत प्रदान करने के लिए साउथ मोतीबाग (नानकपुरा) मार्केट, जहां जगह खाली है, मैं एक स्कूटर स्टैंड बनाने के लिये अनुमति प्रदान करने में दिल्ली प्रशासन के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां, शान्ति निकेतन क्षेत्र के एक निवासी ने यह स्थिति दिल्ली प्रशासन को बताई है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन अपनी ओर से कोई स्कूटर स्टैंड नहीं लगाता, परन्तु यदि कोई पार्टी, जो कि किसी विशेष स्थान पर स्टैंड लगाने में दिलचस्पी रखती हो तो वह इस प्रयोजन के लिए डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली को अनुमति के लिए आवेदन करती है और प्रशासन उस पर विचार करती है उपर्युक्त (क) में उल्लिखित निवासी को आवेदन करने की सलाह दी गई थी। यदि उसकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से दक्षिण मोतीबाग में स्कूटर स्टैंड लगाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन उसकी जांच करेगा।

लौह अयस्क का निर्यात

5692. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में अनेक मजदूर आन्दोलनों के कारण लौह अयस्क के निर्यात से होने वाली आय न होने के परिणामस्वरूप देश को कम से कम 25 करोड़ रुपये की हानि हुई है,

(ख) यदि हां, तो आन्दोलनों के कारण क्या थे और उनकी जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अनुमान है कि मई, 1974 में अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों की हड़ताल तथा 8-4-1974 से 13-5-1974 तक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लौह अयस्क का निर्यात न होने से लगभग 16 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय की हानि हुई है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कर्मचारियों के साथ बाकी मामलों को तय करने के लिए बातचीत की जा रही है।

(ग) लौह खनिज के निर्यात को 1974-75 के लगभग 225 लाख टन के स्तर से बढ़ाकर पांचवीं योजना अवधि के अंत तक अर्थात् 1978-79 तक 350 लाख टन करने की योजना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लौह खनिज के उत्पादन, परिवहन और बन्दरगाह सुविधाओं आदि का व्यवस्थित ढंग से विकास करने के लिए आवश्यक उपाय कियें जा रहे हैं।

जनकपुरी और केन्द्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन निगम की द्रुत सेवा

5693. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जनकपुरी और केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल के बीच "सुगम सेवा" की तरह दिल्ली परिवहन निगम की कोई द्रुत सेवा नहीं है;

(ख) क्या इस प्रकार की सेवा की व्यवस्था न होने के कारण सैंकड़ों लोगों को मजबूर हो कर 'कंट्रैक्ट' लेबल वाली बीसियों प्राइवेट बसों से आना जाना पड़ता है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम को अनुमानतः कितने राजस्व की हानि होती है; और

(घ) सरकार उपरोक्त कालोनी के लिये द्रुत सेवा की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जिससे दिल्ली परिवहन निगम को राजस्व की हानि न हो?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) फिलहाल नई डिजाईन पद्धति के अन्तर्गत जनकपुरी और केन्द्रीय सचिवालय के बीच कोई सीधी बस सेवा नहीं है, परन्तु कालोनी केन्द्रीय सचिवालय से पुराने बस रूट 3 बी तथा 6 के रूटों से जुड़ी हुई है। नए 711 तथा 811 रूटों पर सुगम सेवा को बदलने की सुविधाएं क्रमशः धौला कुआं तथा मोती नगर में हैं। ये सेवाएं काफी लोक प्रिय हो गई और इनसे जनकपुरी के लोगों को कुछ राहत मिली है।

जनकपुरी में रहने वाले कार्यालय कर्मचारियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित विशेष फेरों की व्यवस्था की गई है :—

समय	से	तक
0815 बजे	ए-1 ब्लोक जनकपुरी	केन्द्रीय सचिवालय
0915 बजे	—यथोक्त—	—यथोक्त—
0815 बजे	सी-III जनकपुरी	—यथोक्त—
0830 बजे	—यथोक्त—	—यथोक्त—
0845 बजे	—यथोक्त—	—यथोक्त—
0915 बजे	—यथोक्त—	—यथोक्त—

(ख) जी, हां। यह मालूम हुआ है कि कुछ लोग अपने कार्यो स्थलों पर ठेके की बसों द्वारा पहुचते हैं।

(ग) इस कारण दिल्ली परिवहन निगम को हुई राजस्व हानि का सही हिसाब लगाना संभव नहीं है क्योंकि कुछ लोग अपने कार्य स्थलों से तथा वापिसी के लिए डी० टी० सी० बसों के चलाए जाने पर भी संभवतया ठेके की बसों से यात्रा करना पसन्द करें।

(घ) अपेक्षित संख्या में बसों के उपलब्ध होने पर जनकपुरी से तथा जनकपुरी को और बसें चलाई जायेंगी।

Murder of four Indian Children in London

*5695. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether four children of an Indian family in Greenwich of South London were brutally murdered in the second week of March, 1975; and

(b) if so, the full facts thereof and the action taken by British Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) & (b) Four children of Shri Darshan Singh Dhande, a person of Indian origin and holder of British Passport and Smt. Udham Kaur Dhande, an Indian passport holder, were reported to have been murdered at their residence at Glenforth Street, Greenwich, London. on the evening of 10th March, 1975. With the exception of the eldest child, whose name was included in mother's Indian Pasport, the other three children were born in the U.K. and were holding British Passports.

One Shri Prem Dhande, an Indian national, was arrested on 12th March, 1975 and formally charged with the crime on 15th March, 1975. He is still under police remand for further investigation and trial is likely to commence soon.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कार्डों में सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित बहनों, भाईयों, दत्तक पुत्रों, पुत्रियों के नाम सम्मिलित करना

5696. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को जारी किये गये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा कार्डों में किसी सरकारी कर्मचारी की अविवाहित बहिनों, भाइयों और दत्तक पुत्रों/पुत्रियों के नाम जो वास्तव में उस पर निर्भर होते हैं, सम्मिलित नहीं किये जाते; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) सरकारी कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्डों में अविवाहित बहिनों और भाइयों के नाम सम्मिलित नहीं किये जाते हैं। आश्रित पुत्रों और पुत्रियों के नाम सम्मिलित किये जाते हैं बशर्ते कि इस प्रकार का दत्तक ग्रहण कानूनी तौर पर वैध हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रयोजन के लिए 'परिवार' की परिभाषा में सरकारी कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जैसा भी मामला हो, बच्चे और सौतेले बच्चे और माता-पिता को जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों और उसके साथ ही रहते हों, शामिल किया जाता है और इसके अन्तर्गत अविवाहित बहिनों और भाइयों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

Accidents in Bhilai Steel Plant

5697. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether some accidents took place in Bhilai Steel Plant during 1974 and if so, the number and the causes thereof and whether any investigation has been made ; and

(b) if so, the broad outlines of reports in this regard and whether any steps have been taken to bring about improvements on its working ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Yes, Sir. During 1974, there were 233 reportable accidents in the operation Departments of the Plant. These were due to falling of persons, contact with or splashing of molten and hot metal, contact with handling materials, being struck by falling objects, striking or stumbling against material etc. All these accidents were investigated.

(b) The recommendations of the Investigating Committee have all been accepted and implemented by the Management. Additional safety measures introduced by the management have resulted in the reduction of accidents by 33 during the first quarter of 1975 as compared to the first quarter of 1974. The Plant has been winning national safety awards during the past four years. During 1974, the Plant won two national safety awards.

बोकारो इस्पात संयंत्र की प्रथम धमन भट्टी

5698. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की प्रथम धमन भट्टी ने जनवरी में अपनी निर्धारित क्षमता का 110.9 प्रतिशत के उत्पादन स्तर प्राप्त कर के नया रिकार्ड स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित क्षमता का अनुमान कम लगाया गया है अथवा उक्त धमन भट्टी ने कुछ विशेष कारणों से या प्रयत्नों से यह सफलता प्राप्त की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) भट्टी की निर्धारित क्षमता का अनुमान कम नहीं लगाया गया है जनवरी, 1975 में गर्म धातु के रिकार्ड उत्पादन की प्राप्ति अच्छे परिचालन, योजना बद्ध और व्यवस्थित प्रतिरोधक रख-रखाव और कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप हुई थी। फरवरी और मार्च, 1975 में भी निर्धारित क्षमता का क्रमशः 110% तथा 113% उत्पादन हुआ है।

आसाम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को जोड़ने वाली पार्श्विक सड़क का निर्माण करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाना

5699. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में 'लेटरल रोड' नाम से उस सड़क के निर्माण अथवा रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान के रूप में कोई राशि दी है जो पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा पर (कूच बिहार) से गोपालपाड़ा तक तथा आसाम के कामरूप जिले के कुछ भागों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से जुड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि अब तक दी गई राशि उक्त सड़क के सुधार तथा रख-रखाव में ठीक प्रकार से व्यय की जायें ; और

(ग) क्या सरकार की इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की कोई योजना है क्योंकि इसका बहुत अधिक सामरिक महत्व है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सीमा के निकट से होकर बहने वाली संकोश नदी से बिजली के निकट बहने वाली एई नदी तक पार्श्ववर्ती सड़क के निर्माण की लागत की ओर असम सरकार के लिए 1964-65 से 1972-73 तक कुल 827.09 लाख रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया। चूंकि यह एक राज्य सड़क है और इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, अतएव इसके अनुरक्षण के लिए न तो कोई सहायता अनुदान दिया गया है और न ही दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता अनुदान उपयोगी ढंग से खर्च किया जाए, भारत सरकार ने मानक और विशिष्टियां निर्धारित की हैं तथा डिजाइनों और अनुमानों को स्वीकृत किया है। इसके अलावा इस मंत्रालय के अधिकारियों ने समय-समय पर चालू कार्यों का निरीक्षण भी किया।

(ग) पांचवीं योजना के अन्तर्गत, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया गया है। इसलिए इस समय उस सड़क या उन सड़कों के बारे में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है जिन्हें इस अवधि के दौरान नये राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर लिया जायेगा।

Labour Burnt alive in Hindalco (U.P.)

5700. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a labourer was burnt alive by the officers in Hindalco Aluminium Factory in Uttar Pradesh;

(b) if so, whether Government conducted an enquiry into it;

(c) if so, the results thereof; and

(d) the action taken against the guilty persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) to (d) A statement indicating the information received from the Government of Uttar Pradesh, is attached.

Statement

Following information has been received by the Government of Uttar Pradesh from District Magistrate, Mirzapur:

"No labourer has been burnt alive by officers of Hindalco Aluminium Factory. One Gopal Singh, labourer of the Hindalco, while on duty on 21-11-74 accidently fell into a tub of boiling aluminium metal and was burnt. He was taken out of the tub but he immediately died. A report of the occurrence was lodged at Police Station Pipari on the same day at 1216 hrs. The S.O. along with his subordinate staff reached the place of occurrence and after pereparing panchaya nama sent the dead body for postmortem. The case was investigated by the S.O. and it was found to be a case of accident. The post mortem report also confirmed that the death occurred due to being burnt. No action was therefore taken against any one."

अन्तरिक्ष की जांच करने वाले उपकरणों और वाहनों की बरामदगी के लिए सोवियत संघ के जहाजों को पत्तन सुविधायें

5701. **श्री धर्म सिंह दादा भाई देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री अनादिचरण दास :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने अन्तरिक्ष की जांच करने वाले उपकरण और वाहनों का पता लगाने और बरामदगी के काम में उपयोग में लाये जाने वाले अपने जहाजों के लिये पत्तन सुविधाएं देने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सोवियत संघ की भारतीय उपग्रह छोड़ने की पेशकश इस शर्त पर आधारित है कि भारत उसे यह सुविधा देगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) हाल में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

कलकत्ता पत्तन से आय

5702. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन की आय में गत कुछ वर्षों से निरन्तर कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71, 1972-73 तथा 1974 के दौरान कितनी आय हुई और इस निरन्तर गिरावट के क्या कारण है ; और

(ग) इस पत्तन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन की आय गत कुछ वर्षों के दौरान घटती-बढ़ती रही है। 1970-71, 1972-73 और 1973-74 वर्षों के दौरान यह आय क्रमशः 23.66 करोड़, 27.53 करोड़ और 25.75 करोड़ रुपए थी। यह घट-बढ़ पत्तन में धरा उठाई किये गये यातायात में मुख्य रूप से कमी के कारण ही है, जो हैडवाटर सप्लाई के अभाव और उसके परिणामस्वरूप पत्तन में बड़े आकार के जहाजों के न आ सकने के कारणों ही से है।

(ग) पत्तन की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं या उठाये जा रहे हैं :—

(1) नयी भर्ती, गैर-किफायती कार्यों पर रोक, अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री या उन्हें किराये पर देने, ऐच्छिक सेवा निवृत्ति, योजना निर्माण और सामान्य व्यय में कमी जैसे कई किफायती उपाय, कलकत्ता पत्तन न्यास ने किये हैं और कर रहा है।

(2) पत्तन न्यास, पत्तन प्रभारों में उचित वृद्धि कर आय बढ़ाने के लिए भी कदम उठा रहा है।

(3) अधिक यातायात अपनी ओर लेने के लिए स्थायी उपाय के रूप में हल्दिया गोदी पद्धति और फरक्का बांध का निर्माण पहले ही प्रगति में है।

Indo-American Joint Commission

†5703. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Indo-American Joint Commission has agreed to co-operate this year in the fields of agriculture, energy, health, electronics, communications and environments; and

(b) if so, full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) & (b) Under the aegis of the Indo-US Joint Commission, three Sub-Commissions dealing with economic and commercial matters, sceintific and technological matters, and education and cultural issues were set up. The first two Sub-Commissions met in Washington on 20th-21st Jannuary, 1975, and 27th-29th January, 1975, respectively. The third Sub-Commission met in New Delhi on 3rd-5th February, 1975. These Sub-Commissions have, in their respective fields, identified areas of mutual co-operation. Their recommendations will come up for consideration as and when the next meeting of the Indo-US Joint Commission is held.

रांची में संख और केयल नदियों पर दो बड़े पुलों का निर्माण

5704. **श्री एन०ई० होरो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटानागपुर के क्रमशः रांची और सिंहभूम जिले में संख और केथल नदियों पर दो बड़े पुलों का निर्माण करने का विचार है ;

(ख) क्या प्रस्ताव बीस वर्ष पुराना है लेकिन धन की कमी के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका ; और

(ग) क्या छोटानागपुर और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के निकटवर्ती राज्यों के आधार-भूत ढांचे के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) संभवनया माननीय सदस्य का आशय जिला रांची सिमडेगा-कुर्देग सड़क को काटने वाली संख नदी और जिला सिंहभूम में मनोहरपुर-उन्धान-आनन्दपुर-बानु सड़क पर मनोहरपुर के निकट से निकलने वाली केल नदी से है ।

दोनों पुल बन जाने पर राज्य सड़कों पर पड़ेंगे । इसलिए बिहार सरकार इस मामले से मुख्यतः संबंधित है । परन्तु उसने अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम संबंधी अपने पांचवीं योजना प्रस्तावों में प्रस्तावित पुलों को भी शामिल नहीं किया है ।

पांचवीं योजना के मसौदे में, अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों संबंधी केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत नई योजनाओं के लिए केवल 30 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की गई है । इसके लिये विभिन्न राज्यों से 385 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । राज्यों की ओर से जिन योजनाओं का सुझाव नहीं दिया गया उन पर ऋण सहायता के लिए विचार करना तो एक तरफ रहा, भारत सरकार 30 करोड़ रुपये की सीमित व्यवस्था से पहले से प्राप्त मांगों में से बहुतों पर विचार करने में भी समर्थ नहीं है ।

Facilities to Indian Engineers sent Abroad

†5706. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the facilities Government afford to the engineers sent abroad?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : Facilities extended to engineers sent abroad under ITEC programme, Colombo Plan, SCAAP etc. include payment of compensatory allowance, children's education allowance, travel facilities for members of he family, provision of accommodation, medical facilities,l eave etc.

The quantum of these facilities is fixed after careful examination of the living conditions in the country to which the experts are sent and is periodically reviewed. For those who go abroad under direct recruitment contract with foreign governments or agencies, the terms and conditions of the contract lay down the facilities provided.

रत्नागिरि परियोजना

5707. **श्री भासाहेब धामनकर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1975 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'रत्नगिरि प्राजेक्ट नाट ग्राउट ग्राफ कुड्स' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही/उपाय किये गये है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री, (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) रत्नगिरि में एक एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना के लिए सरकार की स्वीकृति अप्रैल, 1974 को दी गई थी । अब तक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में तथा व्यय की अन्य आरम्भिक मदों पर 150 लाख रुपये व्यय हुए हैं । परन्तु वित्तीय दबावों के कारण परियोजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है ; ऐसा इस परियोजना के लिए धनराशि के निर्धारण के बाद किया जायेगा ।

गंगा नदी पुल परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल न करना

5708. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले 'सर्चलाईट' के 25 फरवरी, 1975 के अंक में "नान-इन्क्लूजन आफ गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट इन सेन्ट्रल सैक्टर रिग्रेटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित हुगली पुल का पूरा खर्चा केन्द्र द्वारा वहन करने के क्या कारण हैं जबकि पटना स्थित गंगा पुल का पूरा खर्च केन्द्र वहन नहीं कर रहा ; और

(ग) बिहार के साथ ऐसा भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कलकत्ता में दूसरा हुगली पुल केन्द्रीय सड़क कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय महत्व के विशेष सड़क/पुल कार्यों के कार्यक्रम में पांचवीं योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि 100% ऋण सहायता की व्यवस्था से यह पूरी तरह से केन्द्रीय वित्तीय परियोजना होगी । जहां तक पटना पुल का संबंध है बिहार सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नयी सड़कों को शामिल करने के लिए अपने प्रस्तावों में पटना-सोनवरसा सड़क को (जिनमें पटना में गंगा पुल शामिल है) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की योजना शामिल की है जो

भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित की जायेगी । चूंकि पांचवीं पंच वर्षीय योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नयी सड़कों को शामिल करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि किस विशेष सड़क, सड़कों का कहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अन्तिम चयन किया जा सकेगा । परन्तु तब तक पटना में गंगा पुल की व्यवस्था राज्य योजना में की जा रही है ।

चोग्याल द्वारा सिक्किम के वर्तमान ढांचे की आलोचना

5709. **श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के चोग्याल सिक्किम के लिए तथाकथित 'स्वतंत्र अस्तित्व' को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की सार्वजनिक रूप से मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने सिक्किम के वर्तमान ढांचे की आलोचना की है और इसे 'अलोकतांत्रिक और जनमत का प्रतिनिधित्व न करने' की संज्ञा दी है ; और

(ग) यदि हां तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास): (क) बताया जाता है कि चोग्याल ने कुछ इस तरह की बातें कही है—हालांकि सिक्किम का दर्जा विगत करारों तथा सिक्किम सरकार अधिनियम, 1974 के आधार पर पूर्णतः सुनिश्चित है ।

(ख) जी हां । 1 मार्च 1975 को काठमांडू के अपने प्रेस सम्मेलन में उन्होंने यह कहा था कि सिक्किम में कोई पूर्ण उत्तरदायी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है ।

(ग) भारत सरकार ऐसे वक्तव्यों से बहुत चिन्तित है जिनका एकमात्र परिणाम यही हो सकता है कि लोकतांत्रिक सिक्किम सरकार का अपने संवैधानिक अध्यक्ष से सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखना और भी कठिन हो जाए ।

सुवर्णरेखा पुल (उड़ीसा) का निर्माण

5710. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ पर सुवर्णरेखा पुल (उड़ीसा) के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अद्यतन वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या हाल में कुछ तकनीकी कठिनाइयां पैदा हो गयी है जिसके कारण निकट भविष्य में इसके पूरे होने की संभावना नहीं है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) उड़ीसा में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वर्णरेखा नदी पर कोई पुल निर्माणाधीन नहीं है । परन्तु इस नदी पर एक पुल का राज्य सड़क पर निर्माण हो रहा है जो बालासोर को खड़गपुर से जोड़ता है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना में 74.00 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया था जो उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने आधा आधा बांटा जाना था । कुल कुओं धसाई कार्य का 56% कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 12 कुओं में से 7 को धसाने का कार्य प्रगति में है

(ख) फरवरी, 1975 तक 27.75 लाख रुपए व्यय हो चुके थे ।

(ग) नीची सतह पर भूमि के बीयरिंग मूल्यों का पता लगाने में कठिनाई के कारण कुछ तकनीकी कठिनाई बताई गई है । परन्तु राज्य सरकार द्वारा दिये गये नवीनतम संकेतों के अनुसार निकट भविष्य में परियोजना के पूरा न होने की कोई आशंका नहीं है ।

केरल में लौह-अयस्क के निक्षेप

5711. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री केरल के खनिज निक्षेपों के सम्बन्ध में 21 मार्च, 1975 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) लौह अयस्क का प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में खनन किया जाता है,

(ख) इससे अधिक मात्रा में खनन करने में क्या बाधायें हैं, और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय खान ब्यूरो ने बताया है कि केरल में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं हुआ ।

(ख) और (ग) सामान्यत: केरल राज्य में लौह अयस्क के विक्षेप कम हैं और प्रमुख खनिज मैगनेटाइट है । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा इन निक्षेपों का पता लगाया जा रहा है । इन निक्षेपों का पूर्ण विदोहन क्वालिटी, ग्रेड, मात्रा, परिष्करण की सम्भावनाओं आदि तथा संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अन्तरण

5712. **श्री हरी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Setting up Health Co-Operatives in the Country

5713. **Shri Raghunandan Lal Bhatia:**

Shri Shrikrishan Modi :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether his Ministry is contemplating to set up health co-operatives in the country;

(b) whether his Ministry is also considering creatng a cadre of multipurpose workers in Rural areas; and

(c) if so, facts thereof ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque : (a) No.

(b) Yes.

(c) Multipurpose health workers capable of delivering a package of health services to the community are being introduced under this scheme. The basic health workers, family planning health assistants and vaccinators will be designated as health workers (Male) and auxiliary nurse midwives and midwives as health workers (Female). There will be one health worker (male) for evey 6000 to 7000 population and one worker (female) for every 10,000 population. Four such health workers will be supervised by a Health Supervisor.

मालवाही जहाजों की खरीद के लिये टेंडर मांगना

5714. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में मालवाही जहाज खरीदने के लिये विश्व के सभी देशों से टैन्डर मांगे थे,

(ख) हमने कितने जहाज खरीदे हैं और पिछले लगातार तीन वर्षों में किस मूल्य पर जहाज खरीदे गये, और

(ग) अन्य देशों ने तथा जिन देशों से हमने जहाज खरीदे हैं उन्होंने क्या दरें बताई थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) जहाज नौवहन कम्पनियां खरीदती हैं । जहाजों की खरीद के लिए टेंडर मांगना सामान्य नियम नहीं है । नये जहाजों के निर्माणार्थ आमतौर पर नौवहन कम्पनियां आर्डर देने के लिए संबंधित शिपयार्डों से वाणिज्यिक स्तर पर और संबंधित बिक्रेताओं से बरते हुये जहाजों की खरीद के लिए सीधे या दलालों द्वारा सम्पर्क स्थापित करती रही हैं ।

खरीदे गये जहाज उनके मूल्य तथा वे देश जहां से उन्हें खरीदा गया, का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	खरीदे गये जहाजों की संख्या	कुल लागत (रुपए करोड़ों में)	देश जहां से खरीदे गए हैं ।
1	2	3	4
1971-72	11	37.99	थाइलैंड/जी० डी० आर०/पश्चिम जर्मनी यू० के०/डेनमार्क/ भारत
1972-73	17	61.55	जी० डी० आर०/पश्चिमी जर्मनी/हांगकांग/ स्वीडन/स्पेन/जापान/यू० के०/फ्रांस/भारत
1973-74	28	150.82	यू० के०/नार्वे/स्वीडन पश्चिम जर्मनी/ जी० डी० आर०/स्पेन/रुमानिया/डेनमार्क/यू० एस० एस० आर०/यूगोस्लाविया/जापान/हांगकांग/ भारत

Construction of Ganga Bridge at Patna

+5715. **Shri Shankar Dyal Singh:**

Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the amount allocated so far by the Central Government for the construction of the bridge across Ganga at Patna and the amount to be provided during the Fifth Five Year Plan ;

(b) the extent to which construction work thereof has been completed, the work remains to be completed and the time by which it would be completed; and

(c) the amount of expenditure incurred thereon so far and the estimates of total expenditure thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H.M. Trivedi): (a) to (c) The proposed Ganga bridge at Patna falls on a State road and as such the Bihar Government are primarily concerned with all matters pertaining to its including planning, programming, tendering, construction, etc. In order however to assist the State Government financially, in the construction of this bridge, the Central Government agreed to provide during the 4th Plan, a non-Plan loan to meet 50% of the expenditure during that Plan subject to a maximum of Rs. 4.50 crores the entire balance being met by the State Government from their own resources. This amount was duly paid during the 4th Plan period.

There is no provision in the 5th Plan for the continuance of the aforesaid financial assistance. In 1975-76, the State Government asked for Rs. 10 crores for this bridge under the State Plan. Against this, it has been agreed to make a provision of Rs. 8.5 crores for the bridge in the State Plan in 1975-76.

The revised cost of the bridge is reckoned at Rs. 35.5 crores and a total expenditure of Rs. 15.64 crores is estimated to have been incurred on the bridge till the end of 1974-75. Since no progress reports are sent to the Government of India by the State Government, it being a State project, it is not possible to indicate the extent to which construction work has been completed and still remains to be completed.

काजू के कारखानों में मजूरी निर्धारित किया जाना

5716. **श्री डी० बी० चन्दगौड़ा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, काजू के कारखानों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस उद्योग में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या उनकी मजूरी निर्धारित करने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन पंजीकृत चालू

काजू कारखानों की संख्या, राज्य-वार और उनमें नियोजित श्रमिकों की अनुमानित दैनिक औसत संख्या निम्न प्रकार थी :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1972 (अनतिम) कारखानों की संख्या	उनमें नियोजित श्रमिकों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	32	898
2. गुजरात .	1	37
3. कर्नाटक	11	3,715
4. केरल	266	99,050
5. महाराष्ट्र .	13	1,171
6. तमिल नाडु	95	33,144
7. गोवा, दमन और दीव	13	970
जोड़	431	138,985

(ग) काजू उद्योग में रोजगार के लिए मजदूरियों के पुनरीक्षण/संशोधन हेतु राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन समुचित सरकारें हैं। मजदूरियां 5 वर्ष की अवधि के अन्दर पुनरीक्षित/संशोधित की जानी हैं।

ऐसे राज्यों में, जहां इस उद्योग में रोजगार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जाता है, मजदूरी की न्यूनतम प्रचलित दरें निम्न प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश	2.50 रु० प्रतिदिन
कर्नाटक	3.00 रु० प्रतिदिन (ग्रेडर) (महंगाई भत्ते को छोड़कर)
केरल	3.00 रु० प्रतिदिन (महंगाई भत्ते को छोड़कर)
महाराष्ट्र	68.90 रु० प्रति मास
तमिल नाडु	2.25 रु० प्रति दिन।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दैनिक रियायती टिकटें जारी किया जाना

5717. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम में मासिक रियायती टिकट फिर से जारी करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो दैनिक रियायती टिकटें फिर से जारी न करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां । पहली मार्च, 1975 से 50 रुपये मासिक दर से सर्वरूट मासिक अहस्तान्तरणीय पास पुनः चालू कर दिये हैं।

(ख) जब निगम के पास कुछ फालतू बसें थीं तो रविवार तथा अन्य छुटियों के दिन यात्रा के लिये प्रोत्साहन देने के लिये छुटटी के दिन भ्रमण टिकट चालू किये गये थे । इन टिकटों के जो आधार थे, उनमें महा टिकट अन्य दिनों के लिये भी उपलब्ध कराने से, में परिवर्तन आ गया था। ऐसे दिनों में निगम की बसों पर काफी दबाव रहता था और यह विचार किया गया कि इन टिकटों के जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड ने दैनिक भ्रमण टिकटों को फिर से शुरू करना उचित नहीं समझा।

एशियाई तथा अफ्रीकी विदेशों में हिन्दी शिक्षण की सुविधाएं

5718. **श्री बी० आर० शुक्ल :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में, जहां भारत मूल के काफी संख्या के लोग रह रहे हैं, (देवनागरी लिपि) में हिन्दी भाषा के शिक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध की है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और क्या सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) हिन्दी का पत्राचार पाठ्य-क्रम, शिक्षावृत्ति, वज़ीफे और विमान किराया दिया जाना, हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना, हिन्दी-विदेशी भाषा, कोषों का निर्माण, हिन्दी अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति, विदेशों में हिन्दी के साहित्यकार/पत्रकार/प्रकाशक भेजना और वहां से उन्हें बुलाना, स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देना तथा हिन्दी की पुस्तकें/चार्ट/कलाकृतियां/टाइपराइटर/लिंग्वाफोन रिकार्ड तथा अध्यापन में सहायक अन्य सामग्री—जिसमें हिन्दी पाठयक्रम और परीक्षाओं में सहायता और मार्गदर्शन शामिल हैं—ये कुछ सुविधायें हैं जो हम आमतौर से विदेशों को देते हैं । हम भारत में विदेशियों के लिये हिन्दी पाठों तथा हिन्दी शिक्षण का प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था कर रहे हैं ।

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की एक योजना का क्रियान्वयन हो रहा है और इसके लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 25 लाख रु० का प्रावधान किया गया है । कुछ एशियाई तथा अफ्रीकी देश, जैसे कि मलयेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, कीनिया तथा मारिशस जहां भारतीय मूल के काफी मात्रा में लोग रहते हैं, इस योजना में शामिल किये गये हैं ।

पुरानी और अनुपयोगी वाहनों की बिक्री में कथित घोटाला

5719. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री शशिभूषण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों में वितरण के लिये निर्धारित हजारों पुरानी और अनुपयोगी सैनिक-गाड़ियों की बिक्री संबंधित रक्षा मंत्रालय के कथित घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों की संख्या, नाम और पदनाम संबंधी ब्यौरा क्या है और उन में से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित फालतू, परित्यक्त वाहनों के जारी किये जाने में तथाकथित गड़बड़ी से संबंधित दो मामले दर्ज किये हैं । ये मामले सैन्ट्रल व्हीकल डिपो, अवाडी, मद्रास तथा सैन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली छावनी, दिल्ली से संबंधित हैं । इन दोनों मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी जांच-पड़ताल हो रही है ।

(ग) उत्तरदायी व्यक्तियों के ब्यौरे तभी पता चलेगें जबकि जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी । उसके बाद उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।

दिएगो गार्शिया विवाद के बारे में ब्रिटेन के साथ बातचीत

5721. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता, जिसका स्थापन 7 मार्च, 1975 को हुआ, के दौरान हाल ही अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों का पुनर्विलोचन किया गया;

(ख) क्या जैसा कि 8 मार्च, 1975 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में बताया गया है, ब्रिटिश द्वीप दिएगो गार्शिया में अमरीका द्वारा सैनिक अडडा स्थापित किये जाने के बारे में भी चर्चा के दौरान बातचीत हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा चिन्ताजनक प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार के साथ यह मामला द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ही उठाया गया हो । हमने ब्रिटिश सरकार के सामने बार-बार इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है कि ब्रिटिश और अमरीका सरकार के बीच हुए करार के अधीन दिएगो गार्शिया के अड्डे पर निरन्तर सुविधायें दी जा रही हैं और उनका विस्तार किया जा रहा है । ब्रिटिश सरकार का यह ख्याल है कि अड्डे का प्रस्तावित विकास सीमित है और इससे उस क्षेत्र की सुरक्षा को अधिक खतरा नहीं होगा ।

पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक गोलियां

5722. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान ने पुरुषों के लिये किसी गर्भनिरोधक गोली का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये गोलियां बाजार में कब तक आ जायेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं । तथापि राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान द्वारा पुरुषों के लिये एक गर्भनिरोधक गोली का क्लीनिकी परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) इस औषधि पर अभी परीक्षण हो रहा है ।

सेना में रेजीमेंटों के नाम

5723. **श्री समर गुहा** : क्या **रक्षा** मंत्री 13 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3250 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र तथा जाति पर आधारित कुछ रेजीमेंटों के नामों को ऐतिहासिक तथा पारस्परिक कारणों से रखा जा रहा हैं; और

(ख) यदि हां, तो (एक) क्षेत्र (दो) जाति (तीन) राज्य तथा अन्य ऐतिहासिक तथा परम्परागत कारणों पर आधारित रेजीमेंटों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या "बंगाली रेजीमेंट" नाम की एक रेजीमेंट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी लेकिन इसको रेजीमेंट के कुछ सैनिकों की देशभक्तिपूर्ण गतिविधियों के कारण विघटित कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो "बंगाली रेजीमेंट" का ऐतिहासिक नाम पुनर्जीवित किया जायेगा तथा तदनुरूप एक नई रेजीमेंट बनायी जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) 1914-18 के दौरान "49 बंगालीस" नामक एक यूनिट खड़ी की गई थी । उसके पश्चात यह 1922 से पूर्व विघटित कर दी गई थी; इसके कारणों का पता नहीं है ।

(घ) जी नहीं श्रीमन। सरकार की नीति किसी नई रेजीमेंट को किसी विशेष वर्ग, धर्म, क्षेत्र अथवा राज्य के नाम पर न खड़ी करने की है ।

विवरण

1. उन रेजीमेंटों का नाम जो क्षेत्र के नाम पर है ।

(1) बंगाल इंजीनियर ग्रुप।

(2) मद्रास इंजीनियर ग्रुप।

(3) बम्बई इंजीनियर ग्रुप।

(4) मद्रास रेजीमेंट।

(5) राजपूताना रायफल्स।

(6) गढ़वाल रायफल्स।

(7) कुमायुं रेजीमेंट और नागा रेजीमेंट।

(8) डोगरा रेजीमेंट।

2. उन रेजीमेंटों के नाम जो जातियों के नाम पर हैं।

(1) जाट रेजीमेंट ।

(2) सिख रेजीमेंट।

(3) गोरखा रायफल्स।

(4) राजपूत रेजीमेंट।

(5) मराठा एल० आई०।

(6) सिख एल० आई०।

(7) माहर रेजीमेंट।

3. उन रेजीमेंटों के नाम जो राज्यों के नाम पर हैं।

(1) पंजाब रेजीमेंट।

(2) असम रेजीमेंट।

(3) बिहार रेजीमेंट।

(4) जम्मू और कश्मीर रायफल्स।

4. उन रेजीमेंटों के नाम जिन्हें अन्य ऐतिहासिक तथा परम्परागत कारणों से रखा जा रहा है।

ऐसी कोई रेजीमेंट नहीं है । उपर्युक्त 1, 2 और 3 पर दी गई सभी रेजीमेंटों को ऐतिहासिक और परम्परागत कारणों से रखा जा रहा है ।

बिहार द्वारा केन्द्रीय सरकार को परिवार नियोजन प्रचार के एक बकाया बिल का भुगतान

5724. **श्री राम स्वरूप :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1973 में मैसर्स साइन पब्लिसिटी सैल नामक फर्म के अभ्यावेदन पर परिवार नियोजन प्रचार के लिये डेढ़ लाख रुपये से अधिक के बकाया बिल का भुगतान करने के लिये बिहार राज्य सरकार से कहा है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने भुगतान कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसका भुगतान शीघ्र कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) मैसर्स साइन पब्लिसिटी सैल का 1973 में मंडपों (किओसकस) के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार करने के सम्बन्ध में 1,59,272 रुपयों का एक बिल बिहार सरकार के पास बकाया पड़े होने की सूचना मिली थी । राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि यदि परिवार नियोजन बजट आवंटकों की बचतों से यह खर्च पूरा किया जा सकता हो (किन्तु नसबन्दियों के मुआवजे के लिये विशेष रूप से किया गया आवंटन इसमें शामिल नहीं है) तो भारत सरकार को उक्त बिल का निपटारा करने में कोई आपत्ति नहीं है । ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने उक्त प्रचार फर्म के साथ किम्रोसकस के माध्यम से प्रदर्शन द्वारा प्रचार करने की कोई संविदा नहीं की है, इसलिये किसी बकाया बिल का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ग) यह मामला राज्य सरकार और प्रचार फर्म के बीच का है और राज्य सरकार द्वारा उक्त स्पष्टीकरण दिये जाने पर इस संबंध में और आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

आसाम में नार्थ ट्रंक रोड का अधिग्रहण

5725. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में ब्रह्मपुत्र के उत्तर में स्थित नार्थ ट्रंक रोड का एक राष्ट्रीय राजपथ के रूप में अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं तो, इसे कब अधिगृहीत किया जायेगा; और

(ग) क्या लखीमपुर जिले में मिलारायास तथा सोनारीघाट के बीच सड़क के उस भाग में सुधार करने के लिये आसाम सरकार को कोई धनराशि दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) पांचवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । अतः इस समय उन सड़कों के बारे में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है, जिन्हें इस अवधि के दौरान नये राष्ट्रीय राजमार्गों के तौर पर लिया जायेगा ।

(ग) अमीगांव से जो नई तक उत्तरी ट्रंक रोड को केवल सुधार के लिये ही सीमा पथ विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल किया है। "टी" जंकशन से सोनारीघाट (सोनारीगांव) और अकाजान से लेखावाली तक की छोटी योजक सड़कें भी बोर्ड के कार्यक्रम में सुधार के लिये शामिल हैं । शिलापत्थर से 'टी' जंकशन तक की एन० टी० सड़क का एक भाग और 'टी' जंकशन से सोनारीघाट (सोनारीगांव) तक की योजक सड़क का रखरखाव असम सार्वजनिक निर्माण विभाग की एजेंसी के माध्यम से सीमापथ विकास बोर्ड द्वारा अपने धन से किया जाता है । फिलहाल, शिलापत्थर से सोनारीघाट खंड पर कोई भी सुधार कार्य हाथ में नहीं लिया गया है । इसलिये धन के आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

निम्नलिखित एन० टी० सड़क के भागों और योजक सड़कों के रखरखाव के लिये राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को 2.50 लाख रुपये का वार्षिक आवंटन दिया जाता है :—

एन० टी० सड़कः—

	कि० मी०
मोरीधल—सिसीबरगांव	8.84
सिसीबरगांव—टी जंकशन	5.68
'टी' जंकशन—अकाजन	3.66
अकाजन—शिलापत्थर	18.45
योजक सड़कें :	
अकाजन से लेखावाली	12.00
'टी' जंकशन—सोनारीघाट	7.20

धन के क्षेत्रवार आवंटन का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

Shortage of Ayurvedic Medicines

5726. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether there is a shortage in market of Ayurvedic Medicines having gold content and it has adversely affected the health of the people; and

(b) if so, the steps being taken by Government to remove this shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) & (b) The required information is being collected and will be furnished as soon as it is received.

नई दिल्ली में ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय परामर्श

5727. **श्री के० लकप्पा :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली के ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय परामर्श हुए थे;

(ख) किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर वातचीत की । वार्ता के वाद सहमति से जारी किया प्रैस वक्तव्य संसद की लायब्रेरी में रख दिया है ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा श्रमिकों को परेशान किया जाना और श्रमिक विरोधी तरीके अपनाया जाना

5729. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विभिन्न एककों के श्रमिकों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन बनाई गई है ;

(ख) क्या सरकार को फडरेशन के संकल्प प्राप्त हुए है जिनमें आर० एल० गुप्ता, ए० के० सरकार, जवाहर सिंह आदि जैसे प्रमुख श्रमिक नेताओं को परेशान किए जाने के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस विदेशी फर्म द्वारा श्रमिक विरोधी तरीके अपनाय जाने के बारे में भी संकल्प प्राप्त हुए हैं ;

(घ) क्या इस संदर्भ में एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ङ) हिन्दुस्तान लीवर मज़दूर सभा **और** हाल ही बनी हिन्दुस्तान लेवर्स लिमिटेड कर्मचारी यूनियनों की फेडरेशन ने हाल ही में अभ्यावेदन किए हैं जिनमें प्रबन्धकों पर अनुचित श्रम व्यवहारों/गाजियाबाद कारखाने के कुछ श्रमिकों **और** हिन्दुस्तान

लीवर लिमिटेड की नई दिल्ली शाखा के सर्वश्री आर० एल० गुप्ता और ए० के० सरकार को तंग करने का आरोप लगाया गया है । इन दोनों मामलों में यह विषय अनिवार्यत: राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह सलाह दी गई कि इस संबंध में वे अपनी शिकायतें संबंधित राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र को पेश करें । इस समय सरकार इस मामले में किसी राष्ट्रीय अधिकरण की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, न ही इसे आवश्यक समझा जाता है ।

अखिल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

5730. **श्री गजाधर माझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक अखिल भारतीय स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली संस्थान स्थापित करने का है : और

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान के लिये चुने जा रहे राज्यों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) इस संस्थान को कहां स्थापित किया जाये इस पर सरकार विचार कर रही है ।

भारतीय औषध केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की दूसरी अनुसूची का विभाजन

5731. **श्री मधु दंडवते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 दिसम्बर, 1970 को सभा में यह आश्वासन दिया था कि भारतीय औषध परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची को दो भागों में विभक्त किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या तदुपरान्त 6 अप्रैल, 1974 को आयोजित केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन परिषद की संयुक्त बैठक में इस अनुसूची को तीन भागों में विभक्त करने का सर्वसम्मत संकल्प किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आश्वासन तथा संकल्प को क्रियान्वित करने हेतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं। वैसे, संसद में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक (1970) पर बहस के दौरान यह कहा गया था कि नियम निर्माण शक्ति के अधीन दूसरी अनुसूची को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, नामत :—

1. राज्य अथवा केन्द्र द्वारा कानून के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान।

2. शेष भाग/दूसरी अनुसूची का सरकार की नियम निर्माण शक्ति के अधीन विभाजन करना सम्भव नहीं पाया गया है।

(ख) 6 अप्रैल, 1974 को हुई स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की केन्द्रीय परिषद् की संयुक्त बैठक में इस अनुसूची को तीन भागों में बांटने के लिये एक संकल्प पारित किया गया था।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् ने जिनसे इस बारे में परामर्श किया गया था, कुछ सुझाव दिये हैं। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की केन्द्रीय परिषद् की आगामी संयुक्त बैठक के सम्मुख इस मामले को रखने का विचार है।

दंडकारण्य में पुनर्वास कार्य का पुनरीक्षण करने के लिए आयुक्तों तथा परियोजना अधिकारियों की बैठक

5732. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंडकारण्य परियोजना के अन्तर्गत पुनर्वास कार्य के पुनरीक्षण के लिये नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के आयुक्तों तथा परियोजना अधिकारियों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों एवं दण्डकारण्य परियोजना में क्रियान्वित की जा रही पुनर्वास योजनाओं की 1974-75 में हुई प्रगति की समीक्षा करने और 1975-76 के लिये भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास कार्यक्रम पर विचार करने हेतु पुनर्वास विभाग ने 13-3-1975 और 14-4-1975 को परियोजना अधिकारियों एवं पुनर्वास आयुक्तों का एक सम्मेलन बुलाया था। सम्मेलन की सिफारिशें परीक्षणाधीन हैं और भावी कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय उन पर विचार किया जाएगा।

एक ब्रिटिश फर्म द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को घटिया सामग्री सप्लाई किये जाने का आरोप

5733. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1958 में एक ब्रिटिश फर्म द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कोक भट्ठियों के लिये घटिया सामग्री सप्लाई किये जाने के बारे में जांच आरम्भ की है ;

(ख) क्या उसी ब्रिटिश फर्म को कोक भट्ठी बैटरी नं० 1 की हाफ बैटरी बनाने का ठेका दिया गया है ;

(ग) क्या उसी कम्पनी को बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये एक अन्य ठेका दिया जा रहा है और कई लाख रुपये के ठेके पर हस्ताक्षर किये जाने वाले हैं जिसमें काफी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त ठेका देने से पूर्व भारत में इस कम्पनी की गतिविधियों की जांच करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) किसी भी ब्रिटिश फर्म द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोक भट्टियों के लिए घटिया सामग्री की कथित सप्लाई करने के बारे में कोई जांच नहीं की गई थी।

(ख) किसी ब्रिटिश कंपनी को इस प्रकार का कोई ठेका नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत द्वारा पनडुब्बी का निर्माण

5734. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पनडुब्बी के निर्माण के बारे में सरकार के पास एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई स्थित मजगांव गोदी पनडुब्बी निर्माण आरम्भ करने के लिये सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और मजगांव गोदी प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार की यह नीति है कि विभिन्न प्रकार के युद्ध पोतों जिसमें पनडुब्बियां भी शामिल हैं को स्वदेश में निर्माण करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये।

(ख) तथा (ग) माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस संबंध में और अधिक ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

बोकारो में रोजगार दिया जाना

5735. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अक्तूबर, 1973 को हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लिमिटेड बोकारो के कलकत्ता स्थित कार्यालय में टेक्नीकल असिसटेंट मकेनिकल के पदों के लिये इन्टरव्यू हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये उम्मीदवार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नहीं थे ;

(ग) यदि हां, तो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को इन्टरव्यू के लिये न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इन्टरव्यू के बाद बोकारो में नियुक्ति के लिये 225 व्यक्तियों की तालिका तैयार की गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या उनमें से केवल 79 व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और शेष तालिका रद्द कर दी गई है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अधीन बोकारो इस्पात प्रायोजना के लिये टेकनीकल असिसटेंट (मकेनिकल) के पद के लिये बोकारो स्टील सिटी में 25 सितम्बर, 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक इन्टरव्यू लिया गया था।

(ख) जी, नहीं। इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवार बिहार राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गये थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) इन्टरव्यू के बाद 242 व्यक्तियों की नामिका तैयार की गई थी जिसमे से 79 व्यक्तियों यों को उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियुक्त पत्र भेजे गये थे कई बार चुने हुए व्यक्ति नौकरी स्वीकार नही करते.? इसलिये बड़ी नामिका बनाई जाती है। यह नामिका एक वर्ष तक मान्य थी।

शिपयार्डो के स्थान

5736. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने शिपयार्ड काम कर रहे हैं तथा वे कहां कहां पर हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : नौवहन महानिदेशक को अद्यतन सूचना पर आधारित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे शिपयार्डों की संख्या उनके स्थानों के सहित को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड

1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड	विशाखापत्तनम
2. गार्डनरीच रीच वर्कशाप लि० . .	कलकत्ता
3. मजगांव डोक लि० . . .	बंबई
4. राजवगान डोकयार्ड . .	कलकत्ता
5. गोआ शिपयार्ड लि० . . .	गोआ
निजी क्षेत्र के शिपयार्ड	
6. एन्ड्र युल्ले एन्ड कं० लि० .	कलकत्ता
7. एलकोक एस सडाउन कं० लि०	बंबई
8. बंबई मैरिन इंजीनियरिंग वर्कस	बंबई
9. बूटन एन्ड कं० इंजीनियर्स लि०	कोचीन
10. चौगुले एन्ड कं० प्राईवेट लि०	मारमुगाव
11. ईस्ट बंगाल इन्जीनियरिंग वर्कस	कलकत्ता
12. ग्लेडस्टोनलाइल एन्ड कं० लि० .	कलकत्ता
13. हुगली डोकिंग एन्ड इंजीनियरिंग कं० लि०	कलकत्ता
14. पोर्ट इंजीनियरिंग वर्कस लि०	कलकत्ता
15. सिंधिया वर्कशाप्स लि०	बंबई
16. शालीमार वर्कस लि० . .	कलकत्ता
17. शापरिया डाक एन्ड स्टील कं० प्राईवेट लि०	बंबई
18. विशाल इंजीनियरिंग वर्कस प्राईवेट लि०	पानाजी, गोआ
19. केरिवर स्टीम नेवीगेशन कं० लि० . .	कलकत्ता
20. मोडर्न मेकेनिकल मेरिन वर्कस प्रा० लि०	बंबई

टिप्पणी : इस विवरण में कोचीन शिपयार्ड शामिल नहीं है जो निर्माणाधीन है और जिसके 1975-76 के दौरान पूरे होने की संभावना है। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी दो नये शिपयार्डों स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनके स्थान के बारे में अभी निश्चय किया जाना है।

खनिज रियायत नियमों के अधीन पुनरीक्षण याचिकाएं

5737. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और 1974 में सरकार को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 54 के अधीन राज्यवार कितनी पुनरीक्षण याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी पुनरीक्षण यचिकाएं निपटाई गई हैं अथवा आदेश जारी किए गए हैं ;

(ग) वर्ष 1973, 1974 और 1975 से कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं ; और

(घ) पुनरीक्षण याचिकाओं को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन पुनरीक्षण याचिकाओं को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी०–9403/75]

(घ) एक अन्य विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० –9403/75]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर में कथित मनमाने ढंग से पदोन्नति

5738. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर में अपने कर्मचारियों को मनमाने ढंग से पदोन्नति दी गई है ;

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर के कर्मचारियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया एवं नीति क्या है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को पदोन्नति दिए जाने के इस ढंग से विरुद्ध कोई आरोप अथवा विरोध प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधीन दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कर्मचारियों के पदोन्नति का मामला उनके रोजमर्रा के प्रशासन का मामला है और यह मामला पूर्णतया कारखाने/कंपनी के क्षेत्राधिकार में आता है। सरकार का इस मामले से प्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। कारखाने ने सूचित किया है कि मनमानी पदोन्नतियां नहीं की गई हैं। पदोन्नतियां निर्धारित नियमों तथा विनियमों तथा पद्धतियों के अनुसार की जाती हैं और उच्चतर पदों के कर्त्तव्यों को निभाने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों की उपयुक्तता को ध्यान में रख कर की जाती हैं।

अकार्यकारी (नान एग्जीक्यूटिव) श्रेणियों के नाम सेलेक्शन पदों में पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाती हैं और प्रवरण पदों में पदोन्नतियां योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं। कार्यकारी श्रेणियों में पदोन्नतियां सामान्यत: उपयुक्तता और योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

ग्राल इंडिया एम्पलाइज प्राविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन की मांगें

5739. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राल इंडिया एम्पलाइज प्रोवीडेण्ट फण्ड स्टाफ फेडरेशन ने 31 अक्तूबर, 1974 को सेन्ट्रल बोर्ड ग्राफ ट्रस्टीज के चेयरमैन को एक ग्राठ सूत्री मांग-पत्र प्रस्तुत किया था; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इन मांगों पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ग्रौर कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) जी हां।

(ख) ये मांगें मुख्यत: उन मामलों से संबंधित हैं, जिन्हें उचित विचार-विमर्श के पश्चात् पहले ही तय किया जा चुका है। क्षेत्रीय कार्यालयों में फराश ग्रौर जमादार के पदों को मर्जित करने से संबंधित मांग की जांच की जा रही है।

बेलाडिला सुरंग का निर्माण

5740. **श्री सरजू पांडे :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **इस्पात ग्रौर खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मात्रा में ग्रान्तभौमि जल ग्रा जाने के कारण बेलाडिला में सुरंग बनाने के काम में रुकावट पैदा हो गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या इस सुरंग का निर्माण ग्रारम्भ करने के पूर्व उचित भूगर्भीय सर्वेक्षण ग्रौर ग्रध्ययन किया गया था, यदि हां, तो किसके द्वारा ग्रौर उसके निष्कर्ष क्या थे;

(ग) सके कारण कितनी हानि हुई है; ग्रौर

(घ) क्या इस सुरंग को पूरा करने में विलम्ब का बेलाडिला के खनन निक्षेप संख्या 5 के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात ग्रौर खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 की सुरंग के निर्माण कार्य में प्रवेश विवरण से 293 मीटर खुदाई करने के पश्चात् भूगतजल निकलने ग्रौर मिट्टी खराब होने के कारण बाधा ग्राई है।

(ख) सुरंग के संरक्षण के लिए खुदाई का काम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० द्वारा किया गया था ग्रौर बाद में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच से इस बात की पुष्टि हो गई कि प्रवर्तमान परिस्थितियों में जो सीध निर्धारित की गई थी वह सबसे ग्रच्छी थी।

(ग) और (घ) यद्यपि इस कारण प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि नहीं हुई है तथापि सुरंग बनाने में आई प्रौद्योगिकी समस्याओं से बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब हो गया है जिसे अब 1976 तक पूरा होने की संभावना है।

अमरीका द्वारा अन्य देशों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की धमकी

5741. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व शांति परिषद् के महासचिव ने अमरीका सरकार द्वारा अन्य देशों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की खुली धमकी दिये जाने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से सब विकासशील देशों की बैठक बुलाने के लिए पहल का आग्रह किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) भारत सरकार ने इस आशय का कोई वक्तव्य नहीं देखा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में क्षय रोगियों का उपचार

5742. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रहने वाले कितने क्षय रोगियों को वर्ष 1973 में दिल्ली में क्षय रोग निवारक क्लिनिक में रखा गया था ;

(ख) जिन रोगियों का 1973 में क्षय रोग निवारक उपचार प्रारम्भ किया गया उनमें से कितने रोगियों ने 12 मास का उपचार आरम्भ किया ;

(ग) कितने प्रतिशत रोगियों को क्षेत्रीय स्वास्थ्यचर द्वारा 12 मास का उपचार पूरा करने के लिये बचाया नहीं जा सका; और

(घ) क्या क्षेत्रीय स्वास्थ्यचर के विरूद्ध उनके क्षेत्रीय कार्य में ढील के कारण कोई कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) 16,026।

(ख) 12,275।

(ग) 23.4 प्रतिशत।

(घ) जी नहीं। स्वास्थ्यचरों द्वारा हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी रोगियों को बचाया नहीं जा सका।

कलकत्ता में मलेरिया फैलना

5743. **श्री रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 1975 के कलकत्ता 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र सरकार ने कलकत्ता निगम को इस वर्ष एक लिटर मच्छर तेल की सप्लाई नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या मंत्रालय को पता है कि कलकत्ता में मलेरिया तेजी से फैल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कलकत्ता तथा उसके उपनगरों में मलेरिया का सामना करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) यह समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है। 1974–75 के दौरान कलकत्ता निगम को 159.00 किलो लिटर मलेरिया लार्वानाशी तेल सप्लाई किया गया था। इसके अलावा उन्हें, 1974–75 में 985 किलो वैकल्पिक लार्वानाशी (पेरिस ग्रीन) तेल सप्लाई किया गया है।

(ग) जी हां, कलकत्ता में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(घ) कलकत्ता निगम छिड़काव कार्य को तेज करने के लिए कार्यवाही कर रही है। निगम को लार्वानाशी तेल के अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ वियतनाम (डी०आर०वी०एन०) के विद्यार्थियों की संख्या

5744. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मंत्री हनोई के साथ सम्बन्ध के बारे में 20 फरवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ;

(ख) क्या डमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ वियतनाम (डी० आर० वी० एन०) के युद्ध विध्वंसित क्षेत्र के पुनर्वासन में सहयोग देने के लिए भारत द्वारा कोई औद्योगिक अथवा विकास योजना आरम्भ की गई है अथवा की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) छह।

(ख) और (ग) भारत वियतनाम लोकतंत्र को कृषि और पशुपालन की सुविधाएं दे रहा है।

Homoeopathy and Ayurvedic Courses done by Technical Staff of Safdarjang Hospital and All India Medical Institute, New Delhi

5745. **Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether some technical staff of the Safdarjang Hospital and the All India Institute of Medical Sciences in New Delhi have done Homoeopathy and Ayurvedic courses from the institutions recognised by Government; and

(b) whether they had sought permission for running part-time charitable dispensaries and if so, whether permission has been granted to them and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning : (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) Yes.

(b) Yes. The permission was not granted due to administrative reasons.

12 बोर के कारतूसों में सुधार

5746. **डा० कर्णी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय आयुद्ध कारखाने द्वारा सप्लाई की जाने वाली 12 बोर की नई कारतूसों में 'हैंग फायर' कारतूस भी शामिल थे;

(ख) क्या हाल में चण्डीगढ़ में हुए नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में 12 बोर के ऐसे 25 कारतूसों में से 5 से भी अधिक कारतूस फायर करने में असफल रहे ; और

(ग) भारतीय कारतूसों का इस पुरानी त्रुटि को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमन ।

(ख) आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक को नेशनल रायफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथापि, यह पता चला है कि नेशनल रायफल एसोसिएशन को सप्लाई किए गए कुछ कारतूस नहीं चले ।

(ग) आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक को नेशनल रायफल एसोसिएशन से एक रिपोर्ट प्राप्त करने और आवश्यक सुधारक उपाय करने की सलाह दी गई है ।

सिक्किम के चोग्याल की नेपाल यात्रा

5747. **श्री बिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के चोग्याल ने अपने हाल ही की नेपाल यात्रा के दौरान कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) सिक्किम की निर्वाचित सरकार ने सरकारी तौर पर भारत सरकार का ध्यान उस कठोर आपत्ति की ओर आकर्षित किया है जो उन्होंने चोग्याल की कुछ टिप्पणियों पर उठाई है और जो कि उनकी संवैधानिक भूमिका के अनुरूप नहीं समझी जाती ।

अमरीकी कार्टल वेस्टिंग हाउस के उप-प्रधान का भारत से भाग जाना

5748. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कार्टल वेस्टिंग हाउस का उप-प्रधान जमानत का उल्लंघन कर भारत से भाग गया है ;

(ख) क्या सरकार ने अमरीकी दूतावास के इस बारे में सत्यापन किया है कि भारत सरकार द्वारा उसका पारपत्र जब्त किये जाने के बाद इस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई पारपत्र जारी किया गया था अथवा नहीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी दूतावास से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अमरीकी राज दूतावास ने भारत सरकार को सूचना दी है कि फ्रैंकफर्ट में अमरीकी कोंस्लावास ने भारत-स्थित वेस्टिंग हाउस ट्रेडिंग कम्पनी के वाइस प्रेसीडेंट, श्री जान ड्रोबट को तब एक नया पासपोर्ट दे दिया जब वह फ्रैंकफर्ट पहुंच गए और पासपोर्ट के लिए दरखास्त दी। अमरीकी कानून के अंतर्गत, उन्हें ऐसे किसी भी अमरीकी राष्ट्रिक को इस प्रकार का पासपोर्ट देना पड़ता है जो नागरिक के रूप में अपनी पहचान सिद्ध कर सके।

राष्ट्रीय खनन विकास प्राधिकरण द्वारा गैर-सरकारी ठेकेदारों को खनिज का अधिकार दिया जाना

5749. **श्री स० के० चन्द्रप्पन :**

श्री झार खण्डे राय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण (एन० एम० डी० सी०) ने गैर-सरकारी ठेकेदारों को कुछ निक्षेपों का खनन करने का अधिकार दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ठेके की शर्तें क्या हैं और ठेकेदारों के नाम क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण अपने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को कितनी मजदूरी दे रहा है और ठेकेदार इसी श्रेणी के कर्मचारियों को कितनी मजदूरी दे रहा है ;

(घ) राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण तथा ठेकेदार कर्मचारियों को आवास चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी क्या-क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं; और

(ङ) उक्त ठेकेदार के अधीन कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छोटे नगरों तथा गांवों में काम करने के लिये डाक्टरों को अतिरिक्त लाभ

5750. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महानगरों की सीमा से बाहर नियुक्त किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी उन्हें अथवा उनके परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं की कमी के कारण किसी न किसी बहाने वहां जाने से इंकार करते हैं ;

(ख) क्या सरकार देश के छोटे नगरों तथा गांवों में काम करने की प्राथमिकता देने वाले चिकित्सा अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ देने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) जी हां, वे आम तौर पर ऐसा करते हैं।

(ख) और (ग) गांवों और छोटे-छोटे कस्बों में काम करने वाले डाक्टरों को सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार और कुछेक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(1) गांवों और शहरों में काम करने वाले डाक्टरों के लिए एम समान काडर बनाना।

(2) गांव भत्ता, परिवहन सुविधाएं, फर्नीचर समेत किराया-मुक्त मकान, पीने का पानी, बिजली आदि जैसे प्रोत्साहनों की इकट्ठी व्यवस्था करना।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भौतिक सुविधाओं विशेषकर इन केन्द्रों की इमारतों और रिहायशी मकानों से सम्बन्धित सुविधाओं में सुधार करना।

(4) अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत करना।

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काफी मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था करना।

Arrest of Indian Nationals in Burma

5751. **Shri Chandra Shailani:** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether some foreign nationals staying illegally in Burma were arrested there during the past few weeks;

(b) if so, the number of Indian nationals among them; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) to (c) According to our information action taken recently by the Burmese authorities against persons regarded as illegal immigrants has not involved any Indian nationals. The question of any action by the Government of India does not, therefore, arise.

दूसरा हुगली पुल

5752. **श्री विजयपाल सिंह : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित दूसरे हुगली पुल कलकत्ता के डिजाइन में हाल में किये परिवर्तनों से इस पुल का ठेका लेने वाले दो भागीदारों के बीच काफी गलतफहमी उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या यह गलतफहमी दूर हो गई है और इस पुल के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) प्रस्तावित दूसरा हुगली पुल मुख्यतः एक राज्य परियोजना है तथा नियोजन, कार्यक्रम बनाने, निर्माण, ठेके देने, परामर्शकों के साथ करार आदि संबंधी सभी मामलों पर राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

केन्द्रीय सरकार इस पुल के निर्माण में ऋण सहायता देकर राज्य सरकार को केवल वित्तीय सहायता देने को सहमत हुई है। प्रश्न में उठाये गये विषय के बारे में भारत सरकार को राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

सिगरेट और बीड़ी का उत्पादन

5753. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट की तुलना में बीड़ी स्वास्थ्य के लिये कम हानिकारक है ;

(ख) क्या बीड़ी उद्योग से 50 हजार कर्मचारियों को रोजगार मिलता है और इसका उत्पादन बढ़ाने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है ; और

(ग) चूंकि सिगरेट उद्योग से कम कर्मचारियों को रोजगार मिलता है और सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या सरकार देश में सिगरेटों के निर्माण आयात और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवहन नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) इस संबंध में अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 3 जनवरी, 1973 तक बीड़ी एवं सिगरेट कर्मचारी अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत आने वाले बीड़ी कर्मचारियों की संख्या 1,564,639 थी।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। वैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है--लोगों को इस बात की जानकारी देने की दृष्टि से सिगरेट के प्रत्येक पैकिट पर 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' इस आशय की चेतावनी छापने के लिए कानून बनाने का विचार है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् की पत्रिकाओं में लेखों को पुनः प्रकाशित करना

5754. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, तथा स्पैनिस पत्रिकाओं में सामान्यतः अन्य पत्रिकाओं में पहले ही छप चुके लेखों को पुनः प्रकाशित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या परिषद् की पत्रिकायें निश्चित तारीख को कभी भी प्रकाशित नहीं की जाती हैं ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। लेकिन, कागज की कमी के कारण या अंतिम तिथि को मुद्रणालयों की विफलता के कारण, जो परिषद् के नियंत्रण के बाहर है, कभी-कभी पत्रिका जारी करने में विलम्ब हो जाता है।

प्रिसीजन बीयरिंग इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच विवाद का निपटारा

5756. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रिसीजन बीयरिंगज इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा के श्रमिक 24 दिसम्बर, 1974 से हड़ताल पर हैं ; और यदि हां, तो इन श्रमिकों की मांगें क्या हैं ;

(ख) क्या ये मांगें श्रम आयुक्त को सौंपी गयी थीं जिसने समझौता फार्मूला का प्रस्ताव पेश किया था ; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या श्रम आयुक्त द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को प्रबन्धकों ने अस्वीकार कर दिया है ;

(घ) क्या श्रमिकों के सहयोग से यह कम्पनी 45 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमा रही है ; और

(ङ) यदि हां तो इस विवाद को हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

बुकारेस्ट में विश्व जनसंख्या सम्मेलन

5757. **श्री रेणुपद दास :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व के नए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के प्रश्न के प्रति अपने समचे दृष्टिकोण की जांच करने और उस पर पुनर्विचार करने तथा उसे वैज्ञानिक रूप देने का है ;

(ख) क्या बुकारेस्ट में हुए 12 दिवसीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन में प्राप्त हुए अनुभव को इस मंत्रालय के सीधे प्रबन्ध के अधीन परिवार नियोजन केन्द्रों में कार्य रूप दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) नये अनुभवों के आधार पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है जिससे कि इनको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बनाया जा सके।

(ख) ग्रौर (ग) विश्व जनसंख्या सम्मेलन बुकारेस्ट में विश्व कार्यवाही प्लान नामक एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका भारत ने मुख्य रूप से समर्थन किया। उक्त प्रलेख का मुख्य उद्देश्य लोगों को पूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं का अंग बनाते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देना है ताकि उनके जीवनस्तर में सुधार लाया जा सके।

भारत पहले से ही अपने जनसंख्या कार्यक्रमों में इन सिद्धान्तों का पालन कर रहा है। सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम मूलरूप से एक कल्याणकारी कदम है, जिससे अन्य विकास योजनाओं के साथ हमारे लोगों की जीवन स्थिति में सुधार होने की आशा है। परिवार नियोजन की सेवाएं स्वास्थ्य और पोषण सहित एकीकृत रूप से प्रदान की जाती हैं और प्रसूति और बाल स्वास्थ्य पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। यह कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ भी जुड़ा हुआ है।

नेत्रहीनों का इलाज करने सम्बन्धी कार्यक्रम

5758. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन 50 लाख नेत्रहीन व्यक्तियों का शल्य चिकित्सा द्वारा इलाज करने के लिए जिन्हें फिर से दिखाई दे सकता है, 'नेशनल सोसायटी फार दी प्रिवेनशन ऑफ ब्लाइन्डनेस' ने शल्य-क्रिया का एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उसके कब तक प्रारंभ होने की संभावना है; और

(घ) कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

चीन द्वारा नेपाल से भारत-विरोधी गतिविधियां की जाना

5759. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन द्वारा नेपाल से भारत-विरोधी गतिविधियां किये जाने की अनुमति देने पर नेपाल सरकार से रोष प्रकट किया है;

(ख) क्या इस बारे में नेपाल सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या चीन अभी भी नेपाल से भारत-विरोधी गतिविधियां कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार उन गतिविधियों का प्रतिरोध करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) हमारे नेपाल स्थित राजदूतावास ने नेपाल सरकार का ध्यान काठमांडू स्थित चीनी राजदूतावास द्वारा किए जा रहे भारत-विरोधी आपत्तिजनक प्रचार की ओर आकर्षित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि किसी तीसरे देश की राजधानी में भारत-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए वे आवश्यक कदम उठायें।

(ग) नेपाल सरकार ने हमें यह आश्वासन दिलाया कि उचित कार्रवाई की जाएगी।

(घ) अभी भी काठमांडू में चीनी राजदूतावास से समय-समय पर इस तरह की भारत-विरोधी प्रचार सामग्री निकलती रहती है।

(ङ) नेपाल सरकार से निरन्तर सम्पर्क के अतिरिक्त भारतीय राजदूतावास ने काठमांडू में चीनी प्रचार का प्रतिकार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए है।

फिजी के प्रधान मंत्री का भारत का दौरा

5769. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी के प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी भारत सरकार के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) फिजी के प्रधानमंत्री सम्मानीय रातू सर केमिसेसे मारा ने 7 से 8 मार्च, 1975 तक भारत की यात्रा की थी। दिल्ली में अल्पावधि प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया।

इण्डियन ड्रग मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन में भूतपूर्व औषध नियंत्रक की नियुक्ति

5761. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व औषध नियंत्रक सेवानिवृत्ति के पश्चात् इण्डियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन में किसी पद पर नियुक्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नियम 531-बी०सी०एस०आर० और पेंशन नियम के अनुसार सरकार की अनुमति प्राप्त की गई थी यदि हां, तो इस पद के विनियमन संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा बनाई गई हाथी समिति में भी इसी अधिकारी को नियुक्त किया गया था।

(घ) यदि हां, तो सरकार ने किस कारण से एक सेवा निवृत्त अधिकारी को गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी समिति में एक साथ काम करने की अनुमति दी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) सरकार को न तो यह जानकारी है कि भारत के भूतपूर्व औषध नियंत्रक इण्डियन ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन में किसी पद पर नियुक्त हो गये हैं न ही उन्होंने इसके लिये अनुमति प्राप्त की है।

(ग) और (घ) इस अधिकारी को उनके सेवानिवृत्त होने से पहले हाथी समिति के एक सदस्य के रूप मैं नियुक्त किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष के अनुरोध पर उक्त अधिकारी के अनुभव और इस समिति के साथ उनके सेवानिवृत्त से आठ महीने के पहले के सम्पर्क को ध्यान में रखते हुए सेवा निवृत्ति के बाद भी व्यक्तिगत रूप में उन्हें समिति के एक सदस्य के तौर पर काम करते रहने की इजाजत दी गई थी।

श्रमिक शिक्षा केन्द्र

5762. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्यवार) श्रमिक शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन केन्द्रों से कुल कितने श्रमिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ग) उक्त अवधि में इन प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या इन केन्द्रों के कार्यकरण और उपयोगिता के बारे में कोई सर्वेक्षण अथवा मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :

(क)	आन्ध्र प्रदेश	3
	असम	2
	बिहार	3
	गुजरात	2
	हरियाणा	1
	कर्नाटक	3
	केरल	2
	मध्य प्रदेश	3
	महाराष्ट्र	4
	उड़ीसा	1
	पंजाब	1
	राजस्थान	1
	तमिलनाडु	3
	उत्तर प्रदेश	3
	पश्चिमी बंगाल	4
	संघ शासित क्षेत्र :	
	दिल्ली	1
	जोड़	37

(ख)	1971-72	176,877
	1972-73	222,031
	1973-74	315,381
	जोड़	714,289

(ग) 1971-72	. . .	75,04,360 रुपये
1972-73	. . .	75,29,319 रुपये
1973-74	. . .	81,68,806 रुपये
जोड़	. . .	2,32,02,485 रुपये

(घ) 1971-74 के तीन वर्षों के दौरान कोई भी नहीं; उससे पहले, इस विषय पर, राष्ट्रीय श्रम आयोग और प्राक्कलन समिति ने रिपोर्ट दी थी। इन के अलावा, जुलाई, 1974 में श्रमिक शिक्षा पुनरीक्षा समिति स्थापित की गई है। इसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ङ) अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि श्रमिक शिक्षा योजना में ट्रेड यूनियनों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों आदि को अधिकाधिक भाग लेना चाहिए; साहित्य के उत्पादन में तीव्रता लाई जानी चाहिए तथा उसमें सुधार किया जाना चाहिए; इस योजना को सतत आधार पर चलाया जाना चाहिए और केन्द्रीय बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिए; इसमें सरकारी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए; बोर्ड के कार्यकलाप ट्रेड यूनियनों को सौंप दिए जाने चाहिए और बोर्ड का अध्यक्ष और निदेशक, यथा-समय, ट्रेड यूनियनों के नामित व्यक्ति होने चाहिए; इस योजना को कानूनी स्वरूप देने की वांछनीयता की जांच की जानी चाहिए; इत्यादि-इत्यादि।

भारत और बंगलादेश के बीच समुद्र में तेल वाले क्षेत्र (स्ट्रक्चर्स)

5763. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच समुद्र में तेल युक्त क्षेत्रों (स्ट्रक्चरों) के प्राचुर्य को देखते हुए क्या सरकार दोनों देशों के मध्य समुद्री-पट्टी का निर्धारण करने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ बातचीत की गति को तेज कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के होने की कहां तक संभावना है;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उस क्षेत्र में तेल वाले क्षेत्रों की उपस्थिति के बारे में यदि कोई अनुमान लगाया गया है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इन क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) से (ग) बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के परिसीमन के प्रश्न पर भारत और बंगलादेश की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। पिछले तीन महीनों में समुद्री सीमा के प्रश्न पर नई दिल्ली में दो बार और ढाका में एक बार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत हुई है जिनका नेतृत्व उनके अपने विदेश सचिवों ने किया था। पिछली बैठक में, जो कि विदेश मंत्रियों के स्तर पर 29 मार्च से 2 अप्रैल 1975 तक नई दिल्ली में हुई थी, दोनों पक्ष सहमत हुए कि बातचीत ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां उन्हें शीघ्र और परस्पर संतोषजनक समाधान पाने का विश्वास हो गया है।

(घ) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों से दूर कन्टिनेंटल शैल्फ के एक भाग में भूकम्प सर्वेक्षण के उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। अब तक एकत्र की गई सूचना पर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है कि क्या खोज के लिए ड्रिलिंग का कार्य हाथ में लिया जाए।

मध्य प्रदेश के शाहपुर क्षेत्र में पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत नए प्रवासियों के लिये सिंचाई सुविधाएं

5764. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य के बेतूल जिले में शाहपुर पुनर्वास परियोजना के क्षेत्र में नये प्रवासी परिवारों को स्थायी रूप से बसाये जाने की दृष्टि से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस पुनर्वास क्षेत्र में नए प्रवासियों का 5 एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से सिंचित भूमि दी जानी थी; और

(ग) यदि हां, तो विचाराधानी योजनाएं क्या हैं और सरकार का उनको कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) 20 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के भाग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

यह ठीक ठीक बताना संभव नहीं है कि विचाराधीन सिंचाई योजनाएं किस समय तक निष्पादित की जाएंगी लेकिन उन्हें शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सभी यथा-संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बंगलादेश को वित्तीय सहायता

5765. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने बंगलादेश को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) उस देश को दी गई तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बंगलादेश ने और सहायता मांगी है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) सरकार से सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तरों पर भारत द्वारा बंगलादेश को दी गई सहायता (वाणिज्यिक ऋण तथा स्वयं सेवी राहत संस्थाओं द्वारा संभरण) की कुल राशि 308 करोड़ रुपये है।

(ख) बंगलादेश के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमेंट, उर्वरक तथा स्पंज लोहा के क्षेत्रों में डेवलपमेंट कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय उर्वरक निगम तथा मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लि० द्वारा तीन संभाव्यता अध्ययन किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बंगलादेश के 110 कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, बंगलादेश राष्ट्रिकों को भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए 160 छात्रवृत्तियां दी गई।

(ग) जी हां। इस पर विचार किया जा रहा है।

बस और विशेष कोचों से यात्रा करने वाले पर्यटकों को रोका जाना

5766. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यीय यात्रा के समय भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों को ले जाने वाली बसों और विशेष कोचों को विभिन्न राज्यों द्वारा रोका जाता है, उनसे कई प्रकार के कर लिये जाते है और उन पर कई प्रकार के नियम और नियंत्रण लागू किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त रुकावटों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या पर्यटन बढ़ाने के विचार से समुचित कार्यवाही करके स्थिति में सुधार करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कैसे और कब ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (घ) पर्यटन गाड़ियों के निर्बाध अन्तर्राज्यीय आने जाने में मुख्य बाधाएं हैं—इन गाड़ियों पर लगने वाले करों की बहुविधता और इन गाड़ियों के बारे में परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर संबंधी क्रिया विधि की अपेक्षाएं। एक ऐसी योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत देश भर में बिना प्रतिहस्ताक्षर और इकहरे कराधान के आधार पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, 100 पर्यटन टैक्सियों और 25 पर्यटन ठेका गाड़ियों को, परमिट जारी करेंगे। ऐसी गाड़ियों के लिये अखिल भारत परमिट देने के लिये मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 63 में स्थायी व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं।

परन्तु यह योजना तभी कार्यान्वित की जा सकती है, जब कि सभी राज्य अपने अपने क्षेत्रों में दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पर्यटन गाड़ियों को सड़क कर और यात्रीकर के भुगतान से छूट दे देते हैं, बशर्तें कि उन गाड़ियों से संबंधित कर 'अपने' राज्य में अदा कर दिया गया हो। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा मणिपुर और तमिलनाडु की सरकारों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, दमन और दीव, दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य प्रशासनों ने या तो पर्यटन गाड़ियों को दोनों सड़क कर और यात्री कर से छूट दे दी है या वे छूट देने के लिये सहमत हो गये हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केरल की सरकारों तथा मिजोरम का संघ प्रशासन, इन गाड़ियों को केवल मोटर गाड़ी कर से छूट देने के लिये ही सहमत हुए हैं। पर्यटन गाड़ियों को दोनों करों से छूट देने का प्रश्न जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मेघालय और त्रिपुरा की सरकारों के विचाराधीन है जिसके साथ मामले में बातचीत की जा रही है।

कुछ देशों द्वारा समुद्री क्षेत्राधिकार का विस्तार

5767. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ देशों द्वारा समुद्री क्षेत्राधिकार के विस्तार के बारे में लन्दन से आने वाले दिनांक 13 फरवरी, 1975 के पी०टी०आई० के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) जी, हां। यह रिपोर्ट छपी थी कि कुछ राज्यों द्वारा समुद्र और उसके संसाधनों पर अपना राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र बढ़ाने हेतु एक तरफा कार्यवाही करने के लिए दबाव बढ़ रहा है।

(ख) समुद्री कानून पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का सत्र इस समय 17 मार्च से 10 मई 1975 तक जेनेवा में चल रहा है। समुद्री कानून से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मेलन के सामने हैं इनमें समुद्रतटीय राज्य का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का प्रश्न भी शामिल है। भारत सरकार इसमें भाग ले रही है और इसका यह मत है कि तटवर्ती राज्य को 12 मील राजक्षेत्रीय समुद्र और समुचित आधार-रेखा से नापे गए 200 मील के एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र का हकदार होना चाहिए। इस आर्थिक क्षेत्र पर तटवर्ती राज्य का वहां के सजीव और निर्जीव संसाधनों पर पूर्ण अधिकार तथा समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए एकान्तिक क्षेत्राधिकार होना चाहिए। भारत सरकार का यह भी मत है कि किसी राज्य का प्रायद्वीपीय शैल्फ उसके भूमि क्षेत्र का स्वाभाविक प्रवर्द्धन है और यह प्रायद्वीपीय शैल्फ सीमान्त के बाह्य किनारे तथा विस्तृत होना चाहिए जहां यह वितल पैदान या समुद्र तल से मिलती है।

पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण बसों के किराये में वृद्धि

5768. **श्री समर गुह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों में अत्यधिक वृद्धि होने से सारे देश में बसों तथा टैक्सियों के भाड़े में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1973 में पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के टैक्सी के किरायों में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक वृद्धि की। 1-3-74 से पैट्रोल के मूल्य में और वृद्धि होने के फलस्वरूप 6-3-1974 से दिल्ली में टैक्सी के किरायों में लगभग 11 प्रतिशत की और वृद्धि की। अन्य राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टैक्सी के किराये में की गई या ऐसी वृद्धि यदि कोई हो करने के प्रस्ताव के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

डीजल आयल, जिसे अब बसों में ईंधन के तौर पर अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है के मूल्य में केवल नाम मात्र की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से बसों की परिचालन लागत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने अपने इलाकों में नवम्बर, 1974 के बाद बस किराये बढ़ा दिये हैं, परन्तु उस मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है, जो कि डीजल आयल के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है।

मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं की गतिविधियां

5769. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले टाइम्स आफ इंडिया के 18 जनवरी, 1975 के अंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार गत एक महीने के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के निकटवर्ती भारतीय समुद्री सीमा में, मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं की घुसपैठ में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मछली पकड़ने वाली ये विदेशी नौकाएं मछली पकड़ने के नाम पर अन्य गतिविधियों में लगी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां श्रीमन्।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपों के आस पास भारतीय समुद्री सीमा का अधिकांशतः मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों द्वारा उल्लंघन करने की कई घटनाएं हुई हैं। कुछ मामलों में यह देखा गया था कि नौकाएं अग्नि-शस्त्र लिए हुए थीं। जब कभी इन नौकाओं को देखा गया उनका पीछा किया गया और कुछ मामलों में उन्हें पकड़ लिया गया। स्थानीय सिविल प्रशासन द्वारा पकड़ी गई नौकाओं पर कार्रवाई की जाती है। इस प्रयोजन के लिए जितनी गश्ती नौकाएं उपलब्ध हो सकती है उतनी नियुक्त की जाती हैं और हमारी समुद्री सीमा में घुस-पैठ रोकने के सभी प्रयत्न किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं श्रीमन्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फरीदाबाद में बिजली की कटौती के कारण कारखानों में मजदूरों की जबरन छुट्टी

5771. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई में कटौती करने के कारण फरीदाबाद में 70,000 से अधिक श्रमिकों को जबरन छुट्टी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) धन राशि तथा उत्पादन की दृष्टि से इसका छोटे उद्योगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

उत्तर यूरोपीय देश में भारत के लिये निर्मित सुपर टैंकरों की लागत

5772. **श्री रणबहादुर सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर यूरोपीय देश में भारत के लिये निर्मित्त किये जा रहे दो सुपर टैंकरों की कुल लागत कितनी है और ये टैंकर कब तक सौंप दिये जायेंगे;

(ख) जहाज निर्माताओं के साथ किये गये भुगतान करार की मुख्य बातें क्या है;

(ग) ये टैंकर जब सौंप दिये जायेंगे, किस निश्चित मार्ग पर चलेंगे ; और

(घ) क्या मूल्य में वृद्धि के कारण अशोधित तेल की मांग में मंदी आ जाने से विश्व के अधिकांश सुपर टैंकर बेकार हो गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) उत्तर यूरोपीय देश में भारत के लिये कोई भी सुपर टैंकर निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

डाक्टरों का नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता बन्द करना

5773. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य डाक्टरों को 'नान प्रैक्टिसिंग' भत्ता देने की पद्धति को समाप्त करने के बारे में विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या ऐसे भत्ते को बन्द करने से इन राज्य के पिछड़े क्षेत्र अनुभवी डाक्टरों की सेवाओं से वंचित हो जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लाभसराय गांव के लिये विशेष कुष्ठ उपचार केन्द्र

5774. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव के अन्तर्गत 1973 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के लाभसराय गांव के लिये एक विशेष कुष्ठ उपचार केन्द्र मंजूर किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या गांव में अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ग) क्या इस गांव के लगभग 40 प्रतिशत निवासी कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस रोगग्रस्त गांव के लोगों को सहायता देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने हाल में ही 7 जनवरी, 1975 को लाभसराय गांव के लिए एक सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्र मंजूर किया है। आशा है कि यह यूनिट इस दिशा में शीघ्र प्रगति करेगी।

(ग) जी नहीं, सीधी जिले में कुष्ठ रोग का प्रतिशत लगभग 0.25 है। लाभसराय गांव में रोग कितना फैला हुआ है यह बात गांव में एस०ई०टी० केन्द्र द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने पर ही ज्ञात हो सकेगी।

(घ) एस०ई०टी० केन्द्र खुलने के बाद वह पर्याप्त सुविधाएं देगा।

गर्भ निरोधक टीके

5775. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :**

श्री एच०ग्रार० बकारिया :

श्री डी०पी० जदेजा :

क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित गर्भ निरोधक टीके के ग्रब तक किये गये प्रयोगों का ब्योरा क्या है ग्रौर उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : चूहों, खरगोशों, बकरियों ग्रौर बन्दरों पर सफलतापूर्ण प्रयोगों के पश्चात्, मार्च, 1974 में सीमित संख्या में मानव विषयों पर क्लीनिकल परीक्षण ग्रारम्भ किये गये थे। इन केसों की एक वर्ष से भी ग्रधिक समय तक देखभाल की गई है। गर्भ निरोधक टीके का इन केसों पर ग्रब भी प्रभाव है ? ग्रौर यह भी देखा गया है कि गर्भ निरोधक टीके का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

ग्रायुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को उचित मान दिया जाना

5776. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3, 4 ग्रौर 5 फरवरी, 1975 को पांडीचेरी में ग्ररविन्द ग्राश्रम में हुए ग्रखिल भारतीय ग्रायुर्वेदिक कांग्रेस के 48वें पूर्ण ग्रधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास कर ग्रायुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को उचित मान दिये जाने की मांग की गई थी; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है ग्रौर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) संकल्प संख्या 2, 3, 4 ग्रौर 5 की एक एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—9404/75**] सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

नेपाल में भारतीय शिक्षकों की छटनी

5777. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में नई शिक्षा योजना ग्रारम्भ किये जाने के बाद विभिन्न स्कूलों ग्रौर कालेजों में काम कर रहे शिक्षकों की बड़ी संख्या में छंटनी की जा रही है क्योंकि वे भारतीय मूलक हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ग्रौर इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) ग्रब तक हमें तीन भारतीय ग्रध्यापकों की याचिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनकी नेपाल की शिक्षा योजना के परिणामस्वरुप छंटनी की गई है।

(ख) नेपाल स्थित हमारे राजदूतावास ने संबंधित नेपाली प्राधिकारियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श किया है। सबसे हाल का विचार विमर्श 20 मार्च 1975 को हुआ। नेपाल सरकार ने कहा है कि अनागरिक अध्यापकों के साथ, जो पिछले कई वर्षों से नेपाल में कार्य कर रहे थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। ऐसा शांति एवं मैत्री के लिये 1950 की भारत-नेपाल संधि की भावना के अनुरूप भी है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण हानि

5778. **श्री बसन्त साठे**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अत्यधिक संख्या में औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो बड़े उद्योगों संबंधी तीन वर्षों के आंकड़ें क्या है; और

(ग) उन चुनीदा उद्योगों में दुर्घटनाओं की ऊँची दर को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है जहां दुर्घटनाएं बड़ी संख्या में होती हैं?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) और (ख): दुर्घटनाओं के कारण कुल हानि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, श्रम ब्यूरो के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, 1970 से 1972 तक के वर्षों के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों में घातक और गैर-घातक चोटों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	दुर्घटनाओं के कारण पहुंची चोटें		
	घातक	गैर-घातक	जोड़
1	2	3	4
1970	613 (0.05)	287,560 (23.56)	288,173 (23.61)
1971 (अ)*	635 (0.05)	324,545 (26.45)	325,180 (26.50)
1972 (अ)†	647 (0.05)	280,532 (22.16)	181,179 (22.21)

(अ)–अनंतिम

* इसमें मणिपुर के बारे में सूचना शामिल नहीं है।

† इसमें केरल और मणिपुर के बारे में सूचना शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े काम किए गए एक लाख श्रम दिनों के अनुसार आवृत्ति दरों को दर्शाते हैं।

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अन्तर्गत बनाए गए राज्य कारखाना नियमों में निर्धारित सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को लागू किया जा रहा है, उनकी लगातार पुनरीक्षा की जा रही है और जहां कहीं आवश्यक है, उनमें परिवर्धन तथा सुधार किया जा रहा है। राष्ट्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र, क्षेत्रीय श्रम विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के जरिए सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और शिक्षा भी दी जा रही है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा जिक ड्रांस की सप्लाई

5779. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने एक ऐसी पार्टी को जिंक ड्रांस की सप्लाई करने का ठेका दिया था जिसने टेंडर नहीं दिया था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त ठेका कितनी राशि का था और उक्त पार्टी द्वारा नियमित रूप में टेंडर न दिये जाने पर भी यह किन परिस्थितियों में दिया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : दो पार्टियों को जिंक ड्रोज 10,650 रुपये प्रतिटन की दर से बेचा गया है। कलकत्ता बाह्य मूल्य था और इसमें बिक्री कर शामिल नहीं था। एक पार्टी ने 150 टन तथा दूसरी पार्टी ने 10 टन जिंक ड्रोज खरीदा था। चूंकि बाजार में इसके मूल्य में बहुत घट बढ़ होने के कारण, कारखाना टेन्डर द्वारा विशिष्ट मात्रा बेचने में सफल नहीं हुआ। अतः कारखाने ने उत्पाद को एक निश्चित मूल्य पर उसी तरीके से बेचने का निश्चय किया जिस तरीके से विविध इस्पात और औद्यौगिक तथा मेल्टिंग स्क्रैप बेचा जाता है अर्थात् जो भी पार्टियां माल को निश्चित किये गये मूल्य पर खरीदना चाहें वे उस मूल्य पर खरीद सकती हैं।

राउरकेला इस्पात संयत्र में भर्ती

5780. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघ के साथ हुए एक समझौते के अनुसार, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र में बड़ी संख्या में लोग भर्ती किये गये थे और कई हजार लोगों की पदोन्नतियां हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो दोनों मामलों में सही सही संख्या कितनी है तथा उसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सूखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खेतड़ी तांबा उद्योग समूह में दुर्घटना

5781. **श्री बशेश्वर नाथ भार्गव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा उद्योग समूह के खनन क्षेत्र में 5 जनवरी, 1975 को एक घातक दुर्घटना हुई थी तथा क्या इसकी सूचना खान अधिनियम के अनुसार खान सुरक्षा महानिर्देशक को दी गई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या खेतड़ी तांबा उद्योग समूह के प्रबन्धकों ने खान अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ; और

(ग) ऐसे गंभीर उल्लंधन के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) **मैसर्स** हिन्दुस्तान कापर लि० की खेत्री तांबा खान में एक घातक दुर्धटना 5 फरवरी, 1975 को हुई और 5 जनवरी, 1975 को नहीं, जैसा कि प्रश्न में बताया गया और इसकी सूचना उसी दिन खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक, अजमेर को दी गयी थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खेतड़ी तांबा संयंत्र समूह में क्षतिग्रस्त भट्टी

5782. **श्री बशेश्वर नाथ भार्गव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घमन-भट्टी (फुलैश फरनेस) में ब्रिक-लाईनिंग के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण खेतड़ी तांबा संयंत्र-समूह की भट्टी तथा स्मेल्टर संयंत्र के बन्द होने की नौवत आ गई है ;

(ख) क्या उपरोक्त तथ्य के अलावा खेतड़ी तांबा संयंत्र-समूह के प्रबन्धकों का विचार स्मेल्टर संयंत्र को बन्द कर देने का है क्योंकि अपेक्षित क्षमता तक इस संयंत्र की आवश्यकता पूरी करने के लिये भंडार उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) क्या खेतड़ी खान बन्द है ; यदि हां, तो कितनी अवधि से वन्द है और सके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सूखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) यह सही नहीं है कि ब्रिक–लाइनिंग के क्षतिग्रास्त होने अथवा तांबा सान्द्रों के न मिलने के कारण खेतड़ी प्रद्रावक संयंत्र बन्द हो गया है। खेतड़ी प्रद्रावक में परीक्षण उत्पादन नवम्बर, 1974 में शुरू हुआ और संयंत्र का प्रधान मंत्री द्वारा 5 फरवरी, 1975 को विधिवत उद्धाटन किया गया। चालू होने के दिन से ही संयंत्र में संतोषजनक रूप से काम हो रहा है। वास्तव में मार्च, 1975 माह के दौरान खेतड़ी प्रद्रावक में 1017 टन फफोलेदार (ब्लिस्टर) तांबे का रिकार्ड उत्पादन हुआ जबकि फरवरी माह में 419 टन तथा जनवरी, 1975 में 803 टन ही उत्पादन हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में किये गये उपचार के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों के दावों की प्रतिपूर्ति के विचाराधीन मामले

5783 **सरदार मोहिन्द्र सिंह गिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या वल्लभ भाई पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में दिये गये उपचार के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों के दावों की प्रतिपूर्ति के मामले काफी समय से सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) दावों को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वल्लभ भाई पटेल वक्षरोग संस्थान, दिल्ली इससे पहले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से परीक्षण, जांच और इलाज का खर्च नहीं लेता था। परन्तु, 25 मार्च, 1973 से इस संस्थान ने प्रतिजनों पर होने वाला खर्च लेना शुरू कर दिया। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जो अब दे दिये गए हैं।

निलम्बित पड़े हुए प्रतिपूर्ति के दावे अब निपटाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा से लाभ पाने वालों के इलाज के लिए पटेल चैस्ट इंस्टीटयूट नई दिल्ली को भुगतान

5784. **श्री सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा से लाभ पाने वालों के इलाज के लिये पटेल चैस्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली को सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली दरों की सूची तैयार करने संबंधी प्रश्न दीर्घ अवधि से विचाराधीन रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार उसमें शीघ्रता करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) : वल्लभ भाई पटेल वक्षरोग संस्थान, दिल्ली इससे पहले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से परीक्षण, जांच और इलाज का खर्च नहीं लेता था। परन्तु 25 मार्च, 1973 से इस संस्थान ने प्रतिजनों पर होने वाला खर्च लेना शुरू कर दिया। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जो अब दे दिए हैं। निलम्बित पड़े हुए प्रतिपूर्ति के दावे अब निपटाए जा रहे हैं ?

वीरता पुरस्कार पाने वालों की विधवाओं को भूमि का आवंटन

5785 **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि 1971 के युद्ध में अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिये अपने प्राण देने वाले शहीदों तथा विशेषकर मरणोपरात पुरस्कार विजेता शहीदों की विधवाओं को मंजूर की गयी भूमि तथा अन्य लाभ वास्तव में दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं के नाम क्या हैं तथा अन्य शहीदों की विधवाओं की संख्या राज्यवार, कितनी है जिनको वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान भूमि तथा अन्य लाभ दिए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार को किन्ही राज्यों से इन लाभों को न दिए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा वे किन तारीखों को प्राप्त हुई और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) से (घ) : जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है आमतौर से शहीदों और विशेषकर मरणोपरांत पुरस्कार विजेता शहीदों की विधवाओं को केन्द्र सरकार की योजनाओं के अधीन ग्राहय रियायतें सभी मामलों में दे दी गई हैं। इन सभी मामलों में भूमि का आबंटन वस्तुतः राज्य सरकारों द्वारा उनके नियमों के अधीन जिला और निम्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

इन हितों में से किसी हित के पूरा न होने के संबंध में शिकायतों पर विधिवत ध्यान दिया जाता है और जब कभी उनका राज्य सरकारों से संबंध होता है तो उन शिकायतों को उपयुक्त कार्यवाही के लिये राज्य सरकार के प्राधिकारयों को भेज दिया जाता है।

राज्य सरकारों की योजनाओं के अधीन जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है और अन्य हित दिये गये हैं उनके नाम और संख्या के बारे में मांगी गई विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है; इसी प्रकार से शिकायतें किस प्रकार की हैं, उनकी प्राप्ति की तारीख, की गई कार्यवाही इत्यादि के बारे में भी सूचना उपलब्ध नहीं है और राज्यों में विभिन्न प्राधिकारियों से इन ब्यौरों को एकत्र करने में लगने वाला समय तथा श्रम सम्भावित परिणामों के अनुरूप नहीं होंगा।

पुनर्वास निदेशालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जाना

5786. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्वासा निदेशालय ने कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया है;

(ख) राज्यवार इसके आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1973, 1974 और 1975 के 1 जनवरी को पुनर्वास निदेशालय में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) 8913

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग)

1 जनवरी 1973	1 जनवरी 1974	1 जनवरी 1975
7492	15781	24157

विवरण

महानिदेशक, पुनर्वास के माध्यम से, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार की व्यवस्था की गई।

राज्य	1972–73	1973–74	1974–75
आंध्र प्रदेश .	38	29	59
असम . .	10	5	3
बिहार .	41	37	51
गुजरात .	33	22	29
हरियाणा . .	229	115	302
हिमाचल प्रदेश .	5	14	49
जम्मू और काश्मीर	2	1	3
केरल . .	49	24	37
मध्य प्रदेश	9	21	15
महाराष्ट्र .	846	581	438
मणिपुर	—	—	—
मेघालय .	—	—	—
कर्नाटक . .	90	179	124
नागालैण्ड	—	—	—
उड़ीसा	9	7	2
पंजाब	183	165	131
राजस्थान	24	57	15
तमिल नाडू	10	212	124
त्रिपुरा . . .	—	—	—
उत्तर प्रदेश	158	145	131
पश्चिम बंगाल	250	153	87
दिल्ली	613	520	1105
गोआ	2	3	—
सिक्कम	1	—	1
	2602	2290	2726
पैरा सैनिक बल . .	320	669	306
जोड़	2922	2959	3032

वीरता पुरस्कार पाने वालों को सुविधाएं तथा सहायता

5787. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे अनेक सुविधायें तथा लाभ कौन से हैं जो कि अनेक युद्धकालीन तथा शान्तिकालीन वीरता पुरस्कार पाने वालों को उनकी सेवाओं की प्रशंसा के रूप में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 31 जनवरी, 1975 को दिये जा रहे थे ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी सुविधाओं तथा सहायता के संबंध में समूचे देश में समानता सुनिश्चित करेगी ताकि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यों में बेहतर सुविधायें पाने वाले उनके साथियों की तुलना में किसी राज्य के सीमित वित्तीय संसाधन इन सुविधाओं पर उस राज्य में प्रतिकूल प्रभाव न डालें ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वीर चक्र और अशोक चक्र अनुक्रम के शौर्य पुरस्कारों प्राप्त करने वालों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय भत्ते निम्नलिखित दरों पर प्राप्त होते हैं :—

परम वीर चक्र . . .	100 रु० प्रति माह
परम वीर चक्र की प्रत्येक पट्टिका पर .	40 रु० प्रति माह
महावीर चक्र . . .	75 रु० प्रति माह
महावीर चक्र की प्रत्येक पट्टिका पर .	25 रु० प्रति माह
वीर चक्र	50 रु० प्रति माह
वीर चक्र की प्रत्येक पट्टिका पर .	20 रु० प्रति माह
अशोक चक्र . .	90 रु० प्रति माह
अशोक चक्र की प्रत्येक पट्टिका पर	35 रु० प्रति माह
कीर्ति चक्र . . .	65 रु० प्रति माह
कीर्ति चक्र की प्रत्येक पट्टिका पर .	20 रु० प्रति माह
शौर्य चक्र . .	40 रु० प्रति माह
शौर्य चक्र की प्रत्येक पट्टिका पर	16 ० प्रति माह

भत्ता प्राप्त कर्ता को और उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा को प्राप्त होता है। जब पुरस्कार किसी अविवाहित को मरणोपरांत प्रदान किया जाता है तब वित्तीय भत्ता उसके पिता या माता को दिया जाता है। यदि पुरस्कार मरणोपरांत किसी विधुर को प्रदान किया जाता है तो भत्ता उसके 18 वर्ष से कम वर्ष के पुत्र या अविवाहित पुत्री को जैसी भी स्थिति हो प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त वीर चक्र अनुक्रम के सब शौर्य पुरस्कार प्राप्त कर्त्ताओं को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से भी जिनके वे निवासी होते हैं, एकमुश्त राशि भी प्राप्त होती है। 1971 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के उपरांत कुछ राज्य सरकारों ने अशोक चक्र अनुक्रम, नामतः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र और सेना, नौसेना और वायुसैना मैडल और प्रेषणों में उल्लिखित पुरस्कार प्राप्त कर्त्ताओं

को भी नकद पुरस्कार देना प्रारम्भ किया है। विभिन्न राज्य सरकारों इत्यादि के द्वारा दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों के वर्तमान अनुमाप का विवरण परिशिष्टि-ए पर दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-9405/75]**

(ख) राज्य सरकारों के द्वारा नकद पुरस्कार देने की प्रक्रिया वीर चक्र अनुक्रम के प्रारम्भ होने के समय से चली आ रही है। तथापि नकद पुरस्कार की मात्रा राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की है । 1963 में इस बात के लिये प्रयास किए गए थे कि विभिन्न राज्य सरकारों इत्यादि के द्वारा दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों के अनुमाप में सम्भव अधिकतम स्तर की एक रूपता लाई जाए। वास्तव में नकद पुरस्कार के मापदण्ड के अधिकांश मामलों में जैसा कि परिशिष्ट-बी में **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9405/75]** में दर्शाया गया है एकरूपता प्राप्त हुई है । तदुपरांत 1971 के भारत-पाकिस्तान के संघर्ष के उपरांत कुछ राज्य सरकारों ने पुन: एक पक्षीय रूप से दरों में वृद्धि की है जैसा कि परिशिष्ट-ए में दर्शाया गया है। चूंकि नकद पुरस्कार अनुग्रहपूर्ण अदायगियां हैं जिन्हें राज्य सरकारें अपने राजस्व से देती हैं अतः सब राज्य सरकारों के लिये नकद पुरस्कारों की राशि में एक रूपता अनुमाप लागू करना व्यवहार्य नहीं होगा।

पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाना

5788. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध पुनः स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) सदन को मालूम है कि सितम्बर से दिसम्बर, 1974 की अवधि के बीच शिमला समझौते के क्रियान्वयन के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ कई विषयों पर करार हुए थे, जैसे कि डाक और दूर संचार सम्पर्क, जहाजरानी, यात्रा और व्यापारी हवाई सम्पर्क, जिसमें एक-दूसरे के देश के ऊपर से उड़ानें भी शामिल हैं, पुनः स्थापित करने के संबंध में इस्लामाबाद में जो बैठक हुई थी उसमें अंतिम निर्णय नहीं लिए जा सके थे और इस विषय पर दूसरी बैठक की तारीख अभी निश्चित होनी है। मोटे तौर पर, फरवरी, 1975 से पाकिस्तान के प्रचार आंदोलन और काश्मीर के मसले पर उसकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया की गति धीमी पड़ गई है। पाकिस्तान सरकार को यह स्पष्ट बता दिया गया है कि भारत यह महसूस करता है कि शिमला प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए और वह सामान्यीकरण के शेष उपायों पर बातचीत जारी रखने का सचमुच इच्छुक है, और पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जो कि रचनात्मक बातचीत के अनुकूल हो।

(ख) शिमला समझौते की शर्तों के अनुसार यह आवश्यक और वांछनीय है कि राजनयिक संबंध पुनः स्थापित करने के प्रश्न को उठाने से पहले राष्ट्रीयकरण के उपायों की क्रियान्विति को कुछ आधार दे दिया जाए।

औद्योगिक शांति के लिए उपाय

5789. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश को आकृष्ट करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री द्वारा औद्योगिक शांति के लिए किए गए आह्वान के कोई परिणाम निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) देश में औद्योगिक शांति का सुनिश्चय करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ने विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के उद्देश्य से औद्योगिक शांति के लिए कोई आह्वान नहीं किया है । तथापि, प्रधान मंत्री ने कई अवसरों पर अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों और उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है । केन्द्र और राज्यों में दोनों जगह औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र, अनौपचारिक मध्यस्थता, संराधन, न्याय-निर्णय या विवाचन के जरिये, जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक हो काम बंदियों को कम करने और औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए प्रयास करता रहता है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र से स्पिंडल मशीन की चोरी

5790. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री राउरकेला इस्पात संयंत्र में चोरियों के बारे में दिनांक 6 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2430 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या गुम हुई स्पिंडल मशीन कुछ समय पूर्व राउरकेला के एक बहुत बड़े व्यापारी के घर में पाई गई थी और इस सम्बन्ध में आठ अन्य व्यापारियों को भी "आंसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम के क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, आसाम को शिलांग से गोहाटी स्थानान्तरित करना

5791. **श्री वयालार रवि :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने आसाम राज्य की क्षेत्रीय समिति की सिफारिश पर आसाम के क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय को शिलांग से गोहाटी स्थानान्तरित करने का निर्णय किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण को स्थगित करने के लिए संशोधित निर्देश जारी करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय के स्थानान्तरण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है ।

नारियल जटा कर्मचारियों को कम मजूरी दी जाना

5792. **श्री वयालार रवि :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नारियल जटा कर्मचारियों को दी जाने वाली कम मजूरी और उनकी दयनीय निर्वाह स्थिति के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की काम की दशायें तथा निर्वाह स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जहां तक नारियल-जटा उद्योग में रोजगार का संबन्ध है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन "समुचित सरकारें" राज्य सरकारें है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिल नाडु और केरल सरकारों ने इस रोजगार को अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची में शामिल किया है और मज़दूरियों की न्यूनतम दरें भी निर्धारित की है ।

मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा मत्स्य नौकाओं का निर्माण

5793. **श्री वयालार रवि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई को कुल कितनी मत्स्य नौकाओं के लिए क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) इनके निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास निर्धा) : (क) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के पास इस समय मछली पकड़ने वाले 11 जलपोतों के निर्माण के आर्डर हैं ।

(ख) मछली पकड़ने वाले 7 जालपोतों के लिए मशीनरी और उपस्कर आदि के मदों को प्राप्त करने के लिए पहले ही कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है, और यदि कोई सख्त मजबूरी न हुई तो इन सात जलपोतों में से पहला जलपोत नवम्बर, 1975 में और उसके पश्चात कार्यक्रम के अनुसार हर तीन मास के बाद एक जलपोत दे दिए जाने की प्रत्याशा है ।

मछली पकड़ने वाले शेष चार जालपोतों जिनका एक इटालियन शिपयार्ड के डिजाइन के अनुसार निर्माण किया जाना है, की विस्तृत विनिर्देशन, डिजाइन और वर्कशाप ड्राइन्गज मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा अभी प्राप्त नहीं किये गये हैं । इन चार जालपोतों के निर्माण की कार्रवाई इन जलपोतों के लिए डिजाइन, विस्तृत विनिर्देशन और उत्पादन तथा वर्कशाप ड्राइन्गज इत्यादि कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिए जाने के बाद ही प्रारम्भ की जा सकती है ।

बम्बई नासिक राजमार्ग और आसनगांव, उम्बरमल तथा पदाली में ऊपरी पुल

5794. **श्री जैड० एम० काहनडोल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बंबई, नासिक (आगरा मार्ग) राजमार्ग के लिये धनराशि के नियतन में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राजमार्ग पर आसनगांव, उम्बरमल और पदाली में ऊपरी पुलों के उस निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है, जिसे मध्य रेलवे के सहयोग से किया जाना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य का आशय 1974-75 के लिये महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 के लिये धन के आवंटन से है, क्योंकि 1975-76 के लिये अभी धन का आवंटन किया जाना है। 1974-75 में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित कुल 710 लाख रुपये की रकम में से राज्य सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 के लिए 191.41 लाख रुपये की मांग की है। इसमें से 185.61 लाख रुपये की राशि स्वीकार्य थी और उसका आवंटन किया गया।

(ग) इन पुलों और पहुंचमार्गों के अनुमान पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं। निर्माण-कार्य तभी शुरु किया जा सकता है जबकि रेलवे और नौवहन परिवहन मंत्रालय में पहुंचमार्गों की लागत के भागों को बांटने संबंधी रेलवे द्वारा उठाये गये प्रश्न का समाधान हो जाएगा और जिसके बारे में आवश्यक कार्यवाई शुरू की जा चुकी है।

व्यापार विकास प्राधिकरण पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा लागू करना

5795. **श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार विकास प्राधिकरण जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है, पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा लागू नहीं है जब कि दिल्ली में अन्य उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय इस लाभकारी योजना के सदस्य हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) व्यापार विकास प्राधिकारण के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा को लाभकारी योजना के अन्तर्गत लाने के बारे में किस कसौटी पर विचार किया गया है

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) धन की कमी के कारण, और इस बात को देखते हुये कि इस समय दिल्ली/नई दिल्ली के बहुत से क्षेत्रों को जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं, अभी भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल किया जाना है, यह सम्भव नहीं है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें और अधिक अर्ध सरकारी/स्वशासी निकायों में लागू की जायें।

(ग) ट्रेड डवेलपमेन्ट अथारिटी की उन स्वशासी निकायों/अर्धसरकारी संगठनों की तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में शामिल कर लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल होना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस योजना में शामिल कर लेने के बाद ही उनकी बारी आने पर ट्रेड डवेलपमेन्ट अथारिटी के बारे में विचार किया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव

5796. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग प्रस्तुत की है तथा उन सड़कों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) सम्भवतया माननीय सदस्य का आशय पांचवी योजना के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित मार्गों से है। ये नीचे दिखाई गई हैं :—

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिए प्रस्तावित सड़कों की सूची

क्रम सं०	सड़क का नाम
1.	अजमेर-कोटा-राजगढ़-बियोरा-भोपाल-अबदुल्लागंज-होशंगाबाद-बैतुल-नागपुर।
2.	ग्वालियर-झांसी-छतरपुर-खजुराहो-पन्ना-सतना-रीवा-सिधी-वैधान-गढ़वा-रांची।
3.	अल्लाहबाद-रीवा-शहदोल-विलासपुर-रायपुर-जगदलपुर-कोन्ता-राजामुंदरी।
4.	जबलपुर-मान्डला-कावर्धा-अरंग-नेवापारा-बहरामपुर।
5.	बिलासपुर-अम्बिकापुर-गढ़वा-ओरंगाबाद-पटना।
6.	अहमदाबाद-झबुआ-धार-इन्दौर-भोपाल-सागर-दमोह-जबलपुर-शहदोल-अम्बिकापुर-जशपुरनगर-रांची।
7.	वारानसी-पीपरी-धनवार-अम्बिकापुर-पाथलगांव-रायगढ़-संग्राईपल्ली-पदमपुर-खरियार-बहरामपुर।
8.	बहरामपुर (रा० रा० मार्ग 5 पर) -कनखेर-चन्द्रापुर-रा० रा० मार्ग 7 पर।
9.	जगदलपुर-राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से निजामाबाद रा० रा० मार्ग 7 पर गीदम और बीजापुर होता हुआ।
10.	कानपुर-बांदा-महवा-छतरपुर-सागर।
11.	झांसी-छतरपुर-कटनी-शहदोल-कोरवा-सोहेला।
12.	अजमेर-चितौड़-नीमच-मन्डसौर-रतलाम-महो-खंडवा-जलगांव।
13.	जलगांव-बूढ़नपुर-खंडवा-होशंगाबाद-पिपरिया-नरसिंगपुर-जबलपुर।
14.	लाखनन्दन-पलारी-कियोलारी-उगली-बालाघाट-गोन्डिया अजंनी।

चूंकि पांचवी योजना अवधि के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिए नई सड़कों के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। अतः इस समय मध्य प्रदेश सहित

किसी विशेष राज्य में उस सड़क या सड़कों के बारे में इस समय स्थिति बताना संभव नहीं है। जिसकी पांचवी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लिए जाने की संभावना है। यह अनेक बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि राष्ट्रीय राज मार्ग के रूप में सड़कों को घोषित करने के लिए निर्धारित कसौटियों को कौनसी सड़क किस हद तक पूरी करती है कि साथ-साथ साधनों की उपलब्धता, अखिल भारतीय आधार पर प्रत्येक योजना की पारस्परिक प्राथमिकता इत्यादि इत्यादि।

Assistance to Madhya Pradesh for Repairs of Roads

†5797. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have urged upon the Central Government to give immediate financial assistance for the repair of roads damaged in the floods of last year in the State ;

(b) if so, the facts in this regard ; and

(c) the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a) to (c) According to the present policy based on the recommendations of the 6th Finance Commission, there is no scope for providing non-plan Central financial assistance to States for repairs of State roads damaged by floods.

As regards repairs of National Highways, the State Government had sent estimates for Rs. 7.16 lakhs for repairs of damages caused to the National Highways in the State by floods in the year 1974. Of this, a sum of Rs. 4.75 lakhs only was found admissible for repairs and estimates for the same amount were sanctioned. A sum of Rs. 2.71 lakhs was allotted for expenditure against these estimates during the financial year 1974-75, the balance being considered for release during 1975-76. i.e. the current financial year. Besides, a sum of Rs. 0.64 lakhs was released in 1974-75 for flood damage repairs caused by floods prior to 1974.

Utilisation of Industrial Minerals in Madhya Pradesh State

5798. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to State :

(a) whether the Union Government propose to utilise industrial minerals available in Madhya Pradesh State itself; and

(b) if so, the time by which the scheme in this regard will be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) & (b) As Madhya Pradesh contains some of the most important mineral deposits in the country, exploitation of its mineral wealth cannot be confined only to processing and consumption within Madhya Pradesh itself but, in addition, has to cover exports as well as the needs also of plants located in neighbouring areas. Just as, for processing within Madhya Pradesh itself of the Rajhara iron ore at Bhilai, coking coal has to be brought in from Bihar area. However, amongst mineral deposits within Madhya Pradesh already being utilised or processed within the State are:—

(i) Rajhara iron ore and Nandini limestone at Bhila Plan

(ii) Phutka Pahar and Amarkantak bauxite in Korba Aluminium Complex.

(iii) Mandhar Cement Plant near Raipur based on neighbouring mestone deposits, apart from a number of older cement plants based on local deposits in different other Districts of Madhya Pradesh such as Satna.

Royalty for Mineral mining in M.P.

5799. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether Government propose to give suitable instructions for depositing within the scheduled time the amount of royalty or ex-gratia amount of the minerals mined by the mining institutions in the public sector in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : There is no need for such instructions because all lessees in all States, which would include public sector mining institutions in M.P. also, are under conditions of lease liable to pay royalty for minerals mined by them at such intervals as the State Government prescribe and, if any lessee fails to pay royalty due within such prescribed time, State Government have powers to recover such dues in the same manner as an arrear of land revenue.

राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों के खिलाफ आरोप

5800. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान ओ० टी० टी० ओ० इंडिया लिमिटेड आफ राउरकेला को क्रयादेश देने के कारण राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ आरोपों की ओर दिलाया गया है और क्या वह उन आरोपों की जांच करवा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : इस बारे में लगाए गए कुछ आरोपों की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया है । सम्बन्धित तथ्यों की जांच की जा रही है ।

Damage to Indian Ship in Kidarpur Dock in Calcutta

5801. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether an Indian ship anchored in Kidarpur dock in Calcutta caught fire during the third week of February, 1975;

(b) if so, the value and items of the cargo damaged as a result of the fire; and

(c) the causes of the fire ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a) No, Sir. However, a British ship m.v. 'DONEGAL', caught fire during the third week of February, 1975 in Calcutta Port.

(b) Damaged cargo on board the ship consisted of Jute, Tea, Gunnies, Mica scrap and batteries. Approximate value of damaged cargo is Rs. 30 lakhs.

(c) Cause of fire has not been clearly established. However, one likely cause of fire could be smoking in the holds by Stevedore labour.

पैरिस में तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों की बैठक

5802. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7 अप्रैल, 1975 को पैरिस में आयोजित की गई तेल उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्रों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये भारत सरकार ने जिस व्यक्ति को भेजा है उसका नाम और दर्जा क्या है;

(ख) क्या निमंत्रण को अंतिम रूप से स्वीकार करने से पहले भारत और फ्रांस के बीच इस **विषय** पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ था; और

(ग) इस बैठक में मतैक्य लाने के विचार से भारत ने अन्य किन-किन देशों के साथ इस विषय पर विचारों का आदान-प्रदान किया था ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) पैरिस की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए अधिकारियों के नाम और पदनाम नीचे दिये जा रहे हैं :—

1. श्री बी० के० सान्याल, सचिव (ईडी), विदेश मंत्रालय—नेता ।

2. श्री के० जी० वैद्य, आर्थिक सलाहकार, अर्थ-कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय—सदस्य ।

3. श्री ए० एस० मेहता, उप सचिव, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय—सदस्य ।

4. श्री एन० के० सिंह, वाणिज्य मंत्री के विशेष सहायक—सदस्य ।

5. श्री एल० मानसिंह, उप सचिव, विदेश मंत्रालय—प्रतिनिधि मंडल के सचिव ।

6. श्री एस० एम० हाश्मी, स्थायी उप प्रतिनिधि, भारत के स्थायी मिशन, न्यूयार्क—सदस्य ।

7. श्री के० के० भार्गव, परामर्शदाता, भारत का राजदूतावास, ब्रसल्स—सदस्य ।

(ख) जी हां ।

(ग) पैरिस बैठक के शुरू होने से पहले हमने इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित विकासशील देशों के साथ विचार-विमर्श किया था जिनके नाम हैं :—सऊदी अरब, ईरान, अल्जीरिया वैनेजुएला, ज़ाईरु और ब्राज़ील ।

अहमदाबाद-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर मौतें

5804. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 से 28 फरवरी, 1975 तक अहमदाबाद-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर मोटर-गाड़ियों के कारण कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसी घातक अथवा गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है और उसके यदि कोई परिणाम निकले हैं, तो क्या ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सतलुज में जल के प्रवाह में परिवर्तन

5805. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भाखड़ा समूह की आवश्यकता को पूरा करने वाली नदी सतलुज के जल के प्रवाह में परिवर्तन की कोई संभावना नोट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने इस संबंध में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) व (ग) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा जनवरी, फरवरी, 1975 में सतलुज प्रवाह क्षेत्र में की गई जांच से, उक्त क्षेत्र में असामान्य रूप से भारी हिमपात का पता चला है । कर्चम के अनेक प्रतिकूल हिमानी बहावों से सतलुज घाटी में बर्फ खिसक कर निचले स्तर में आ गई है, जहां गर्मी के महीनों में उसके तेजी से पिघलने और इसके फलस्वरूप सतलुज नदी में जल प्रवाह बढ़ जाने की आशा है ।

उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज को मान्यता

5806. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज की मान्यता रोक रखी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है; और

(ग) मान्यता कब तक दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी चिकित्सीय अर्हता को भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिश पर ही मान्यता दी जाती है । यह परिषद् किसी संस्थान को मंजूर करने और उसकी अर्हता को मान्यता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने से पहले परीक्षा के स्तर की और उस संस्था में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं की पर्याप्तता के बारे में अपनी तसल्ली कर लेती है ।

2. इस परिषद् ने इस उद्देश्य से मार्च, 1974 में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज, राजा राममोहनपुर का निरीक्षण किया और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां इस संस्थान और इस विश्वविद्यालय के विचारार्थ भेजीं । उक्त संस्थानों के विचार प्राप्त होते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

Occupation of Government Land in Lajpat Nagar, New Delhi

5807. **Shri Chhatrapati Ambesh:** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Lajpat Nagar, New Delhi is a colony inhabited on the land of the Ministry ;

(b) whether some Government land is lying vacant between house Nos. 133 and 136, Block 'B' and near Plot No. 8, Block 'H' , Lajpat Nagar-II, New Delhi;

(c) whether this land has neither been sold nor allotted to anyone so far;

(d) if so, in whose occupation these plots are at present; and

(e) in case, these are occupied by some one else, the action being taken against them by Government ?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir.

(b) Site inspection has revealed that there are no houses bearing No. 133 and 136 in Block 'B'. No vacant land was seen next to Block No. H, Plot No. 8, Lajpat Nagar-II New Delhi.

(c) to (e) Do not arise.

एल्युमिनियम कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया, कलकत्ता को हुई हानि

5808. **श्री ग्रार० एन० बर्मन :** क्या **इस्पात ग्रौर खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्युमिनियम कारपोरेशन ग्राफ इंडिया कलकत्ता में तालाबन्दी के कारण प्रतिदिन कितनी हानि हो रही है;

(ख) क्या कारखाने के प्रबंधकों ग्रौर श्रमिक नेताग्रों के बीच कोई बातचीत हुई है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ग्रौर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात ग्रौर खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारतीय एल्युमिनियम निगम में तालाबन्दी के फलस्वरूप एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में लगभग 8000 टन की वार्षिक हानि हुई ।

(ख) ग्रौर (ग) सितम्बर, 1973 में घोषित तालाबन्दी के बाद भारतीय एल्युमिनियम निगम के प्रबन्धकों की कारखाने के मजदूर नेताग्रों के बीच हुई बातचीत के परिणामों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

ग्रमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पर ग्रफगानिस्तान, भारत ग्रौर बंगलादेश द्वारा चिन्ता प्रकट करना

5809. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री करने पर ग्रफगानिस्तान, भारत ग्रौर बंगलादेश ने गंभीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या पाकिस्तान के युद्ध जैसे रवैये के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने के लिये कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां । अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई पुनः शुरू किये जाने पर तीनों देशों ने चिन्ता प्रकट की है ।

(ख) और (ग) सामान्यीकरण की दिशा में पाकिस्तान के रुख पर, दक्षिण एशिया में सामान्य स्थायित्व पर और अपने पड़ौसियों के साथ पाकिस्तान के संबंधों पर अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई का जो बुरा असर पड़ेगा उसकी ओर अमरीकी सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

ईरान द्वारा अत्याधुनिक विमानों तथा घातक शस्त्रों की पाकिस्तान को बिक्री

5810. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री के० लकप्पा :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान द्वारा पाकिस्तान को कुछ अत्याधुनिक विमान और अन्य घातक शस्त्र बेचे गये हैं अथवा बेचे जाने वाले हैं ; और यदि हां तो, तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या भारत ने उक्त बिक्री के विरुद्ध ईरान को कोई विरोधपत्र भेजा है अथवा भेजने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों की बिक्री के बारे में हमारे विरोध-पत्र को देखते हुए उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) सरकार ने अखबारों में ये खबरें देखी हैं कि ईरान के करीब 50 एफ–5 एच विमान और 100 एम–48 टैंक, जो पहले तुर्की के थे और अब जिनकी मरम्मत ईरान में की जा रही है, पाकिस्तान ले सकता है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने संबद्ध देशों की सरकारों को पाकिस्तान द्वारा हथियार और अत्युक्त सैनिक उपस्कर लिये जाने के बारे में अपने विचारों से अवगत करा दिया है । यह सुविदित है कि अमरीकी मूल के सैनिक उपस्कर साधारणतः अमरीकी सरकार की सहमति के बिना किसी को हस्तांतरित नहीं किये जा सकते ।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों का देश के अन्दर उत्पादन और विदेशों से हथियारों की खरीद

5811. **श्री शंकरराव सावन्त :**

श्री विभूति मिश्र :

श्री पी० रंगनाथ शिनाय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने किस प्रकार के और कितनी मात्रा में हथियारों की खरीद की है और ये हथियार किन-किन देशों और संगठनों से खरीदे गये हैं;

(ख) पाकिस्तान द्वारा किस प्रकार के और कितनी मात्रा में देश के भीतर हथियारों का उत्पादन किया जाता है; और

(ग) देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार को जानकारी है कि अमेरिका, चीन, फ्रांस और कुछ पश्चिमी ऐशीयाई देश पाकिस्तान को शस्त्र दे रहे हैं । इनमें टैंक, विमान भेदी तोपें, तोपखाना, गनबोट टारपीडो वोटें, पनडुब्बियां, हैलीकोप्टर, और विभिन्न प्रकार के विमान सम्मिलित हैं । ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान छोटे हथियार और विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद का निर्माण कर रहा है । ऐसी गतिविधियों का जो प्रभाव हमारी रक्षा तत्परता पर पड़ता है उन पर हम अपनी सुरक्षा-योजनाएं बनाते समय पूरा विचार करते हैं ।

'न्यू चाइना न्यूज एजेंसी' द्वारा नई दिल्ली में ब्यूरो खोला जाना

5812. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री शिया चानुलुंग के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 'न्यू चाइना न्यूज एजेंसी' का विचार नई दिल्ली में एक ब्यूरो खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार को 'न्यू चाइना न्यूज एजेंसी' से इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । इसलिए कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम एशिया सम्बन्धी विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन

5813. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया में तेल की दृष्टि से समृद्ध देशों के अभ्युदय के कारण भारत की विदेश नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस दृष्टि से ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) आजादी के बाद से भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ मित्रता और सहयोग की नीति का बराबर अनुसरण किया है। भारत और इन देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और बढ़ावा देने में अब सहायता मिलेगी। भारत सरकार शांति और समूचे क्षेत्र में प्रगति के हित में उस दिशा में प्रत्येक संभव कदम उठा रही है।

पश्चिम बंगाल द्वारा सानुपातिक उपकर की मांग

5814. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ही तथा विशेषकर कोयला पट्टी क्षेत्रों में अपनी सड़कों के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा वसूल किये गये उपकर (सड़क कर) की सानुपातिक राशि के रूप में 11 करोड़ रुपये से अधिक राशि की मांग की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 का सिलिगुड़ी से दार्जिलिंग तक बढ़ाया जाना

5815. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 को सिलिगुड़ी से दार्जिलिंग तक बढ़ाने और सड़क के उक्त भाग को संख्या 31ख बनाने की योजना को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और सड़क को बढ़ाने का प्रस्तावित निर्माण कार्य कब से आरंभ किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पांचवीं योजनावधि में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। इस लिए इस समय यह बताना संभव नहीं है कि कौन सी सड़कें इस अवधि में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में ली जाएंगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर बंगाल का भू-सर्वेक्षण

5816. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच-बिहार जिलों में कोई अध्ययन किया है तथा वहां उसने तांबा, सीसा, स्फटिक तथा अन्य खनिजों के प्रचुर मात्रा में निक्षेप पाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दार्जिलिंग जिले के गुरूवाथन क्षेत्र में और आगे कोई अध्ययन किया गया है जहां पर पहले किये गए अध्ययन से वहां खनिजों के घने निक्षेपों का पता लगा था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जी हां। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूचबिहार जिलों में हाल के वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप–गोरूबाथन क्षेत्र में 3.90 लाख टन सीसा-जस्ता अयस्क, दार्जिलिंग जिले के बागराकोट क्षेत्र में श्रेणी–III–II वर्ग का लगभग 150 लाख टन कोयला तथा जलपाईगुड़ी जिले के जयन्ती क्षेत्र में 2430 लाख टन डोलोमाइट का अनुमान लगाया गया है। कूच बिहार जिले में अब तक किसी खनिज निक्षेप का पता नहीं चला है जो पूरी तरह कछार मिट्टी का इलाका है। दार्जिलिंग जिले के गोरूवाथन क्षेत्र में पता लगाए गए सीसा-जस्ता अयस्क भंडारों के क्षेत्रीय निर्धारण के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ईरानी-हिन्द शिपिंग कम्पनी लिमिटेड को विदेशी मुद्रा

5817. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री धर्मसिंह दादाभाई देसाई :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा ईरानी–हिन्द शिपिंग कंपनी लिमिटेड को कोई विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) सरकार ने शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के लिए 3,30,75,000 ईरानी रियालों के बराबर मुक्त विदेशी मुद्रा का विमोचन स्वीकृत किया है ताकि वे ईरानी-हिन्द शिपिंग कंपनी लिमिटेड के प्रत्येक शेयर के लिए 5,000 ईरानी रियाल के समान मूल्य पर 6,615 शेयर खरीद सकें।

पांचवीं योजना में जन्म-दर सम्बन्धी लक्ष्य

5818. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री धर्मसिंह दादाभाई देसाई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को योजना आयोग द्वारा पांचवीं योजना के निर्धारित जन्म-दर में कमी लाने संबंधी लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने की पूरी आशा है;

(ख) यदि हां, तो यह ग्राशा किन बातों पर ग्राधारित है; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय पांचवी योजना के लक्ष्यों को ग्रवास्तविक समझता है ?

स्वास्थ्य ग्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) ग्रौर (ख) ग्रभी से यह बताना संभव नहीं है कि पांचवी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगे या नहीं । तथापि पांचवी योजना के ग्रन्त तक ग्रर्थात् 1978-79 तक जन्म-दर को कम कर के 30 प्रति हजार तक लाने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, संकुचित उपलब्ध साधनों के भीतर कार्यक्रम को जोरदार बनाने के लिये संगठित प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

ग्रफगानिस्तान के राष्ट्रपति का भारत का दौरा

5819. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० मालन्ना :
श्री ग्रनादि चरण दास :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या पाकिस्तान को सप्लाई किये जाने वाले हथियारों पर रोक को समाप्त करने के बारे में ग्रमरीकी निर्णय के बारे में भी उनसे बातचीत हुई थी;

(ग) क्या उनके साथ हुई बातचीत में इस क्षेत्र की ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ग्रौर विकास संबंधी विषय भी शामिल किये गये थे; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) जी हां ।

(घ) इन विषयों का उल्लेख संयुक्त विज्ञप्ति में हुग्रा है, जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में रख दी गई है ।

ब्रिटेन से जकुग्रार विमान खरीदना

5820. **श्री पी० गंगादेव :**
ग्रर्जुन सेठी :
श्री ग्रनादि चरण दास :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जकुग्रार स्ट्राइक विमान खरीदने के लिये ब्रिटिश एयर क्राफ्ट कारपोरेशन के साथ कोई सौदा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सौदा टूट गया है;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को आसान शर्तों पर ऋण देने से इंकार कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) क्योंकि इस विषय पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है अतः कोई ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा ।

Buses to and from Delhi

5821. **Shri Chhatrapati Ambesh : ** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the names of the places and States to which DTC buses run from Delhi ;

(b) the number of the buses running to each of the said places;

(c) the names of the places and the States from which buses come to Delhi;

(d) the State-wise number of the buses coming to Delhi ; and

(e) an account of the monthly income accruing to Delhi by such agreements?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a) & (b) The details required are given in the annexed statement.

(c) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

Statement

Statement showing inter-State Routes on which DTC is operating its services :

Sl. No.	Route Destination	State	Transit States	No. of buses
1	2	3	4	5
1.	Delhi—Ghaziabad . .	U.P.	—	10
2.	Delhi—Faridabad . .	Haryana	—	30
3.	Delhi (Cent. Sectt.)—Bahadurgarh .	Haryana	—	4
4.	Delhi—Faridabad—Gurgaon . .	Haryana	—	1
5.	Delhi—Asalatpur	U.P.	—	1
6.	Delhi—Piauo Manihari . . .	Haryana	—	1
7.	Delhi—Jaipur-via-Alwar . . .	Rajasthan	Haryana	2

1	2	3	4	5
8.	Delhi—Jaipur.-via-Kothputli . .	Rajasthan	Haryana	1
9.	Delhi—Gwalior .	Madhya Pradesh	Haryana, Rajasthan, U.P.	1
10.	Delhi—Jammu .	J&K	Haryana, Punjab	2
11.	Delhi—Jhunjhunu . .	Rajasthan	Haryana	1
12.	Delhi—Alwar . .	Rajasthan	Haryana	2
13.	Delhi—Khetri .	Rajasthan	Haryana	2
14.	Delhi—Jind . .	Haryana	—	2
15.	Delhi—Kurushetra . . .	Haryana	—	1
16.	Delhi—Rewari-via-Maneshsre . .	Haryana	—	1
17.	Delhi—Saharanpur . . .	U.P.	—	2
18.	Delhi—Loni Khekra .	U.P.	—	1
19.	Delhi—Hodel	Haryana	—	2
20.	Delhi—Chandigarh—Jaipur .	Rajasthan	Haryana, Punjab	2
21.	Delhi—Sri Ganga Nagar . .	Rajasthan	Haryana	2
22.	Delhi—Bharatpur . .	Rajasthan	Haryana, U.P.	1
23.	Delhi—Amritsar .	Punjab	Haryana	2
24.	Delhi—Chandigarh . .	Punjab	Haryana	2
25.	Delhi—Kapoorthala. .	Punjab	Haryana	2
26.	Delhi—Firozpur .	Punjab	Haryana	2
27.	Delhi—Banga . . .	Punjab	Haryana	2
28.	Delhi—Rewari-via-Sohna . .	Haryana	—	1
			Total . .	83

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का तापीय बिजलीघर, बदरपुर के बस स्टाप पर न रुकना

5822. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या गवर्नमेंट एडल्ट हायर सैकण्डरी स्कूल, बदरपुर, के हैडमास्टर तथा तापीय बिजली घर, बदरपुर, नई दिल्ली के सुपरिन्टेंडेंट ने ट्रफिक मैनेजर दि० प० नि०, नई दिल्ली को यह बताते हुए अनेक बार पत्र लिखे कि दि०प०नि० की बसें 6 बजे सायं के बाद जब दिल्ली की ओर आ रही होती हैं तो तब वे उपरोक्त ताप बिजली घर के बस स्टाप पर रुकती नहीं हैं और छात्रों, अध्यापकों तथा बिजली घर के कर्मचारियों को प्रतिदिन घंटों खड़े रहना पड़ता है और बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) थर्मल पावर हाउस, बदरपुर को रूट नं० 18ए की बसें जाती हैं जो कि दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के अन्तर्गत प्राइवेट बसें हैं और अन्तर्राज्यीय रूट सं० 42 की बसें भी जाती हैं जो दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दिल्ली से फरीदाबाद चलाई जाती हैं। पिछले तीन महीनों में कोई शिकायत नहीं मिली कि उपरोक्त मार्गों की कोई भी बसें अपरोक्त पावर हाउस बस स्टेन्ड पर नहीं रुकतीं। परन्तु उक्त अवधि में इस रूट पर अन्य स्टैंड पर प्राइवेट बसों के न रुकने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की जांच करने के बाद 13 मामलों में प्राइवेट बस मालिकों को दंड दिया गया।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या

5823. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के अभाव में सामान्य रिक्त पदों में बदलने के लिए भेजे गये पदों की संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने के लिए विधेयक

5824. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री विजय पाल सिंह :

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **श्रम** मंत्री महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने के लिए विधेयक के बारे में 27 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1507 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् में ऐसा विधेयक कब तक पेश किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : इस विषय पर एक विधेयक का मसौदा बनाने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। विधेयक यथा शीघ्र पेश किया जायेगा।

देश के अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये अभियान आरम्भ करना

5825. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन आने वाले अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये कोई अभियान चलाया है;

(ख) क्या सरकार को रोगियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि डाक्टरों के वर्ग में अपने पेशे की वृत्ति का अभाव है और अस्पतालों की सामान्य स्थिति बिगड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जहां तक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का संबंध है उनके बारे में जो कदम उठाये गये हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अतः राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अस्पतालों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए एक अभियान आरंभ करें ।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण :

विलिंग्डन अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के प्रशासनिक और अन्य प्रबंधों का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों से एक ग्रुप का गठन किया था—

(क) बेहतर निरीक्षण और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए दोनों अस्पतालों के प्रशासन विभागों का विकेन्द्रीकरण करने के प्रश्न पर विचार करना ।

(ख) इन अस्पतालों के एक विभाग से बदलकर दूसरे विभाग में प्रशासनिक कर्मचारियों को लगाने के बारे में सुझाव देना ।

इस ग्रुप की मुख्य सिफारिशों के आधार पर जो हिदायतें जारी की गई हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) नीति संबंधी मुख्य निर्णय लेने और उन पर विचार विमर्श करने के लिए सफदरजंग अस्पताल और विलिंग्डन अस्पताल में एक अस्पताल प्रबंध समिति का गठन किया जाए ।

(2) बाह्य रोगी विभाग, आपात विभाग, कैजुअल्टी ब्लाक आदि-आदि जैसे अस्पताल के सार्वजनिक इलाकों में उचित सफाई रखने के लिए कदम उठाए जाएं ।

(3) आपरेशन थियेटर की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि स्टाक में सभी आपात दवाइयां हमेशा उपलब्ध रहें ।

(4) एक विशेष विभाग के लिये प्राप्त किये गये कुछ उपकरणों और उपस्करों को छोड़ कर यह सुनिश्चित कर दिया जाये कि दूसरे सभी स्टोरों के उपस्कर एक कामन पूल में रखे जाएं और जब कभी कोई विभाग उनकी मांग करे तो वे उसे दे दिये जायें क्योंकि दवाइयां और अन्य स्टोर जो अस्पताल में मौजूद होते हैं वे सारे अस्पताल के इस्तेमाल के लिये होते हैं ।

(5) खाद्य पदार्थों को खरीदने, तैयार किये गये भोजन को रसोई घर से वार्डों में भेजने और देख रेख में उसका मरीजों में वितरण करने के बारे में दोनों अस्पतालों द्वारा एक संयुक्त नीति तैयार की जानी चाहिए ताकि मरीजों को जहां तक संभव हो सके गरम खाना मिल सके ।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने सफदरजंग और विलिंग्डन अस्पतालों का क्रमश: 10 और 15 मार्च, 1975 को अचानक दौरा किया । स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री, उप-मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का इन अस्पतालों में गुप्त रूप से और अधिक दौरे आयोजित किए गए हैं ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में 'लोकुला' औषधि की अनुपलब्धता

5826. **चौ० राम प्रकाश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई महीनों से केन्दीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय में लोकुला उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स ईस्ट इंडिया फार्मेस्युटिकल्स कलकता में 'जिनकी लोकुला 20 प्रतिशत एक परोपराइटरी दवा हैं', यह औषधि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अपेक्षित मात्रा में सप्लाई नहीं की ।

Roads in Pali District under N.H. and Development of Road from Pilai to Mount Abu

+5827. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the names of the roads in Pali District of Rajasthan which fall under the category of National Highways and the starting and terminal points thereof; and

(b) whether the road from Pali to Mount Abu has been declared a National Highway and if so, the time by which it is likely to be develop and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H.M. Trivedi): (a) and (b) No National Highway passes at present through the Pali District nor is there any proposal for the declaration of the Palk-Mount Abu Road as a National Highway. It is a State road and the Rajasthan Government are primarily concerned with its development.

Pak Protest on Kashmir Agreement

+5828. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Pakistan has sent a note to India protesting against the Kashmir agreement concluded in February , 1975 ;

(b) if so, the main points thereof and whether the Government have sent reply thereto ;

(c) if so, the facts thereof; and

(d) whether the protest note sent by Pakistan is against the spirit of Simla agreement ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) to (d) In their communications to us the Government of Pakistan have sought to reiterate their familiar stand on Kashmir based on defunct UN Resolutions. While on one hand they have tried to argue that the accord with Sheikh Abdullah does not prejudice their case,on the other hand they say that the discussions were inconsistent with the Simla Agreement.

While categorically rejecting Pakistan's contention the Government of India in their reply have pointed out that the discussions with Sheikh Mohammed Abdullah were entirely an interna lmatter of India and that the accord reached with him is in no way a violation of the Simla Agreement. In fact the call for Hartal and agitation in Jammu & Kashmir given by Pakistan from across the line of control is itself a clear violation of the Simla Agreement and this has been officially brought to the notice of the Government of Pakistan.

हरियाणा में अविवाहित युवकों की कथित नसबन्दी

5829. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 से 20 वर्ष की आयु के लगभग 80 अविवाहित युवकों की नसबन्दी के मामले की जांच की है जिन्हें रोजगार का लालच देकर अक्टूबर 1974 में हरियाणा के खरखोदा टाउन में ले जाया गया किन्तु परिवार नियोजन विभाग के डाक्टरों ने उनकी जबरन नसबन्दी कर दी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) जांच किये जाने पर रिपोर्ट निराधार पाई गई हैं ।

चम्बल घाटी के डाकुओं द्वारा भारतीय सेना से हथियारों तथा गोला बारूद की खरीद

5830. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल घाटी के डाकुओं को उनके हथियार तथा गोला बारूद सेना से प्राप्त होते हैं ;

(ख) क्या डाकुओं द्वारा अधिकांश हथियार वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खरीदे गये ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) यूनिटों द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों और गोला बारूद का दैनिक लेखा रखने की एक कड़ी प्रणाली का सेना में पालन किया जाता है। अतः अवांछित-तत्वों के लिए सैनिक स्रोतों से प्राप्त करना सामान्यतः सम्भव नहीं होगा । तथापि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश पुलिस और सैनिक प्राधिकारियों के सहयोग से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

राजधानी में मलेरिया के रोगी

5831. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री एन० के० सांघी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रथमतः समस्या की व्यापकता का मूल्यांकन करने तथा राजधानी में मलेरिया के रोग के बारे में घरों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए बनाया गया था ।

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में राजधानी में मलेरिया रोग से कितने लोग ग्रस्त हुए ; और

(ग) क्या उक्त अवधि में राजधानी में कुनैन अथवा कुनैन वाली गोलियों का अभाव था ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) देश से मलेरिया को समाप्त करने के लिए मलेरिया उन्मूलन का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है फिलहाल घरों, अस्पतालों और औषधालयों से रोगियों का पता लगाने के कार्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

(ख) 1974 के पंचांग वर्ष में मलेरिया के 12,163 रोगियों का पता लगाया गया।

(ग) आजकल कुनीन और कुनीन से बनने वाली दवाइयों का मलेरिया को रोकने सम्बन्धी कार्यो में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बाजार में कुछेक मलेरिया रोधी पेटेन्ट दवाइयों की कमी थी। फिर भी, दिल्ली में मलेरिया रोधी संगठन के पास मलेरिया रोधी दवाइयों की कमी न थी।

ब्रिटेन के प्रिन्स चार्ल्स द्वारा भारत का दौरा

5832. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश राज गद्दी के वास्तविक उत्तराधिकारी प्रिन्स चार्ल्स हाल ही में भारत आय थे

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने प्रिन्स को भारत में सरकारी रूप से दौरे पर आने के लिए आमंत्रित किया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) प्रिन्स के भारत के दौरे पर किस तिथि तक आने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) जी हां, । प्रिन्स चार्ल्स ने राज्य-भिषेक समारोह में भाग लेने के लिए नेपाल जाते समय 20 से 21 फरवरी, 1975 तक 2 दिन के लिए भारत सरकार के अतिथि के रूप में नई दिल्ली की यात्रा की थी ।

(ग) जी हां।

(घ) आशा की जा है इस वर्ष शरद ऋतु में किसी समय मे भारत की यात्रा पर आयेंगे ।

गुजरात के नवसारी शहर को हैजा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना

5833. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण गुजरात के नवसारी शहर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों को हाल ही में हैजा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए तुरन्त क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं । उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात के नवसारी शहर में हैजे की घटना होने की हाल में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

कलकत्ता पत्तन पर प्रोसीक्यूशन सुपरवाइजर के पद का समाप्त किया जाना

5834. **श्री एस० एम० सिंह देव : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्त द्वारा 1960 के संकल्प संख्या 542 के अन्तर्गत बनाया गया प्रौसीक्यूशन सुपरवाइजर का पद 6 अप्रेल, 1974 को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रौसीक्यूशन सुपरवाइजर/सुपरवाइजरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या मजूरी बोर्ड की प्रश्नावली के उत्तर में 1960 में कलकत्ता पत्तन आयुक्त ने यह कहा था कि प्रौसीक्यूशन सुपरवाइजर के पद में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सन्तोषजनक रूप से चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पद के समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पद 1 अगस्त, 1974 से समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) यह पद प्रारम्भ ही से श्री सुनील कुमार घोष के पास था ।

(ग) कलकत्ता पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि ऐसा नहीं था ।

(घ) अन्त: परिवर्तनशीलता के लिए, कलकत्ता पत्तन न्याम ने यह पद समाप्त कर दिया और उसके बदले समान वेतनमान में वाणिज्यिक पर्यवेक्षक के पद का सृजन किया ।

तटीय नौवहन के कुल टनभार में कमी

5835. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार तटीय नौवहन के कुल टन भार में कितनी-कितनी कमी आयी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि कमी की मात्रा इसी प्रकार चलती रही तो क्या भारत को तटीय नौवहन पूर्णतया बन्द करना पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तट पर परिचालनात्मक टनभार निम्नलिखित था :—

निम्नलिखित तारीखों को	जी०आर०टी० (लाखों में)
1-1-73 . . .	2.01
1-1-74	2.20
1-1-75	2.79

इससे विदित हो जायेगा कि पिछले तीन वर्षों में कोई गिरावट नहीं रही परन्तु पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट रही है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

जनसंख्या में शून्य वृद्धि

5836. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिये पांचवीं योजना में परिव्यय के बारे में 6 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पांच वर्षों की अवधि में अन्य परिस्थिति में कोई परिवर्तन न होने पर देश में जनसंख्या में शून्य वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुल कितने संसाधनों की आवश्यकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : देश की जनसंख्या की जनांकिकीय विशिष्टतायें जैसे कि आयु संरचना, दाम्पत्य स्थिति आदि ऐसी हैं कि यदि असीमित साधन भी उपलब्ध किये जायें तो भी पांच वर्ष की अवधि में जनसंख्या में शून्य वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा।

पाकिस्तान को अमरीका द्वारा हथियारों की सप्लाई पर बहुत से देशों का रोष

5837. **श्री अर्जुन सेठी :**

चौधरी राम प्रकाश :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ करने के विरुद्ध किन-किन देशों ने आवाज उठाई है; और

(ख) उस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) बंगलादेश और अफगानिस्तान की सरकारों ने पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई पुनः शुरू करने के बारे में सरकारी स्तर पर आलोचनात्मक वक्तव्य दिये हैं। कई अन्य देशों में जिनमें सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ और यूगोस्लाविया भी शामिल है, जनमत के मुखपत्रों ने पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के अंजामों पर चिन्ता व्यक्त की है।

केरल में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन

5838. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं जब कि अयस्क निकालने का कार्य आरंभ हो गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : भारतीय खान ब्यूरो से पता चला है कि केरल राज्य में मैंगनीज अयस्क की खानों में उत्पादन नहीं हो रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का रबड़ बागान पर लागू किया जाना

5839. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम रबड़ बागानों पर लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बागान श्रमिकों को भी लाभ मिल रहा है; और

(ग) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 1972-73 से आज तक रबड़ बागान के श्रमिकों ने कुल कितनी धनराशि जमा की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) जी हां ।

(ग) अप्रैल, 1972 से दिसम्बर, 1974 तक भविष्य निधि अंशदानों के रूप में, 124.27 लाख रुपयों की राशि प्राप्त हुई है ।

केरल में इस्पात बिलैट परियोजना

5840. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल औद्योगिक विकास निगम का राज्य में एक इस्पात बिलैट परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां । केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को प्रतिवर्ष 18,000 टन साधारण और मिश्रित इस्पात पिण्ड/ बिलैट का उत्पादन करने के लिए अलीपी में एक विद्युत भट्टी लगाने के लिए 5 फरवरी, 1975 को एक आशयपत्र दिया गया था । यह कारखाना संयुक्त क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव है ।

केरल को लोहा तथा इस्पात का नियतन

5841. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने केरल को 1973-74 की तुलना में 1974-75 में कितने तथा कितने मूल्य के लोहे और इस्पात का नियतन किया है;

(ख) चालू वर्ष में केरल को कितने तथा कितने मूल्य के लोहे और इस्पात का नियतन करने का विचार है; और

(ग) इससे केरल के सामान्य उपभोक्ताओं को कितनी आसानी से लोहे और इस्पात की सप्लाई सुनिश्चित होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) केरल को 1973-74 और 1974-75 में सप्लाई किये गये लोहे और इस्पात की मात्रा और मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

	1973-74	1974-75
मात्रा	46,390 मीटरी टन	68,199 मीटरी टन
लगभग मूल्य	5,56,68,000 रुपये	8,86,58,700 रुपये

20 LSS/75—8

(ख) और (ग) लोहे और इस्पात के वितरण की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किये जाते हैं। अवधि विशेष में उपलब्धि तथा इस्पात के अन्ततः उपयोग जिसके लिए इसकी मांग की गई हो तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रख कर प्रेषण किये जाते हैं।

इस समय लोहे और इस्पात की अधिकांश किस्में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस बात को देखते हुए ऐसा लगता है कि देश के दूसरे भागों की भांति केरल के उपभोक्ताओं को अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मारूति हैवी वैहिकल्स लिमिटेड से सामान की खरीद

5 12. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मारुति हैवी वैहिकल्स लिमिटेड से कोई सामान खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान खरीदा है;

(ग) खरीदे गये सामान का मूल्य क्या है;

(घ) क्या ये खरीद ठेकेदारों के माध्यम से की गई है;

(ङ) यदि हां, तो ठेकेदारों के नाम क्या हैं; और

(च) विभिन्न ठेकों की शर्तें क्या थीं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात कारखानों में फेरो मैंगनीज और फेरो सिलिकान की कमी

5843. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में इस्पात कारखानों को फेरो मैंगनीज और फेरो मैंगनीज सिलिका की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस कमी के परिणामस्वरूप कुछ इस्पात कारखानों को बन्द होना पड़ेगा तथा कुछ को उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) हाल में इस्पात कारखानों को फेरो-मैंगनीज तथा फेरो-सिलिकन की कुछ कमी का सामना करना पड़ा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यद्यपि कारखानों की फेरो-मैंगनीज तथा फेरो-सिलिकन का उत्पादन करने वाले कारखानों की स्थापित क्षमता आन्तरिक मांग से काफी अधिक है तथापि कई राज्यों में पावर की अत्यधिक कटौती के कारण उत्पादन कम हुआ है। भारत सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से लौह मिश्र धातुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को पावर की सप्लाई बढ़ाने के लिए कहा है। इसके फलस्वरूप फेरो-सिलिकन की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है।

जहाजों के निर्माण के लिए सहयोग करारों की शर्तें तथा मुद्रा व्यय

5844. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री विदेशी सहयोग से जहाजों के निर्माण के बारे में 27 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों तथा विदेशी सहयोगकर्ताओं के बीच हुए सहयोग करारों की शर्तों की, विशेषतया रायल्टी तथा तकनीकी शुल्क के सन्दर्भ में, मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) करारों पर हस्ताक्षर होने के समय से आज तक सहयोग के कारण कुल कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान तांबा निगम द्वारा उत्पादित तांबा

5845. **श्री हरी सिंह** :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान तांबा निगम द्वारा उत्पादित तांबे का कोई खरीदार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं । हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा उत्पादित तांबा धातु, सरकारी विभागों तथा अन्य वास्तविक उपयोगकर्ताओं को बेची जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन शिपयार्ड में तालाबन्दी के कारण घाटा

5846. **श्री हरी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में फरवरी, 1975 के दूसरे सप्ताह में कुछ समय के लिये ताला-बन्दी रही थी, और

(ख) यदि हां, तो इस कारण कुल कितना घाटा हुआ ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राय मंत्री (श्री एच० एच० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं । कोचीन शिपयार्ड द्वारा कोई तालाबन्दी घोषित नहीं की गई । परन्तु गोदी तथा घाटों के निर्माण के लिए नियुक्त ठेकेदारों में से एक ने शिपयार्ड के निर्माण स्थल में 19 दिनों के लिए अपनी स्थापना को बन्द कर दिया था, जो 30-1-75 को उसके मजदूरों द्वारा अचानक काम रोक देने के बाद किया गया ।

(ख) इस कारण कोचीन शिपयार्ड को कोई माली नुकसान नहीं हुआ, परन्तु गोदी तथा घाटों के निर्माण के कार्यक्रम पर कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र-रोग विज्ञान संस्थान द्वारा "ट्रैकोमा वैक्सीन" के बारे में अनुसंधान

5847. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेकोमा वैक्सीन के बारे में डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र रोग विज्ञान संस्थान में कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) क्या संयुक्त राज्य में रोहों के लिए किसी टीके का पता लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और क्या वह भारत में भी प्रभावी सिद्ध हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) जी नहीं, किन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान सस्थान ने अमरीका के सीटले विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई वैक्सीन पर अध्ययन किये थे यह वैक्सीन विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी केवल कुछ हद तक ही कारगर पाई गई थी ।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

5848. **श्री एम० एन० मिश्र :**

श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में अन्तरग (इनडोर) रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या यह बातें सरकार के ध्यान में आई हैं कि रोगी शय्या उपलब्ध न होने के कारण सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने के लिए चिन्ताजनक स्थिति वाले रोगियों को कई सप्ताह प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो रोगी शय्याओं में वृद्धि करने सहित वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) यद्यपि दिल्ली में देश के अन्य स्थानों की अपेक्षा चिकित्सा की काफी अच्छी सुविधायें हैं और यहां पर प्रति हजार आदमियों के पीछे 0.49 पलंगों के राष्ट्रीय औसत की तुलना में हर एक हजार व्यक्तियों के पीछे 2.5 रोगियों के पलंगों की व्यवस्था मौजूद है ।फिर भी सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती ही है । पांचवीं योजना अवधि में राजधानी में लगभग 2500 पलंग और बढ़ाये जाने हैं ।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

5849. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रों के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न रोज़गार कार्यालयों में 31 मार्च. 1975 को शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे; और

(ग) उन्हें रोज़गार देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों के सम्बन्ध में है, जो सभी अनिवार्यतः बेरोज़गार नहीं हैं । इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है ।

(ख) 31 मार्च, 1973 को रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों (दोनों शिक्षित एवं अशिक्षित) की संख्या 72.09 लाख थी ।

(ग) सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों द्वारा बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए अधिकाधिक संख्या में रोज़गार अवसर जुटाने के हर प्रयास करती आ रही है । इसके अतिरिक्त सरकार ने हाल के वर्षों में सभी वर्गों के नौकरी चाहने वालों के लिए रोज़गार अवसर सृजित करने वाली अनेक विशिष्ट स्कीमों को कार्यान्वित किया है ।

1971-72 के दौरान प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 1000 व्यक्तियों को काम दिलाने के लिए ग्रामीण रोज़गार सम्बन्धी त्वरित स्कीम आरम्भ की गई । उसी वर्ष के दौरान शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लाभ के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक विशेष योजना भी शुरू की गई। 1972-73 में एक अन्य कार्यक्रम अर्थात् राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम बनाया गया, जिसके लिए इस आशा से 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई कि राज्य भी समान राशि के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करेंगे । इनके अलावा 1973-74 में सरकार ने शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार और स्व-रोज़गार अवसरों का सृजन करने की दृष्टि से पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम तैयार किया ।

पांचवीं योजना में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के साथ उपयुक्त रूप से समेकित एवं संगत रोज़गार गहन स्कीमों को बनाते समय यह ध्यान दिया गया है कि समग्र नीति के अनुरूप अधिक सुव्यवस्थित तथा लगातार कार्य किया जा सके ।

1974-75 में स्व-रोज़गार पर बल देने वाला रोज़गारवर्धन कार्यक्रम चलाया गया । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण पर और सीड़ पूंजी/सीमान्त धन आदि के लिए सरकार द्वारा कम से कम निवेश के साथ उत्पादक एवं स्व-सृजित रोज़गारों का सृजन करना था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आधारभूत विकास जैसे औद्योगिक सम्पदाओं और परामर्श सेवाओं के लिए सहायता तथा स्व-रोज़गार के कार्य चाहने वाले उद्यमकर्त्ताओं को अपेक्षित तकनीकी जानकारी भी दी जाती है । अब तक 1.42 लाख रोज़गार क्षमता रखने वाली 22.9 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की स्कीमों को स्वीकृति दी जा चुकी है ।

अरब तथा यूरोपीय देशों द्वारा पाकिस्तान को विमानों तथा शस्त्रों की सप्लाई

5850. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ अरब तथा योरोपीय देश पाकिस्तान को विमानों तथा शस्त्रों की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस बारे में समाचार देखे हैं परन्तु उनके समर्थन में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है।

(ख) यह हमारा विचार है कि पाकिस्तान को और आगे पुनः शस्त्रीकरण से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने में विलम्ब होगा और उप-महाद्वीप में हथियारों की दौड़ हो जाएगी। तथापि हमारे रक्षा उपायों की योजनाएं बनाते समय ऐसी सभी गतिविधियों पर विचार किया जाता है।

इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

5851. **श्री एस० एन० मिश्र** :
श्री गजाधर माझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस्पात संयंत्रों की पूरी उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) उन संयंत्रों के नाम क्या हैं जो अपनी पूरी क्षमता पर कार्य कर रहे हैं तथा उन संयंत्रों के नाम क्या हैं जो अपनी पूरी क्षमता पर कार्य नहीं कर रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) देश के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता नीचे दी गई है:—

(हजार टन)

	अधिष्ठापित क्षमता	
कारखाना	**इस्पात पिण्ड**	**विक्रेय इस्पात**
भिलाई	2500	1965
दुर्गापुर	1600	1239
राउरकेला	1800	1225
टिस्को	2000	1500
इस्को	1000	800

अभी तक बोकारो इस्पात कारखाने की केवल कुछ ही इकाइयों ने उत्पादन करना आरम्भ किया

(ख) इन काखानों में से किसी में भी इस समय उनकी अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है । यद्यपि वर्ष 1974-75 में टिस्को और भिलाई इस्पात कारखाने का बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन क्रमश: अधिष्ठापित क्षमता का 97.4 प्रतिशत और 86.2 प्रतिशत के लगभग था । इन कारखानों में गत कुछ वर्षों में क्षमता के कम उपयोग होने के विभिन्न कारण हैं जो अलग-अलग कारखानों तथा अलग-अलग वर्षों में भिन्न-भिन्न रहे हैं । मोटे तौर पर कुछ मुख्य कारण इस प्रकार थे:-- कोक ओवन बैटरियों का कार्यकरण संतोषजनक न होना, रख-रखाव का कार्य शेष रह जाना । रख-रखाव की व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण उपकरणों में खराबी आ जाना और कार्य रुक जाना, जुलाई, 1971 में राउरकेला इस्पात कारखाने की स्टील मेल्टिंग शाप की छत का गिर जाना जिसके कारण कई महीनों तक सम्पूर्ण इस्पात कारखाने के संचालन पर प्रभाव पड़ा । इस्को में संयंत्रों को बदलने, मरम्मत करने तथा रख-रखाव कार्य का पर्याप्त न होना, मालिक मज़दूर संबंध अच्छे न होना विशेष रूप से दुर्गापुर इस्पान कारखाने तथा 'इस्को' तथा कुछ हद तक राउरकेला इस्पात कारखाने में मालिक मज़दूर संबंध अच्छे न होना, बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध/बिजली की सप्लाई न होना तथा वर्ष 1973-74 में बिजली की सप्लाई में भारी कटौती/बाधाएं । कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि न होना और रेलवे में औद्योगिक अशान्ति तथा बीच-बीच में धीमी गति से कार्य करने के कारण रेल यातायात में गम्भीर बाधा आना । वर्ष 1974-75 में, प्रथमत: रेल कर्मचारियों की हड़ताल की आशंका और बाद में वास्तव में हड़ताल हो जाने और उसके दुष्परिणामों के कारण कच्चे माल के स्टाक के संरक्षण के विचार से अप्रैल-जून 1974 के महीनों में इन कारखानों के उत्पादन को विनियमित करना पड़ा और उत्पादन का स्तर निम्न रखा गया । एक दूसरा कारण जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, दामोदर घाटी निगम से इन इस्पात कारखानों तथा कोयला शोधनशालाओं को लगभग अगस्त, 1974 के मध्य तक बिजली की सप्लाई में कमी था । राउरकेला इस्पात कारखाने को राज्य विद्युत् बोर्ड ने बिजली की सप्लाई पर भारी प्रतिबन्ध लगा रखे थे । इसके अलावा कुछ अवधियों में कोककर कोयले की पूर्ण सप्लाई प्राप्त करने में भी कठिनाई हुई जिससे कोक भट्टियों की पुशिंग की दर पर प्रभाव पड़ा ।

(ग) इस्पात कारखानों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किए गये अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय संक्षेप में इस प्रकार हैं:--

(1) इस्पात कारखानों को अधिकाधिक मात्रा में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों और संबंधित राज्य सरकारों से निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जाता है । इसी प्रकार रेल द्वारा आवश्यक कच्चे माल तथा तैयार माल की संतोषजनक ढुलाई के लिए रेल मंत्रालय से तथा कोककर कोयले के उत्पादन और उसकी सप्लाई के बारे में कोयला विभाग से सम्पर्क रखा जाता है ।

(2) हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों के बारे में किये गये दीर्घकालीन उपायों में उत्पादन सुविधाओं में वर्तमान असन्तुलन को ठीक करने के लिए आवश्यक अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था ; पूंजीगत कार्यक्रम (जिसमें नये उपस्कर लगाना, पुराने उपस्करों को बदलना आदि शामिल है) बेहतर रख-रखाव जिससे उपस्करों की बेहतर उपलब्धि हो सके ; फालतू पुर्जों तापसह ईंटों और अन्य आवश्यक सामग्री को योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति शामिल है । कोक की कमी को पूरा करने के लिए भिलाई में एक अतिरिक्त कोक ओवन बैटरी तथा राउरकेला और दुर्गापुर में आधी-आधी कोक ओवन बैटरी लगाई जा रही है पुरानी

बैटररियों की मरम्मत पुनर्निर्माण करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। मालिक़ मज़दूर सम्बन्धों को सुधारने तथा अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए मज़दूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयत्न जारी हैं।

(3) इस्को के बारे में भी एक प्रतिस्थापन कार्यक्रम बनाया गया है जिससे यह कारखाना वर्ष, 1976 तक अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम में कोक ग्रोवन बैटरियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण; खुले मुंह की भट्टियों और कनवर्टरों की मरम्मत, कच्चे माल हैंडल करने की सुविधाओं में सुधार, रेल के डिब्बों का आधुनिकीकरण आदि भी शामिल हैं।

(4) 'टिस्को' ने भी अपनी पुरानी कोक ग्रोवन बैटरियों का पुनर्निर्माण करने का कार्यक्रम बनाया है। पुराने वायलर बदल दिए गए हैं। उनकी कोयला खानों की विस्तार योजना का काम भी चल रहा हैं।

औषध निर्माता तथा सहायक उद्योगों के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के लाभ

5852. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध निर्माता सहायक उद्योगों में कार्य कर रहे मैडिकल एण्ड सैल्स रिप्रेजेन्टेटिवों को, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(एस०) का संशोधन करके औद्योगिक विवाद अधिनियम के लाभ देकर उन्हें रोजगार की सुरक्षा देने हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही की है।

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन उद्योगों के प्रबन्धक 'फील्ड' कर्मचारियों को बोनस और मंहगाई भत्ता के रूप में मिलने वाले कानूनी लाभों से बंचित कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त श्रेणी के कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) से (ग) मडिकल एण्ड सैल्स रिप्रेजेन्टेटिवों के कुछ वर्गों को विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन लाभ देने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं।

रोजगार कार्यालय

5853. **श्री शक्ति कुमार सरकार**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषतया पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के संदर्भ में राज्यवार कितने रोज़गार कार्यालय हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान प्रत्येक रोजगार दफ्तर में कितने लोगों के नाम दर्ज थे और इस अवधि में रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से कितने लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ; और

(ग) रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से रोज़गार सुनिश्चित कराने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 31-12-1974 को देश में रोज़गार कार्यालयों की कुल संख्या 481 थी। रोज़गार कार्यालयों का राज्य-वार विवरण और इनके स्थानों का ब्यौरा विवरण-I और II (संलग्न) में दिया गया हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9406/75**]

(ख) उपलब्ध सूचना विवरण-III और IV (संलग्न) में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9406/75**]

(ग) रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे गैर-कृषि प्रतिष्ठानों के लिए जिनमें 25 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, संबंधित रोज़गार कार्यालयों को रिक्तियां (कुछ छूट के साथ) अधिसूचित करना अनिवार्य है। भरती के मामले में, यद्यपि गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों के लिए रोज़गार कार्यालयों के मध्यम से रिक्तियां भरना कोई कानूनी दायित्व नहीं है, तो भी रोजगार कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैर-सरकारी नियोजकों द्वारा रोजगार कार्यालयों का उपयुक्त प्रयोग करने हेतु प्रेरक तरीकों का प्रयोग करें।

तथापि, सरकारी क्षेत्र के मामले में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत सृजत होने वाली सभी रिक्तियों (संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर) को उनके स्वरूप और/या अवधि पर ध्यान न देते हुए, गृह मंत्रालय/कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरना आपेक्षित है। इन निर्देशों के अनुसार यह भी आवश्यक है कि सभी अर्ध-सरकारी संस्थाएं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के अनुरूप भरती करें। अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं।

एच०एस०-748 विमान का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण

5854. **डॉ० बी० चन्द्रगौडा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने कानपुर में एवरो एच०एस०-748 विमान का भारवाही मॉडल तैयार किया है और क्या इस विमान का वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण करने का भी निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विमान के निर्माण के लिये तय विदेशी कच्चे माल तथा उपकरणों पर किसी रूप से निर्भर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने एच०एस०-748 विमान की भारवाही किस्म का विकास किया है। कानपुर में सैनिक भारवाही विमान का उत्पादन स्थापित करने के लिए निर्णय ले लिया गया है।

(ख) विमान के लायक कार्य में आने वाली कच्ची सामग्री और अन्य अतिरिक्त पुर्जे, उपकरण और प्रणाली, स्वदेश में ही उपलब्ध न होने के कारण हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए सभी विमानों में आयातित कच्ची सामग्री और घटकों की प्रतिशतता हैं। आयातित सामग्री की

ठीक प्रतिशतता हरेक विमान में भिन्न-भिन्न हैं। इस समय निर्माणाधीन एच०एस०-748 विमान के मामले में आयातित घटकों की प्रतिशतता 50 और 60 प्रतिशत के बीच है।

गार्डन रीच वर्कशाप द्वारा भारतीय नौवहन निगम के लिये माल-पोत बनाया जाना

5855. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप ने भारतीय नौवहन निगम के लिए 6 माल-पोत बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पोतों में स्वदेशी उपकरणों की प्रतिशतता कितनी होगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड ने भारतीय जहाजरानी निगम की सहयोगी कम्पनी मोगुल लाइन लिमिटेड के लिए 26000 डी डब्लू टी क्षमता वाले 6 माल जहाज बनाने का कार्य हाथ में लिया हैं।

(ख) इन जहाजों के निर्माण के लिए अपेक्षित इस्पात यदि स्वदेश में ही उपलब्ध हो जाता है तो इन जहाजों में कुल स्वदेशी तत्व 80 प्रतिशत के लगभग हो जाने की प्रत्याशा है। तथापि, इन जहाजों के निर्माण के लिए जहाज बनाने लायक इस्पात की काफी मात्रा स्वदेश में अनुपलब्ध होने के कारण वस्तुत: आयात की जा सकती है। इन जहाजों को स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है और इनमें स्वदेशी मुख्य प्रणोदन इंजन, डीजल जनरेटिंग सैट और डाक मशीनरी आदि का ही उपयोग किया जाएगा।

कोलार खानों में स्वर्ण उत्पादन में कमी

5856. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत गोल्ड माइन वर्कर्स यूनियन ने सरकार से कोलार खानों में स्वर्ण उत्पादन में कमी की जांच कराये जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भारत स्वर्ण खान कामगार संघ ने हाल में एक प्रतिवेदन दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारत स्वर्ण खानों में सोने के उत्पादन में गिरावट का भी उल्लेख किया गया है। उसने प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली की जांच कराने का अनुरोध किया है।

(ख) अयस्क भंडारों के धीरे-धीरे कम होने, भयानक चट्टानों विस्फोटों तथा अन्य विभिन्न कारणों से भारत स्वर्ण खान लि० के उत्पादन में कई वर्षों से कमी होती जा रही है। उत्पादन में कमी से संबंधित समस्याओं की ओर सरकार तथा कम्पनी का बराबर ध्यान बना हुआ है। उत्पादन में गिरावट रोकने तथा अन्य खानों में उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक उपाए किए जा रहे हैं।

Alleged Dismissal of Employees at Hindustan Copper Ltd. Khetri without Assigning Reasons

5857. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the Chairman and the Managing Director of the Hindustan Copper Ltd. Khetri dismiss the employees from service without assigning any reasons; and

(b) if so, the steps being taken by Government to provide security of service to the employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) & (b)According to the rules of the Company applicable to certain categories, the Management has the discretion to terminate services without assigning any reasons. Such rules have been invoked over the years in exceptional cases, which have been few and far between. There is no instance where the services of an employee were terminated except in accordance with the rules of the Company and the terms and conditions of the service of the concerned employee.

Expenditure on Indian Embassies Abroad in 1974-75

‡5858. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred on each of the Indian Embassies in various countries 1974-75; and

(b) the full particulars in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) & (b) The Expenditure Accounts for 1974-75 is not yet available. However, a statement showing the final estimates (grants) of the Indian Embassies in various countries is placed on the table of the House. [Placed in Library, See No. L.T. 9507/75]

Labour unrest in Udaipur Cotton Mills Udaipur

5859. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state.

(a) whether there has been labour unrest in Udaipur Cotton Mills, Udaipur (Rajasthan) for the last few days owing to certain demands of labourers; and

(b) if so, the action taken by Government to create peaceful atmosphere there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) The matter falls essentiallly in the State sphere.

Aluminium Production in Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot.

5860. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the causes, other than power-shortage, for decline in aluminium production in the Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot, Mirzapur during 1974;

(b) whether strained relations between the management and the employees have resulted in decline in production there; and

(c) the steps being taken by Government to improve their relations and to increase production of aluminium ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) to (c) Besides power shortage, the lock-out declared by the management from 12th April to 7th May 1974, affected the production of Hindustan Aluminium Corporation during 1974. The lock-out was lifted after the intervention of the Chief Minister of Uttar Pradesh. A major demand regarding reinstatement of 17 retrenched staff member has been referred to an Arbitrator. The matter is now under consideration of the Arbitrator.

भारत और नेपाल के बीच अवैध कब्जे को समाप्त किया जाना

5861. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25 फरवरी, 1975 को पटना से प्रकाशित "सर्चलाइट" में "इण्डिया नेपाल एग्री टू वेकेट एन्क्रोचमेंन्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व से पश्चिम तक सारी सीमा पर भारत और नेपाल अवैध कब्जे को समाप्त करने जा रहे हैं ; और

(ग) क्या भैंसालोटन के पास पश्चिम चम्पारन जिले में अवैध कब्जे वाली भूमि भारत को दी जा रही है, जिस पर नेपाल ने अवैध कब्जा कर लिया था ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय तथा नेपाली अधिकारी भारत-नेपाल सीमा के लापना तथा क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभों के पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सीमा पर एक संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं ।

(ग) इस समय जो कार्य चल रहा है इसके विचारार्थ विषय की परिधि से यह प्रश्न बाहर है ।

नाक के द्वारा कुष्ठ रोग का फैलना

5862. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले "सर्चलाइट" के 24 फरवरी, 1975 के अंक में पृष्ठ 1 के कालम 4 और 5 में नाक द्वारा कुष्ठ रोग के फैलने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा नेपाल में कार्य कर रहे एक ब्रिटिश डाक्टर डा० जे० सी० रेडबाई का यह सिद्धान्त, कि नाक के द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है, कहां तक सच है ; और

(ग) कुष्ठ रोग से जनता को बचने के लिए भारत सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) यह सिद्धांत कि कुष्ठ रोग नाक से फैलता है सही है ।

(ग) कुष्ठ रोग को फैलने से रोकने की दृष्टि से 1954-55 में कुष्ठ नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया गया था । इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ के रोगियों का प्रारम्भ में ही पता करने, तथा उनका आरम्भ में और नियमित रूप से इलाज करने, भरती गाड़ी से रोगियों के घरों पर

ही उनका इलाज करने, उन्हें अस्पताल में भरती करने तथा उनका बाहरी रोगी के रूप में बड़े पैमाने पर सल्फोनो वर्ग की दवाइयों से इलाज कराने की व्यवस्था है । कुष्ठ पर नियंत्रण पाने के लिये 10.52 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को एक व्यापक योजना की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया हैं ।

देश में प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता

5864. **श्री के० मालन्ना** :

श्री झारखन्डे राय :

श्री राजदेव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मार्च, 1975 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में प्रशिक्षित नर्सों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लगभग 3000 नर्सें ऐसी हैं जो बेरोजगार हैं और ये बेरोजगार नर्सें अधिकतर पंजाब और कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में केन्द्रित हैं ;

(ग) क्या भारतीय नर्सें प्रति वर्ष विदेश जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 2,700 नर्सें बेरोजगार हैं । 1974 में बेरोजगार नर्सों की राज्यवार स्थिति इस प्रकार थी :—

गुजरात	356
पश्चिम बंगाल	16
कर्नाटक	258
पंजाब	131
तमिलनाडु	666
आन्ध्र प्रदेश	1099
उड़ीसा	50
मिजोरम	19
चण्डीगढ़	41
	2636

(ग) जी हां ।

(घ) नर्सें उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार पर विदेश जाती हैं ।

किसी अन्य देश को वर्गीकृत सूचनाएं बेचने पर वायु सेना के अधिकारियों की गिरफ्तारी

5865. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्य देश को वर्गीकृत सूचनाएं बेचने पर रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास विंग में कार्य कर रहे दो वायुसेना अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या यह देश इन दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों से पिछले ढ़ाई वर्ष से जानकारी प्राप्त कर रहा था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास विंग में कार्य कर रहे भारतीय वायु सेना के एक अफसर को अन्य आरोपों के साथ-साथ एक विदेशी नागरिक को गुप्त सूचना देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था ।

(ख) जी नहीं श्रीमन्, यह हमारी जानकारी में नहीं ।

(ग) अक्तूबर, 1974 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कार्य कर रहे भारतीय वायु सेना के एक स्कवाड्रन लीडर को एक विदेशी नागरिक के साथ घनिष्ट सम्पर्क में देखा गया था । इस बारे में की गई आगे जांच-पड़ताल के पश्चात् वायु सेना के अफसर के विरुद्ध चार आरोप लगाते हुए एक जनरल कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही की गई । उन आरोपों में से दो आरोप एक अप्राधिकृत व्यक्ति को गुप्त सूचना देने, तीसरा आरोप वायु सेना अफसर के लिए आचरण के विरुद्ध कार्य करने और चौथा उपहार के रूप में ब्रांडी की एक बोतल लेने के संबंध में था । जांच समाप्त हो गई है और अदालत ने उसे पहले दो आरोपों में दोषी नहीं पाया है और दूसरे दो आरोपों में दोषी पाया है और उसे पदमुक्त (कैशियर) करने और छ० मास की सख्त कैद की सजा दी है । जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही वायुसेनाध्यक्ष द्वारा पुष्टि के लिए लम्बित पड़ी है । इस बीच, अफसर ने जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उसके दोष सिद्ध के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है ।

घातक हथियारों के लिये पाकिस्तान को अरब से ऋण

5866. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने केवल रक्षा उद्देश्य से ही नहीं अपितु आक्रमण क्षमता अर्जित करने के लिये अमरीका से आधुनिक घातक हथियार खरीदने के लिये अरब देशों से सैनिक ऋण मांगे हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के मुख्यसेनाध्यक्ष, जनरल टिक्का खां का 'वाशिंगटन पोस्ट' को दिए गए कथित वक्तव्य जो 11 मार्च, 1975 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है, की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस बारे में समाचार देखे हैं परन्तु उनके समर्थन में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) यह हमारा विचार है कि पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अथवा किसी तीसरे देश के माध्यम से और आगे पुनः शस्त्रीकरण से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया में विलम्ब होगा और उपमहाद्वीप में हथियारों की दौड़ भी बढ़ेगी । तथापि, हमारे रक्षा उपायों की योजनाएं बनाते समय ऐसी सभी गतिविधियों पर विचार किया जाता है ।

राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन के एक प्रतिनिधि को मजूरी बोर्ड में नियुक्त करना

5867. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद के अदेशानुसार मंजूरी बोर्ड का गठन करने संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते समय उन्होंने सभा को आश्वासन दिया था कि जहां तक मजूरी बोर्ड में प्रतिनिधियों का प्रश्न है, सदस्यों द्वारा लोक सभा में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर लिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या विचार व्यक्त किए गए थे ;

(ग) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष और सचिव को नामांकित करने और राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन को प्रतिनिधित्व न देने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का सचिव तमिल दैनिक 'माकलकुरल' का मालिक तथा प्रकाशक है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें मालिकों का अथवा श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तथा क्या पत्रकारों के समूचे वर्ग के साथ उचित न्याय करने के लिए मजूरी बोर्ड में राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन का प्रतिनिधि रखा जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन (भारत) और अन्यों के द्वारा मजदूरी बोर्ड में श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों की नामजदगी के संबंध में दिल्ली के उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किये जाने के कारण यह मामला न्यायाधीन है ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में एक समिति का नियुक्त किया जाना

5868. **श्री समर गुहः** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह जानकारी प्रेस को पश्चिम बंगाल सरकार ने दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के उद्देश्यों, कार्यक्रमों, कृत्यों तथा गठन का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) और (ग) : संपूर्ण मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी गई है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

लेबर ब्यूरो में कम्प्यूटरों को विशेष वेतन देना

5869. **श्री बसंत साठे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेबर ब्यूरों में कम्प्यूटरों ने उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष प्रकार के संगणत कार्य के लिए 20 रुपया प्रति मास विशेष वेतन मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटरों को विशेष वेतन दिए जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या इसी प्रकार के कार्य के लिए कृषि विभाग तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के अन्य आर्थिक/संख्यिकीय संगठनों में कार्य कर रहे कम्प्यूटरों को विशेष वेतन मिलता है ; और

(घ) यदि हां, तो लेबर ब्यूरो के कम्प्यूटरों को यह वेतन क्यों नहीं दिया जाता ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य सरकारी संगठनों में समान श्रेणियों के कर्मचारियों को विशेष वेतन का भुगतान करने की पद्धति प्रचलित है ।

(घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

नौवहन टनभार के लिये प्रशिक्षित मर्चेन्ट नेवी कैडेट

5870. **श्री बसंत साठे** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नौवहन टन भार के लिये जन शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित मर्चेन्ट नैवी कैडिटों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :--

(1) प्रशिक्षण जहाज 'राजेन्द्र' में प्रवेश के लिए पूर्व-प्रवेश अर्हताओं को बढ़ाकर भौतिक और गणित सहित माध्यम विज्ञान अर्थात् (10+1 के स्थान पर 10+2 या उच्चतर माध्यमिक) किया जा रहा है । प्रशिक्षण जहाज 'राजेन्द्र' की प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष की जा रही है और इस प्रकार प्रशिक्षितों की संख्या प्रति वर्ष 125 कैडेटों से बढ़कर 250 केडेट हो जायेगी ।

(2) डी० एम० ई० टी० में प्रशिक्षणार्थियों के लिए पूर्व प्रवेश अर्हताओं को यांत्रिक या वैद्युत इंजीनियरी में डिग्री तक बढ़ाया जा रहा है। डी० एम० ई० टी० में प्रशिक्षण अवधि चार वर्ष से 1 वर्ष की जा रही है और इस तरह प्रथमतः प्रतिवर्ष 100 केडेटों से 200 केडेटों तक और यथा समय और आवश्यकतानुसार उनकी संख्या प्रतिवर्ष 400 केडेटों तक हो जायेगी। निकट केन्द्रों के लिए व्यवस्थायें अपेक्षित हैं।

निकर्षण निगम की स्थापना

5871. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकर्षण (ड्रैजिंग) निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तथा कहां,

(ख) निकर्षण निगम के कृत्य क्या होंगे, और

(ग) केन्द्रीय पूल में इस समय कितने 'ड्रैजर' हैं और गोदी वार्डों पर निकर्षण कार्य के लिए कितने और ड्रैजरों की आवश्यकता है ताकि विदेशी फर्मों से ठेके के आधार पर यह कार्य कराने की वर्तमान प्रणाली समाप्त की जा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) निकर्षण निगम की स्थापना का प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव के सफल होने पर इसके मुख्यालय के स्थान निर्धारण पर निर्णय किया जायेगा।

(ख) प्रस्ताविन निकर्षण निगम के कार्य निम्न प्रकार होंगे :—

(1) वाणिज्यिक आधार पर समाकलित निकर्षण कार्य करने,

(2) समुद्री निकर्षण, फंसे जहाजों को सहायता देना, मलबे और नौचालन की रुकावटों को हटाने सहित उद्धरण कार्य करने,

(3) समुद्री एंव तटीय इंजीनियरी कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करना तथा उच्च कोटि की प्राद्योगिकी वाले अर्थात् गहरे पानी में धातु निकर्षण, समुद्र तल में ड्रिल एवं ब्लास्ट करना, समुद्री पाईप लाईन आदि परियोजना कार्य करना।

(ग) इस समय केन्द्रीय मूल में 5 निकर्षक, दो कर्षनावें, चार हाकर दूसरे तथा पाईप लाईनों के तीन सैट हैं। अतिरिक्त दो बजरों, तीन कर्षनावों तथा दो सर्वेक्षण लांचों के लिए आदेश दिये गये हैं। अतिरिक्त निकर्षकों की आवश्यकताओं का जायजा समय समय पर लिया गया है। इस समय इस बात की जांच की जा रही है कि आया कि मौजूदा पांच निकर्षक तथा आदेशित दो निकर्षक पांचवीं योजना अवधि में बड़े पत्तनों की मुख्य निकर्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं।

Development of Mormugoa Port

5872. **Shri Mahadeepak Singh Shakya**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme for the development of Mormugoa Port; and

(d) if so, an outline thereof and the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi): (a) Yes.

(b) Mormugao Port Developmnt project envisages construction of a mineral oil berth, an ore berth and installation of high speed mechanised ore handling facilities.

There has been some slippage in the completion of these facilities as a result of delay in the fabrication of ore handling machinery by the supplier and completion of dredging by the contractor.

Shortage of Space and Equipment in Ayurvedic Educational institutes.

5873. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there is shortage of place and equipment in many Ayurvedic educatonal institutions for autopsy; and

(b) if so, the causes of shortage and the measures proposed to be taken to remove them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque):(a) & (b) The information is being collected and will be furnished as soon as it is received.

Bringing out Pharmacopoeia of Drugs of Ayurvedic Origin analogous to Allopathic Pharmacopoeia

5874. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have not given a thought to the question of evolving a written pharmacopoeia of the drugs of Ayurvedic origin analogous to the Allopathic Pharmacopoeia;

(b) whether in its absence, disputes crop up between the Allopathic and Ayurvedic systems in regard to the substance; and

(c) if so, the steps taken by Government in this direction

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) The Aurvedic Pharmacopoeia Committee set up by the Government has drawn up the first part of the Formulary of India covering 445 compound preparations, 357 single drugs of plant origin, 53 single drugs of animal origin and 52 drugs of mineral origin.

(b) The Indian Pharmacopoeia includes monographs on crude drugs some of which are used in the manufacture of both allopathic and ayurvedic medicines. As the crude drugs are raw materials from which Ayurvedic and allopathic medicines are manufactured and in respect of which standards have been laid down the question of a dispute would not normally arise.

(c) Does not arise.

भिलाई और राउरकेला स्पात संयंत्रों में कोयले की खपत में कमी

5875. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में ः येले की खपत में कमी करने के लिए हाल में कोई मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप चालूवर्ष में बचत के अनुमान क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां। परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार के फलस्वरूप भिलाई और राउरकेला के दोनों इस्पात कारखानों में कोक (जो कोयले से तैयार किया जाता है) की खपत की दर में कमी हुई है।

(ख) कोक की खपत की दर में कमी से निम्नलिखित बचत होने की आशा है :—

भिलाई	86 लाख रुपये
राउरकेला	55 लाख रुपये

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सैनिक स्कूलों के छात्रों के आवेदन पत्र भेजना

5876. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूलों के छात्रों के आवेदन पत्रों को एन० डी० ए० पाठ्यक्रम के लिए न भेजे जाने के बारे में उनके मंत्रालय ने किन आधारों पर हाल में आदेश जारी किए हैं ;

(ख) क्या इन आदेशों से इन स्कूलों के छात्रों के कुछ मूल्यवान वर्षों के नष्ट होने की सम्भावना है जो अन्ततोगत्वा एन० डी० ए० पाठ्यक्रम के लिए चुने न जा सकें जिससे उनका मनोबल क्षीण होता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन आदेशों का पुनरीक्षण करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : (क) से (ग) सैनिक स्कूल समाज के कम सम्पन्न वर्ग के विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूल के प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य इन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षणिक और शारीरिक दृष्टि से तैयार करना और सेनाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। छात्र वृत्ति पाने वाले सफल विद्यार्थियों के लिए सशस्त्र सेना को ही अपनी जीविका के रूप में अपनाना अनिवार्य है। स्कूल में रहते हुए उनका ध्यान न बंटे और पूर्णतः राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में ही रहे, इस उद्देश्य से उनके आवेदन पत्रों को अन्य कोर्सो के लिए न भेजने की शर्त रखी गयी है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मोटर गाड़ी कर अधिनियम, 1958 तथा गुजरात माल ढुलाई कराधान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विवरण

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटरगाड़ी कर अधिनियम, 1958

की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/74/203/एमटीए-1774-4552-ई, जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74/220 एमटीए 1774-4552-ई, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74-227/एमटीए/7571/12591-ई, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74/221/एमटीए 1774/4837-ई, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74/243/एमटीए-2061/1927-ई, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74/273 एमटीए-1774/4552-ई, जो दिनांक 9 जनवरी, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-9394/75)

(3) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात माल ढुलाई कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/74/204/एमटीए-1774-4552-ई, जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/74/222/एमटीए/1774/4837-ई, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/74/242/एमटीए/2061/1927-ई, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(घ) अधिसूचना संख्या जी एच/जी/74/272/एमटीए/1774/4552/ई, जो दिनांक 9 जनवरी, 1975 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-9395/75)।

पारपत्र अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : मैं पार पत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 19 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 51(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूँ जिसमें दिनांक 30 अगस्त, 1972 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 398(ङ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 9396/75]

आश्वासनों पर की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले 15 विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 9397/75]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जिस समय सभा-पटल पर पत्र रखे जाते हैं, उस समय निवेदन नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पहले इसकी अनुमति दी जाती थी।

अध्यक्ष महोदय : कभी नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने प्रश्न नहीं पूछना है। आप क्या मार्ग निर्देश दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप आश्वासनों सम्बन्धी समिति में प्रस्ताव रख सकते हैं।

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा अधिसूचनाएं

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए/देखिए संख्या एल० टी०-9398/75]

(2) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 175 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसमें उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कतिपय और संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-9399/75]

वर्ष 1975-76 के लिए अनुदानों को विस्तृत मांगें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1975-76 के लिये निम्नलिखित मंत्रालयों के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूँ :—

(1) वित्त मंत्रालय

(2) उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(4) श्रम मंत्रालय

(5) विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(6) इस्पात और खान मंत्रालय

(7) पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(8) परमाणु ऊर्जा विभाग

(9) अन्तरिक्ष विभाग

[ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०-9400/75]

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1975

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 364 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखा हूँ :—

[सभा-पटल पर रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-9401/75]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री मोरारजी देसाई द्वारा अनिश्चित काल तक अनशन करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker Sir, Before I draw the attention of the hon. Minister. I would like to know where he is?

Mr. Speaker : He has come.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन के प्रति श्री रेड्डी के व्यवहार के बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

Shri Atal Behari Vajpayee : (Gwalior) : The hon. Minister should express regret for comming late.

Mr. Speaker : How can he ? You have not read your notice yet.

अध्यक्ष महोदय : वे रास्ते में हैं।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : उप मंत्री महोदय सदन में उपस्थित हैं। वह भी गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मुझे खेद है कि मैं दो या तीन मिनट विलम्ब से आया हूं।

श्री के० एच० चावड़ा (पाटन) : वक्तव्य की प्रतियां हमें दी जानी चाहिए थीं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। पुरानी परम्परा को तोड़ा जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सायं के 4 बजे तक के लिए स्थगित किया जाये और वक्तव्य की प्रति हमें प्रतिचालित किया जाये।

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : Let the Calling attention be postponed and 2 hours be allocated for discussion, so hon. members of others parties may get opportunity to participate in the discussion.

Shri Madhu Limaye (Banki) : Sir, on a point of Order.....(*Interruption*). The age of old convention is being violated. Copies of the statements have not been circulated to us. Secondly the Minister has come after 12 O'clock. How can we put supplementary questions.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : वक्तव्य की प्रतियां बांटी जानी चाहिए। परम्परा के अनुसार जिन सदस्यों के नाम सूची में होते हैं उनको तो वक्तव्य की प्रति दी जाती हैं। लेकिन इस मामले में इस परिपाटी को तोड़ा जा रहा हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाये और इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सायं के 4 बजे तक के लिए चर्चा स्थगित की जानी चाहिए।

Shri Atal Behari Vajpayee : This should be postponed till 4 O' clock as this is very serious and urgent matter.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मोरारजी देसाई की 12.30 बजे डाक्टरी जांच होगी। इसलिये भी इस पर शाम के 4 बजे तक के लिये चर्चा स्थगित की जानी चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सीमित रूप में स्वीकृत हुआ. इसमें हमने आपात स्थिति समाप्त करने की मांग की है। इसमें श्री मोरारजी देसाई की महत्वपूर्ण मांगें भी शामिल हैं।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यदि आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शाम के 4 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है तो मेरे अल्पसूचना प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : श्री मोरारजी देसाई के स्वास्थ्य के बारे में प्रकाशित होने वाली बुलेटिन की एक प्रति ग्रन्थालय में रखी जानी चाहिये ताकि हमें श्री देसाई जी के स्वास्थ्य के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहे।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य की अग्रिम प्रतियां सप्लाई करने का कोई नियम नहीं है। लेकिन हम इस प्रथा का पालन करते आ रहे हैं। लेकिन हम इस प्रथा का भी पालन करते हैं कि कुछ कठिनाईयों के आने पर हम अग्रिम प्रतियां नहीं देते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे वक्तव्य को सदन में पढ़ कर सुना दें।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम्) : वह हमें बतायें कि उन्हें क्या कठिनाई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया आप सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण न करें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम अपवादों का पालन नहीं करेंगे। हम तो प्रथाओं का पालन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नियम तो बने हुये हैं। लेकिन जहां तक इस सम्बन्ध में प्रथाओं का सम्बन्ध है वे भी हैं। श्री मिश्र जी कहते हैं कि कुछ मामलों में अपवाद हो सकते हैं जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बारे में गृह मंत्री का मत भी लेना चाहिये, कि उनके लिये कौन-सा समय उपयुक्त है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस पर सायं के 4 बजे चर्चा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शाम के 4 बजे सोवियत संघ का शिष्टमंडल मुझसे मिलने के लिये आ रहा है। अतः इस पर 3 बजे चर्चा आरम्भ की जायेगी।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

146 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन संघ सरकार (रक्षा सेवायें)—पैरा 6, 8, 9, 12, 13 और 19 पर लोक लेखा समिति का 146 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 141 के दिनांक 27 फरवरी, 1975 को दिये उत्तर को शुद्ध करने सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT RE. CORRECTION OF ANSWERS TO S. Q: NO. 141 DATED 27TH FEBRUARY, 1975 RE. DURGAPUR STEEL PLANT

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : जैसे ही इस्पात विभाग को लोक सभा की 27 फरवरी, 1975 की शब्दशः कार्यवाही की प्रति जांच के लिये मिली तो जांच करने पर पता चला कि 27 फरवरी, 1975 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 141 से संबंधित पूरक प्रश्नों के जो उत्तर मैंने दिये थे उनमें कुछ अशुद्धियां रह गई हैं। इनकी जांच सम्बन्धित पुराने रिकार्डों से करनी थी और पुराने रिकार्डों की जांच करने में समय लगा और चूंकि बीच में कुछ छुट्टियां आ गई, इसलिये इन अशुद्धियां को ठीक करने सम्बन्धी वक्तव्य पहिले नहीं दिया जा सका।

2. उपर्युक्त प्रश्न के सम्बन्ध में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय कोक ओवन बैटरियों के रख-रखाव कार्य की उपेक्षा के उत्तरदायित्व के बारे में मैंने कहा था।

"श्री आर० के० चटर्जी पहिले वहां सहायक महा-अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे और बाद में वहां महा-अधीक्षक हो गये और बाद में महा-प्रबन्धक बन गये। हमने उसके लिये उसे उत्तरदायी ठहराया था। उसकी पदावनति कर दी गई थी। बाद में उसने इसके विरुद्ध अभिवेदन किया था लेकिन अन्ततः उसे कारखाना छोड़ना पड़ा" उपर्युक्त कथन सही नहीं है। स्थिति इस प्रकार है कि सरकार ने यह फैसला किया था कि "श्री आर० के० चटर्जी को, जो सहायक महा-अधीक्षक तथा बाद में महा-अधीक्षक के पद पर आसीन थे तथा पाण्डे समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के समय जो महा-प्रबन्धक के पद पर कार्य कर रहे थे, पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जाये। तदनुसार उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।"

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था "कोक ओवन बैटरी के पुनर्निर्माण को यथाशीघ्र पूरा करने के लिये कार्रवाई की जा रही है" सही स्थिति यह है कि कोक ओवन बैटरी संख्या 1 का पुनर्निर्माण हो चुका है। बैटरी संख्या 2 और 3 का पुनर्निर्माण प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरने में सरकार की असफलता

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, There are more than 40 vacancies in various High Courts of the country at present. In view of the fact that there are more than 5 lakh cases pending, I would like to know as to why those vacancies have not been filled. Is it not a fact that some differences have arisen between the judiciary and the executive in regard to the appointment of judges and whether some of the persons whom the Government wanted to appoint as judges have not been considered fit by the Judiciary ? Do the Government want to have committed judges ? Is it also not a fact that Maharashtra High Court has sent a protest to the Government in regard to certain remarks made by the State Law Minister, about the judges of the High Court ? Let the Law Minister explain all these things.

विधि. न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : माननीय सदस्य ने एक और मुद्दा उठाया है जो उन्होंने अपने नोटिस में नहीं दिया है। मैं केवल उन्हीं दो मुद्दों का उत्तर दूंगा जो नोटिस में दिये गये है।

पहला प्रश्न न्यायालयों में बढ़ रहे मामलों के बारे में है, दूसरा रिक्त पदों को न भरे जाने के बारे में है। यह सच है कि इस समय लगभग 43 या 44 स्थान रिक्त पड़े हैं। ये स्थान चालू रखे जाने वाले नहीं हैं। यह प्रक्रिया तो निरन्तर चालू रहती है। जब भी पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, छटनी या अन्य कारणों से कुछ और पद रिक्त हो जाते हैं। लेकिन यह सच है कि कुछ पदों को जितने समय तक रिक्त रखा जा सकता है उन्हें रिक्त रखा जाता है। इन रिक्त पदों पर कई कारणों से नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में मतभेद या विवाद है।

उच्चतम न्यायालय में इस समय एक पद रिक्त पड़ा है, गत जनवरी में रिक्त हुआ था। अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली गई हैं। ये सभी नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही की गई हैं। अतः इस स्थिति को गम्भीर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्यायाधीशों का चयन करने में कुछ समय तो लग ही जाता है। हमें देश में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीशों में से श्रेष्ठ उपलब्ध व्यक्ति का चयन करना पड़ता है।

उच्च न्यायालय की प्रक्रिया कुछ और लम्बी है। वहां उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी पड़ती है और फिर भारत सरकार नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देती है। ये प्रस्ताव सदैव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही किये जाते है। भारत सरकार कोई प्रस्ताव नहीं करती है। कुछ मामलों में भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ अधिक स्पष्टीकरण तथा अधिक जानकारी प्राप्त करता है जिसमें कुछ विलम्ब हो जाता है। कभी-कभी कुछ मामलों में भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय या राज्य के राज्यपाल की सिफारिश से सहमत नहीं होता। फिर भी हमने उच्च न्यायालय के लिये किसी न्यायाधीश की भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बिना स्वयं नियुक्ति नहीं की है। मतभेद होने पर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह सर्वमान्य होती है।

1972 में विधि मंत्रालय का कार्यभार सम्भालने के तुरन्त बाद मैंने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब न करने की दृष्टि से पदों के वास्तविक रूप में रिक्त होने से पहले ही प्रस्ताव कर देने चाहिये और मैंने यह सुझाव दिया है कि ऐसे प्रस्ताव लगभग छः महीने पहले से ही करने चाहिये।

इस समय 43 रिक्त स्थान है। इनमें से केन्द्रीय सरकार को 19 स्थानों के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। मैं मानता हूं कि सबको इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये प्रयास करना चाहिये। एक और कठिनाई यह है कि बाहर से ऐसे योग्य व्यक्तियों का मिलना कठिन है जिन्हें उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सके। सरकार न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करने पर विचार कर रही है।

उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की अधिक संख्या के कारण हम चिंतित हैं। सभा की रुचि की बात है कि गत दो या तीन वर्षों में न्यायालयों में निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि

हुई है। फिर भी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामलों को शीघ्र निपटाने के सभी उपाय कर रही हैं। गत कुछ वर्षों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है।

केवल न्यायाधीशों की कमी ही मामलों की संख्या में वृद्धि का कारण नहीं है। कानूनी प्रक्रियाओं के कारण भी विलम्ब होता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता में इसीलिये संशोधन किया जा रहा है और तत्सम्बन्धी एक विधेयक सभा की एक समिति के समक्ष विचाराधीन है। इस के पास हो जाने के बाद विलम्ब में कमी हो जायेगी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय मंत्री पहले इस बात से सहमत थे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के बाहर से होने चाहियें। क्या इस सम्बन्ध में कार्य वाही की जा रही है ? दूसरे क्या ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को बड़े-2 सरकार पदों पर नियुक्ति नहीं किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप नीति सम्बन्धी मामला उठा रहे हैं। जब यह मामला नियम 377 के अधीन उठाया गया है। अब हम कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री एस० एन० बनर्जी (कानपुर) : मैंने नियम 377 के अधीन एक नोटिस दिया है। कानपुर में बिजली में कटौती के कारण मजदूरों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अनेक फैक्ट्रियां बन्द हो गई हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा।

अनुदानों की मांगें 1975-76
DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय--जारी

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, we are discussing one or the other aspect of agriculture for the last many days. India is an agricultural country. Half of our national income is derived from agriculture and seventy five per cent of our people are engaged in it. Here we have certain political parties which do not want the progress of farmers. **(interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऊंचा मत बोलें। मैं श्री बनर्जी को भी अवसर दूंगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

Shri Shankar Dayal Singh : I want to draw the attention of the hon. Minister to the irrigation schemes of Bihar which are pending before the Central Government for the last so many years. In particular I want to refer to Tilaya-Koner scheme which comes under the Damoder Vally Corporation. This scheme is under consideration for the last 10-12 years. I want that an early discussion may be taken on this scheme. These schemes come within my constituency. I had held out a promise to my constituents that I would place this matter before the Central Government. I would request the hon. Minister to say something in this regard.

Government should give priority to the implementation of irrigation schemes.

The water is the first requirement of farmers in every state. The prices of inputs have gone up, but the Government has to fixed the procurement price on the very low side. It should be looked into.

The working of the Food Corporation of India is not satisfactory. It is not serving the purposes for which it was set up. The number of employees of this Corporation is increasing . Originally its strength was only 6 or 7 thousand but now the number of employees is between 44 and 50 thousand. The hon. Minister is saying that it is 70 thousand. It has been reported many times that large numbers of thefts are taking place in the godowns of the Corporation. An enquiry should be held in the working of this Corporation.

I want to draw the attention of the Government to working of the Indian Council of Agricultural Research. This Council is under the Ministry of Agriculture. There have been cases of suicides by the employees of this Council. A Committee under the chairmanship of Shri Gajendragadkar was set up to enquire into the working of the council. I want to know the recommendations of the above committee that have been accepted. I feel that this council is not rendering that much help which is expected from it. Government should keep a close watch on its working.

It is a matter of gratification that with the taking over of Agriculture portfolio by Shri Jagjivan Ram we are expecting an increase in the food production. In Bihar the crops are in good shape. A record production is expected this year. I want this record to be maintained.

The outgoing U.S. Ambassador to India Mr. Moynihan has struck very hopeful note above India's food prospects. He has expressed his views in an interview he had given to the correspondent of "Newsweek" He said that India can feed the entire world. Thus the need of the hour is that irrigation facilities should be provided to the unirrigated land and the problems of the farmers be solved.

The number of agricultural labour is increasing. This labour is not organised. That is why they cannot get the benefit of legislation enacted for their welfare. They continue to be exploited at remote places and in large number. I request the Government to pay attention to this category of laboures and devise ways for the improvement of their lot. A wage Board should be set up to fix the rates of wages of their wages. With these words I welcome the statement of the hon. Minister of Agriculture.

Shri Bhagirath Bhanwer (Jhabua) : The most essential item in the country is food. It is necessary to adopt modern methods to make up the shortage of foodgrains. We had a lot of slogans in the name of green revolution. I want to say about the condition in my state *i.e.* Madhya Pradesh. It is an agricultural state. Production can be increased there if adequate irrigation water is made available. There is great need of increasing the water availability there. With the implementation of Narmada valley scheme lakhs of acres of land will get water for irrigation. This will result in increase of production of food grains. I request that the Central Government should take a decision at an early date.

Many states have enacted laws for land reforms, but those laws have not been implemented. There is a common complaint of corruption against Government officers. When certain charges are proved against a person, he should be punished and not promoted. In Madhya Pradesh many corrupt officers have been promoted. It is not good.

Central Government provides funds for land reforms in states. These funds are not put to proper use. Government should look into the complaints in this regard. The guilty officers should be punished.

I want to refer to the hill areas. These areas are being neglegted. Facilities for growing crops there should be provided by the Government.

We hear too much about the improved seeds. some dealers sell adulterated seeds. This should be checked and farmers should be provided genuine seeds.

Fertilizer is the most inportant input for increasing food production.. Now its price has been increased It is beyound the reach of a farmer to purchase it at exorbitant rate. I request that the price of fertilizer should not be increased any more.

The distribution system is also faulty. There is lot of corruption in it. The farmers are forced to pay higher price for inputs and even then they do not get it in time. All these things should be looked into · by the Government. Phosphate has been found in my district. I request that a fertilizer factory be set up there. That areas is very backward area.

The Forests are being cleared from the area. This will cause shortage of water later on. Steps should be taken for the protection of forests.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chapra) : Our country is an agricultural country. The prosperity of our country depends on the prosperity of our farmers. It is a matter of pity that even after 28 years of independence we are not able to meet our requirements in regard to food. The main reason for our failure is that we are sticking to our age old methods of cultivation. We are not keeping pace with the modern world.

Every year we have floods or droughts in our country. Dams should be constructed on rivers to control the flow of rivers. In this we can make proper use of water.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the chair.

The Central Government is not paying due attention to minor irrigation schemes. These schemes are less costlier and they are completed in less time. Simultaneously big projects should also be expedited. By taking such steps our country will become self-sufficient very soon.

Bihar is our agricultural state. Its northern part has many rivers. It was in 1947-48, that our late President Dr. Rajender Prasad when he was Irrigation Minister had mooted idea of Gandak irrigation scheme. The work on this scheme was taken up during the third plan, but it has not been completed so far. When completed this scheme will be beneficial for the states of Bihar, U.P. and our neighbouring country Nepal.

Another important input is seeds. In Bihar seeds of the imporved variety are supplied very late. Government should open seeds centres in all the states. It should be supplied to the farmers well in time.

Last year the supply position of fertiliser was very bad. Then diesel was not available. When it was available its price had been enhanced.

The poor farmers is not given remunerative prices for his produce but he is charged higher price for the items he needs.

There is mere talk of land reforms. The landless agriculture labour has not been given land. Land reforms should be introduced without delay and consolidation of holdings should be completed expeditously in Bihar.

श्री बनमाली बाबू (सम्बलपुर) : कृषि के विकास के लिये आवश्यक है कि भूमि का बंटवारा आदि, जल की व्यवस्था और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध ठीक ठीक हो। हमारे देश में इन का अभाव है। फिर भी हमने जो प्रगति की है वह अन्य विकसित देशों की तुलना में कम समय में की है।

जैसा कि 'आर्थिक सर्वेक्षण' में कहा गया है मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने प्रयासों में ढील न लानी होगी। हमारी चावल की विकास दर अभी तक केवल 2.5 प्रतिशत है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर होती जा रही है। हमारी जनता का 75 प्रतिशत भाग इन क्षेत्रों में रहता है। सरकार को रोजगार सम्बन्धी जोरदार कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर लागू करना चाहिये।

आज देश के बड़े भाग में अकाल की स्थिति बनी हुई है। इसलिये सिंचाई की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अतः मैं मांग करता हूं कि सिचाई के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाये। राज्य सरकारें प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपया राहत कार्यों पर व्यय करती हैं। इस राशि को सिंचाई पर लगाया जाना चाहिये।

उड़ीसा राज्य के पास बहुत प्राकृतिक साधन हैं परन्तु उसके वित्तीय साधन बहुत सीमित है। राज्य ने केन्द्रीय सरकार से अनेक बार सहायता की मांग की है। इस सम्बन्ध में आश्वासनों के बावजूद कुछ नहीं किया गया है।

सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने में बहुत समय लगेगा। इसलिये शुष्क खेती के तरीकों को बढ़ाना और उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाना लाभप्रद होगा। फसलों को भूमि और क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार बोया जाना चाहिये।

किसानों को उनके उत्पादन के लिये लाभप्रद मूल्य दिये जाने चाहियें। जब तक किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता वे लोग अपना उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे। कृषि मूल्य आयोग ने धान के लिये 74 रुपये का जो मूल्य सुझाया है वह ठीक नहीं है। सरकार औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों को कम नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में किसानों के उत्पादों के मूल्यों को कम रखना कहां तक उचित है? धान की खेती बहुत कठिन काम है। इस लिये धान के मूल्य की गेहूं के मूल्य के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिये। धान का मूल्य अधिक होना चाहिये।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : It is India's misfortune that inspite of her being an agricultural country it is not self sufficient in the matter of food. Our Government has made every effort to boost production of foodgrain. Simultaneously our country's population is also incresing rapidly. Thus the problem of shortage of foodgrains is there.

A lot of our food is lost in handling, We should control the birth rate in the country. The year 1975 should be observed as no baby year in the country.

All the facilities of modern methods have been given to the big farmers. The small farmers have been neglected, though their member is very big. I would appeal to the Government to solve the problems of small farmers on priority basis.

These should not be any discrimination between male and female labourers. They should be paid equal wages. Only then it would be true socialism. Whenever women are working the principle of equal pay for equal work should be applied there.

Many departments are concerned with the implementation of policies regarding agriculture. It is very necessary to bring about proper coordination between those departments The accent should be on providing more and more facilities to the small farmers.

District Badaun in U.P. is a very backward district. I had written to the authorities that a Dairy Farm should be set up. Some preliminary work was done there but it seems that it has been given up now. I would like to know the factual position in this regard. Dry farming should be encouraged. The bureaucracy should not be allowed a free hand in all their tasks etc.

Forest Corporations have been set up in many States but I want them to be set up for Union Territories like Goa, Pondicherry and Andaman and Nicobar Islands, because these Islands are being denuded of forests and the wood is being sold in Calcutta and other places in collusion with officials there I had written to the Prime Minister also and I want an enquiry into this bungling and the working of forest Department there.

श्री दी० के० पंडा (भंजनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में अकाल की इतनी भयंकर स्थिति है कि कालाहांडी जिले में लोगों द्वारा अपने बच्चे बेचने के समाचार आ रहे हैं। राज्य विधान सभा में इस स्थिति पर चर्चा हो चुकी है जबकि यहां मंत्री महोदय के अनुसार स्थिति इतनी गंभीर नहीं है।

यद्यपि गेहूं की सप्लाई 10 हजार टन से बढ़ाकर 28,000 टन कर दी गई है, तथापि चावल की सप्लाई अपर्याप्त है क्योंकि गतवर्ष 2.14 लाख टन की अपेक्षा इस वर्ष मार्च, 1975 तक केवल 38 हजार टन ही दिया गया है और सरकार ने और सप्लाई करने में असमर्थता व्यक्त की है। उड़ीसा में इतनी गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि सरकार तुरन्त अपेक्षित मात्रा में चावल सप्लाई करे क्योंकि वहां रोजी, जो वहां का सबसे सस्ता मोटा अनाज है, भी 2.50 रुपये प्रति किलो बिक रहा है जो अभूतपूर्व है।

केन्द्र को सिंचाई परियोजनाओं के लिये भी राज्य को 75 करोड़ के बजाये 150 करोड़ रुपये देने चाहियें या 21 लाख एकड़ बंजर भूमि कृषि योग बनानी चाहिये। यदि केन्द्र सहायता दे तो राज्य सरकार को इस भूमि से 100 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र से सामन्त-वादी प्रभाव समाप्त करना होगा और आमूल भूमि सुधार लागू करने होंगे।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Sir, Agriculture is the backbone of national economy but it has been hit by either floods or droughts every year.

Speaking about Bihar, in 1974 when we had an aerial survey of the flood-hit state, we found that the entire North Bihar has become a single sheet of water because Burhi Gandak river had washed away as many as 120 villages in Samastipur district alone. Many seed farms have been washed away. I am very thankful to the Catholic Church Mission and Marwari Relief Society for coming to the people's rescue.

Ganga flood Control Commission was set up in 1970 but I understand it is now being re-activised again which is very essential. I also hope that how desiltation work will also be done more vigorously. You would be astonished to know that in such a vast country there are only two dredgers which were given to Assam in 1973.

They work at snail's pace and hence you cannot control Brahmputra's flood with them.

On the one hand Government propose to bring 6.2 million hectares under irrigation but regarding Ganga flood Control Commission, it has been said that work on this will be done subject to availability of funds. I think it is a very vital project and should be given top priority.

The Land ceiling Act cannot be called an Act unless it is effectively implemented.

Rural Engineering Organisation should be revamped and energised so that it might attend to rural road-building works more properly and expeditiously.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Sir, I will cover only 2 or 3 subjects relating to the Ministry of Agriculture and Irrigation.

It is not known on what basis the procurement price of wheat has been fixed at 105 Rupees per quintal. It is unfortunate that the farmers in the country are not organised and therefore they are dependent on Government for their survival, but the Government propose to finish them by forcible procurement of their produce at such a low price becasue no one can produce wheat today at the rate of 105 rupees per quintal. It appears that Government have changed the definition of inflation when they say that by paying more remunerative price to the farmers there would be inflation in the country because this would not be unproductive expenditure as the farmers would reinvest the same in stepping up the production. In view of the present level of prices it is not possible for the farmer to exist if he is given 105 rupees per quintal of his wheat.

However, I am happy that small farmers have been exempted from Procurement. But 'small farmers' shall have to be defined and should not be left at the discretion of the State Governments.

The Bonus Scheme should be announced soon so that farmers get at least 125 Rupees per quintal for their wheat, otherwise wheat production is bound to come down next year.

The Agricultural Prices Commission has not been pragmatic and sensitive to present-day difficulties in fixing the procurement price of wheat. I, therefore appeal to Government to revise this price to make it remunerative to the farmer. Government should arrange more loans for farmers who are the backbone of our Country.

Till last year we were dependent on imports for cotton, but now when farmers boosted its production there are no purchasers for the same. Can we not export this good quality cotton and earn foreign exchange ?

Regarding fertilizers, it is regrettable that actual production is a mere 54-55 per cent of the total installed capacity whereas we have spent 500 crores of rupees in exporting the same in one year alone.

Regarding sugar, the farmers has been bound to sell sugarcane to factories only who do not pay its price for years. This is unfortunate. Government should concede the pressing demand for nationalisation of sugar industry to ensure more production and prompt payment to the farmers.

I am sorry to say that Government had not been sincer in establishing Panchayati Raj in the country which had raised high hopes in the rural areas at its inception In my state Panchayat elections have not been held for the last ten years. Similarly we have forgotten the Co-operative movement also. Panchayats and Co-operatives are the very life and soul of the farmers and they should, therefore, be developed.

In the end I congratulate our Ministers and Scientists for the very good work they have done to boost agricultural production. At the same time the shortcomings should be removed and improvements made.

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : Sir, I support the Demands of the Minirtry of Agriculture and Irrigation and I want that this Ministry should be accorded priority but it is regrettable that in spite of 28 years of Independence and four Plans we have been able to provide irrigation facilities to a mere 27 per cent of all available cultivable land and in the certain States it is 7-8 per cent only. I therfore, want a time-bound programme to be chalked out and implemented so that the farmers are not left at the mercy of nature and its vagaries.

Land reform legislation should be uniformly implemented in all states to get the best from farmers. Serious thought should be given to this aspect as agriculture is the source of half the total national income and 80 per cent of our population is dependent on it.

Regarding fertilizers, it has been claimed that we shall be self-dependent by 1980, but then the demand shall be double. Does this mean that we will never attain self-sufficiency in this matter.

Soil testing machinery is lying dormant. Perhaps this is due to lack of direction which should be provided by the Centre.

Although farm production has considerably increased but the farmer has not profited therefrom. Rather his income has come down to half or one third. Similarly, cane production has also gone up but the farmers continue to be exploited. I would cite the example of Lord Krishna Sugar Mill of Saharnapur which was taken over by Government but 39 lakh rupees are due for the last two years for payments to farmers and Government refuses to take responsibility therefor. I urge upon the Government to set matters right.

श्री पी० वी० जी० राजू (विशाखापटनम) : मद्रास में पेय जल की बहुत कठिनाई है। आंध्र का पानी मद्रास को दिया जा सकता है परन्तु यहां मैं तमिलनाडु सरकार की आलोचना ही करूंगा क्योंकि वर्ष 1939 में 120 करोड़ रुपये की रामहद सागर परियोजना का सर्वेक्षण कराया गया था। मेरे विचार से अब भी इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

इस परियोजना को मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बीच एक अन्तर्राज्यीय परियोजना समझा जाना चाहिए। इससे कई मामले हल हो जायेंगे। इससे कावेरी विवाद की समस्या भी हल हो जायेगी। यदि रामपदसागर का विकास कर लिया जाये तो इसके जल को नागार्जुनसागर बांध से मिलाया जा सकता है और नागार्जुनसागर बांध का पानी मद्रास और दक्षिण भाग में पहुंचाया जा सकता है। इस तरह मद्रास से 40 मील की नहर हो जायेगी। यदि राणा प्रताप सागर परियोजना का विकास हो जाये और यदि हम अन्तर्राज्यीय नदी परियोजना बनायें तो समूचा तमिलनाडु समूचे भारत के लिये चावलों का उत्पादन कर सकता है। जल का मामला अखिल भारतीय मामला होना चाहिये। नर्मदा नदी जल विवाद अभी चल ही रहा है। नर्मदा नदी परियोजना का विकास किया जाना चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारे देश की नदियों का 5 प्रतिशत से अधिक जल समुद्र में नहीं जाना चाहिये। यदि रामगढ़ सागर पर कार्य कर लिया जाये तो यह तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना होनी चाहिये। इस तरह मद्रास शहर को पेयजल की कमी से बचाया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय परियोजना के रूप में गोदावरी नदी का भी विकास किया जाना चाहिये।

Shri Hari Singh (Khurja) : The farmers have been complaining about price fixation of their produce. They say that they are paying high prices for the inputs but they do not get remunerative price for their produce. The procurement price of wheat should be increased so that the farmers may get encouragement for increasing food production.

This year there has been bumper crop of potatoes and the farmers are selling potatoes at the rate of rupees eight per quintal. This is not remunerative price. They are disappointed because they are not getting reasonable prices. Government should make arrangements for selling their potatoes so that they may get remunerative prices.

The crops should be insured. If all the crops cannot be insured at least wheat and sugar cane crops should be insured becasue these are important crops.

In Uttar Pradesh the Sugar Mills have not paid dues to the farmers. These mills should be nationalized and they should be paid their dues without further delay.

At Atomic Power Station is being set up at Narora, but this work should be completed as early as possible. The construction work of this power station should be expedited.

Small farmers have to borrow money from the moneylenders. The Government should formulate such a scheme under which the small farmers may get loan upto 10,000 rupees without any difficulty.

In my district there is Lakhawati Agriculture College. It is an old college. It should be made a full fledged University.

Milk is supplied to Delhi Milk Scheme from this area. Due to want of a chilling centre good quantity of milk is spoiled. A chilling centre should be set up near Dadri.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : हाल में हुए विश्व खाद्य सम्मेलन, जिसमें हमारे देश ने भी भाग लिया, में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक राष्ट्र जब तक पर्याप्त धनी नहीं बनता और अन्तर्राज्यीय अनाज व्यापार में विद्यमान विपणन तंत्र के अन्तर्गत अनाज खरीदने की क्षमता नहीं रखता तब तक उसे अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिये मुख्यत: अपने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से भी स्थिति और गंभीर हुई है तथापि देश में अनाज का उत्पादन गत दशकों की तुलना में कम हुआ है।

चौथी योजना के दौरान कृषि उत्पादन कुल 2.8 प्रतिशत वार्षिक दर से हुआ है। कई फसलों में जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में अनाज की वृद्धि दर कम हुई है जिससे प्रति व्यक्ति की आवश्यक वस्तुओं की खपत में भी गिरावट आई है। इस दौरान कृषि में वैज्ञानिक पुट देने के बावजूद भी हम अपने कृषि उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाये।

सौभाग्य की बात है कि आगामी रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है। मौसम संतोषजनक रहा है। यह अनुमान लगाना अभी अनुचित होगा कि खाद्य अर्थव्यवस्था सुधार और विकास के नये दौर में पहुंच गई है। वास्तविकता यह है कि इस मामले में आत्म संतोष होने की कोई गुंजाइश नहीं है। यद्यपि खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में कृषि क्रांति से हमें सहायता मिली है फिर भी अभी हमें घटिया स्तर का पोषाहार भी नहीं मिल रहा है और तिलहन, दाल, पशु प्रोटीन तथा अन्य वस्तुओं की खपत में भी कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि तथा बेहतर जीवनयापन की आकांक्षाओं के कारण इस अंतर में वृद्धि होगी।

इस अंतराल को कम करने के लिये हमारे पास एक मात्र उपाय यही है कि भूमि का उपजाऊपन बनाये रखा जाये और प्रत्येक खेत की इस तरह से व्यवस्था की जाये जिससे कि उसमें अधिकाधिक अनाज उत्पन्न हो।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह भूमि संरक्षण और भूमि व्यवस्था की अपनी नीति ऐसी बनाये जिससे भूमि का उपजाऊपन बना रहे और किसी निश्चित अवधि के अन्दर हम अधिकाधिक खाद्य उत्पादन कर सकें। सिंचाई के बारे में मेरा यह कहना है कि जो भी परियोजना आरम्भ की जाये वह पूरी की जानी चाहिये ताकि 5—10 वर्षों के अन्दर हम इन परियोजनाओं का लाभ उठा सकें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—Contd.

श्री मोरारजी देसाई द्वारा अनिश्चित काल तक अनशन करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

"Situation arising out of Shri Morarji Desai's decision to go on an indefinite fast demanding an early poll in Gujarat."

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : खेद है कि श्री मोरारजी देसाई गत सोमवार से अनिश्चित काल तक के लिये अनशन पर हैं। मैं अपने लिये बोल रहा हूं........

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय क्या मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं ?

(**व्यवधान**)

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आपकी अनुमति से मैं कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मंत्री जी की बात सुन लें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कोई भी सदस्य जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करता है तो उसका उद्देश्य उस विशेष मामले पर सरकार का विचार जानना होता है न कि किसी मंत्री के व्यक्तिगत विचार। किन्तु यहां माननीय मंत्री कह रहे हैं "अपनी ओर से कह रहा हूं," हम यहां श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के व्यक्तिगत विचार नहीं जानना चाहते। हम उन्हें ब्रह्मानन्द रेड्डी के नाम से कोई मान्यता नहीं देते। उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में सरकारी विचार पेश करने चाहियें। मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सही उत्तर नहीं है। अतः इस वक्तव्य को अनुपयुक्त समझा जाय।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker if the Prime Minister has herself no knowledge then how the Home Minister can give exact information. (*Interruptions*)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों कि इस मामले में रुचि नहीं है प्रधान मंत्री उनसे खुश हैं...... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए (**व्यवधान**) जब मंत्री महोदय वक्तव्य पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ शब्द और जोड़ने जा रहा हूं...... (**व्यवधान**) मैंने आपकी बात पूरी भी नहीं की और आप इतने उत्तेजक हो गये हैं। (**व्यवधान**) कृपया बैठिए। मेरी बात सुनिये (**व्यवधान**) मन्त्री का वक्तव्य सदस्यों की इच्छा पर परिचालित किया गया है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह इसमें कुछ और नहीं जोड़ सकते।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बात यह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा था कि...... (**व्यवधान**) मंत्री जी ने कह दिया है कि मैं कुछ और कहना चाहता हूं उचित यही है कि हम उनकी बात सुन लें।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं यह शब्द जोड़ना चाहता था कि हमें, सरकार को अत्यधिक खेद है (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I raise on a point of order (*Interruptions*)

श्री एच० के० एल० भगत : वह अनावश्यक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं इस पर आपत्ति उठायी जानी चाहिये। गृह मंत्री को इस प्रकार बार बार रोकना कहां तक उचित है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। श्री देसाई के अनशन की वजह से गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। इसमें समय का महत्व है। इसलिये यह कोशिश हुई थी .... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस वक्तव्य पर मंत्रि-मंडल की अनुमति ली जानी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सरकार की ओर से बोल रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने प्रधान मंत्री के जाने के छः घंटे बाद के शब्द जोड़ हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने गृह मंत्री के इस संशोधन का अनुमोदन नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि क्या गृह मंत्री कोई और संशोधन करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं कुछ कहता हूं (**व्यवधान**) मंत्री जो कुछ भी कहता है वह सरकार की ओर से होता है। आप उन्हें पूरा वक्तव्य देने दीजिये। उसके पश्चात् आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री **श्यामनन्दन मिश्र** : जब उन्होंने कहा "I am speaking for myself" तो अध्यक्ष तथा सभा का कर्तव्य है कि वह उसे ठीक कराये। अब उन्होंने उसमें संशोधन कर लिया है। (**व्यवधान**)

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : खेद की बात है कि वह अपना बहुमूल्य जीवन के लिये इस तरह खतरा उठा रहे हैं। वह चाहते हैं कि वहां मई में चुनाव कराये जायें। गुजरात में इस समय अभाव की स्थिति चल रही है। व्यापक सूखे ने सामान्य जनजीवन को छिन्न भिन्न कर दिया है। ग्रीष्मकाल में लोगों की कठिनाइयों में और अधिक वृद्धि होगी। चूंकि मानसून के बाद ही चुनाव होंगे, सरकार आशा करती है कि श्री मोरार जी देसाई अनशन समाप्त करने के लिये राजी हो जायेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Deputy Speaker, Sir, before, I comment on the Statement made by the hon. Home Minister, I would like to apprise the House of the latest situation arising out of the fast started by Sh. Morarji Desai. Report submitted by the doctors after his Check-up is causing more anxiety. He could not sleep last night and he lost his weight by 10 pounds.

Shri Morarji Desai is inviting death not only for elections but also for the welfare of the people. On 27th February he told the House that it is rather better to die heroically in fighting the Government than to die of starvation for this kind of injustice inflicted by Government on the people of Gujarat. But the Government took rigid stand and elections were put off and President's rule was extended.

We have been demanding since long that famine situation should be declared in Gujarat. But the Prime Minister and the Government resisted and said that there is no famine in Gujarat. But now when Shri Morarji Desai has started his fast it is being confessed that famine situation prevails in Gujarat. Government is using all type of means of Communications for this purpose.

When mid-term polls were to be conducted in the Country, a crash programme was started in Gujarat to prepare electroral rolls. It was only done for the convenience of the Government. Was the Government not aware that there is drought situation in Gujarat ?

My next question is who will take final decision in regard to conduct of elections in Gujarat ? Will the elections be conducted at the convenience of the Government?

On 23rd July, Shri K.R. Ganesh told the House that election to the Gujarat Assembly will be held as soon as the delimitation of constituencies is finalised and electoral rolls on the basis of the new constituencies prepared. On 1st November a notification was issued saying that the delimitation has been completed. But in spite of all these things elections have been put off.

It is said by the Government that the situation prevailing in Gujarat does not permit of holding elections there. But it is not true. The Election Commission is prepared to hold elections. But at the instance of the Centre, Mr. Salim, Adviser to the Government, has started saying that elections cannot be held in Gujarat. He has no right to decide whether elections can be held there or not. Elections cannot be postponed on the pretext that scaracity conditions prevail in a particular area.

My submission is that Government to should take serious view of the fast undertaken by Shri Morarji Desai. I am delighted to see his morale but deterioration in his wealth is causing anxiety. We do not want that he should sacrifice his life. Shri Morarji Desai has demanded the holding of elections before monsoon. I would like to know from the hon. Minister the impediments in the way of holding elections before monsoon. Is it not a fact that drought is simply an excuse ? Congress party is not in favour of holdings elections there. Such a situation cannot be tolerated any more. If he dies, it will create chaos and the Government will not be able to control the situation.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : हमें स्वयं इसका खेद है कि श्री मोरारजी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है । लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ वास्तविकताओं पर विचार करना होगा । हम चुनावों को स्थगित करना नहीं चाहते । प्रतिपक्ष ने स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 19 नवम्बर, 1974 को श्री जगजीवन राम ने एक उत्तर में यह बताया था कि गुजरात विशेषकर बुवाई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है । इससे न केवल कृषकों में आत्म-विश्वास बढ़ा है बल्कि सरकार का बोझ भी कम हो गया है । सरकार कभी सच नहीं बोलती । निज-हित में मंत्री महोदय ने ऐसा कहा है ।**

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री जगजीवन राम अथवा श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी** बोल रहे हैं । मैं लोक सभा वाद-विवाद से उद्धरण दे रहा हूं । मंत्री महोदय* बोल रहे हैं ।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : क्या 'मंत्री महोदय** बोल रहे हैं' संसदीय भाषा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह शब्द रिकार्ड में सम्मिलित किया जाता है, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा । इसको कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ठीक है । मंत्री महोदय मिश्रित असत्य कह रहे हैं ।

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : मुझे** बोलने की आदत नहीं जितनी श्री ज्योतिर्मय बसु को ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसमें क्यों फंसे हैं ? आप श्री वाजपेयी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं न कि श्री ज्योतिर्मय बसु को ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : खाद्य मंत्री ने नवम्बर, 1974 में एक वक्तव्य दिया था । सदन यह जानना चाहता है कि नवम्बर या दिसम्बर में चुनाव क्यों नहीं करवाए गए जबकि खाद्य स्थिति अच्छी थी ।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

**Expunged as ordered by the chair.

उपाध्यक्ष महोदय : परम्परा यह रही है कि केवल वही सदस्य प्रश्न कर सकते हैं जिनका नाम बैलट में हों। मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु को इसलिए बोलने की अनुमति दी क्योंकि मैंने देखा कि मंत्री महोदय उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन ये सदस्य मंत्री महोदय से उत्तर प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। (**व्यवधान**) कृपया शान्ति रखें।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे विचार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि गुजरात में सूखे की गम्भीर स्थिति विद्यमान है बल्कि उन्होंने यह कहा कि इतने बड़े देश में कहीं न कहीं सूखा पड़ता ही है (**व्यवधान**) लेकिन प्रतिपक्ष को चाहिए कि वह स्थिति की गम्भीरता को समझें। चालू मास में लगभग 10 लाख लोग राहत कार्यों में लगे हुए हैं। अगले माम यह आंकड़े 13 लाख हो जाएँगे और हो सकता है 15 लाख हो जाएं। गांवों में पेय जल की कमी है और गांवों को पेय जल पहुंचाने के लिए टैंकरों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2-3 लाख जानवरों को ऐसे क्षेत्रों में ले जाया गया है जहां उन्हें कुछ चारा मिल सके (**व्यवधान**) प्रतिपक्ष के सदस्य वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखें। जहां तक श्री सरीन के बारे में उठाए गए प्रश्न का सम्बन्ध है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि चुनाव किए जा सकते हैं अथवा नहीं। मैं टेली-विजन पर श्री दत्त और श्री सरीन के बीच हुई बातचीत को उद्धृत कर सकता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने श्री दत्त को बताया कि आम चुनाव हेतु 2 महीनों के लिए 1300 लोगों की जरूरत पड़ेगी और 19,000 मतदान केन्द्र खोलने पड़ेंगे। सभी जीपों, ट्रकों आदि का भी चुनाव प्रबन्धों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। हो सकता है प्रश्न विशेष लक्ष्य से प्रेरित होकर पूछे गए हों। लेकिन सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना अस्वीकार कर दे।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। जहां तक ताल्लुका पंचायत और जिला पंचायतों के चुनावों का सम्बन्ध है, परामर्शदात्री समिति में प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों को यह बता दिया गया था कि इस काम में 5–6 महीने लगेंगे और चुनाव सम्बन्धी विषयों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जहां तक चुनाव करवाने का सम्बन्ध है, श्री मोरारजी देसाई ने स्वयं सदन में बताया था कि मई और जून सूखे और पेय जल की दृष्टि से संकटग्रस्त महीने होंगे।

माननीय सदस्यों को यह याद रखना चाहिए कि यह किसी दल की अनिच्छा का प्रश्न नहीं है और न ही यह प्रश्न किसी के अनशन करने पर प्रसन्नता अभिव्यक्त करने का है। यदि दो या तीन महीने से कोई फर्क न पड़ता हो तो बाद में चुनाव करवाया जा सकता है। प्रतिपक्ष श्री मोरारजी देसाई से बात करे और उन्हें कठिन स्थिति से अवगत कराए। यदि वह राजी हो जाएं तो यह हम सब के लिए और देश के लिए अच्छी बात होगी।

हम चुनावों से नहीं डरते। हमें जन-कल्याण को ध्यान में रखना है। प्रश्न चुनावों का नहीं है। प्रश्न यह है कि राज्य के कई क्षेत्रों के भूखापीड़ित लोगों का किस प्रकार ध्यान रखा जाए। अतः प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह गुजरात की स्थिति को विस्तृत परिपेक्ष्य में देखें।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : श्री मोरारजी देसाई 7 अप्रैल, 1975 से आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के दो विषयों के सम्बन्ध में अनशन किया है। ये विषय हैं — देश में आपातकालीन स्थिति को समाप्त करना तथा मई, 1975 से पूर्व गुजरात में चुनाव करवाने के लिए सरकार की अस्वीकृति। 1 अप्रैल, 1975 को प्रधान मंत्री के नाम लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उपरोक्त दो विषयों के कारण राष्ट्र में जनतांत्रिक संस्थाओं का ह्रास होता जा रहा है और मैं जनता को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किए जाने पर मूकदर्शी बना नहीं रह सकता हूं और न ही मैं मात्र विरोध प्रकट कर अपनी चेतना को दबा सकता हूं। इसीलिए मैंने आमरण अनशन करने का व्रत किया है।

ये दोनों विषय राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने सारे मामले को जरूरत से ज्यादा सरल बनाकर पेश करने की कोशिश की है। सरकार इस अनशन को व्यक्तिगत प्रयास न समझे। इस अनशन के पीछे गुजरात की जनता की आकांक्षाएं छिपी हुई हैं।

गुजरात राज्य में 9 फरवरी, 1974 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। छात्रों ने भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए नव निर्माण समिति गठित की। नया गुजरात बनाने के लिए आन्दोलन शुरू किया गया और समिति को जन-समर्थन प्राप्त हुआ।

श्री मोरारजी देसाई ने निष्क्रिय सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अनिश्चित काल के लिए अनशन शुरू कर दिया। यह आन्दोलन राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए नहीं बल्कि सक्षम और ईमानदार सरकार बनाने के लिए शुरू किया गया। इसलिए उन्होंने चुनाव की मांग की।

प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके हम गुजरात के लोगों की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं।

सूखा एक ही दिन में नहीं पड़ा। सरकार ने कभी यह संकेत नहीं दिया कि सूखे के कारण चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। इसके विपरीत कई मंत्रियों ने ये आश्वासन दिए कि सरकार शीघ्र चुनाव करवाने के विरुद्ध नहीं है और परिसीमन आयोग द्वारा अपना काम पूरा करने और मत-दाता सूचियां तैयार होने के बाद चुनाव करवाए जाएंगे।

गृह मंत्री, श्री उमाशंकर दीक्षित ने 24-6-74 को गुजरात सम्बन्धी विधान के लिए संसदीय सलाहकार समिति को सम्बोधित करते हुये, गुजरात के संसद सदस्यों को आश्वासन दिया था सरकार का विचार गुजरात विधान सभा के चुनावों को स्थगित करने का नहीं है। उन्होंने कहा था कि विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूर्ण होते ही वहां चुनाव करवा दिये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव मौनसून में नहीं करवाये जा सकते, यह वर्ष 1974 में कहा गया था।

गुजरात बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री गणेश ने 23 जुलाई, 1974 को सदन को यही बात दोहराते हुए कहा था कि परिसीमन कार्य पूर्ण होते ही चुनाव करवा दिये जायेंगे। इसके बाद 6 अगस्त, 1974 को मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 238 का उत्तर देते हुये, विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री श्री गोखले ने पुनः यही बात दोहराई कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है इसके पूर्ण होने पर तथा साथ ही नई पुनरीक्षित मतदाता सूचियों के बन जाने पर वहां चुनाव कराने के बारे में विचार किया जायेगा। इसी बात की पुनरावृत्ति 7 सितम्बर, 1974 को गुजरात में राष्ट्रपति का शासन लागू करने सम्बन्धी चर्चा के समय श्री राम

निवास मिर्धा द्वारा की गई। उस समय कभी किसी ने यह नहीं कहा था कि सूखे के कारण वहां चुनाव नहीं करवाये जा सकते। यह सब कुछ तो केवल अपने दल को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।

मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि गुजरात राज्य के कर्मचारियों की एसोसिएशन ने यह घोषित किया है कि वह सूखे सम्बन्धी राहत कार्यों के साथ-साथ चुनाव सम्बन्धी कार्य करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने राज्य को लोकतन्त्र विरोधी कार्यों से बचाने के लिए जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। 27 फरवरी, 1975 को हुई चर्चा में श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि भूख से मरने से तो अच्छा यही है कि लोग सरकार के साथ लड़ कर मरें। गुजरात के लोगों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने काफी भूमिका बना ली है। अब आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह सच नहीं है कि आठ महीने पूर्व श्री गोखले, श्री मिर्धा तथा श्री गणेश ने विभिन्न अवसरों पर सदन को यह आश्वासन दिया था कि चुनाव क्षेत्र परिसीमन कार्य तथा मतदाता सूचियों सम्बन्धी कार्य के पूरा होते ही गुजरात विधान सभा के चुनाव करवा दिये जायेंगे ? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिये गये थे तथा उनकी नियुक्तियां राजपत्र में प्रकाशित हो गई थी ? क्या यह भी सच नहीं है कि वर्ष 1967 में बिहार विधान सभा के चुनाव सूखे तथा अकाल के दौरान ही करवाये गये थे ? क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार चुनावों के बारे में निर्णय कर ले तो वह उनके लिए पूर्णतया तैयार है ? क्या यह भी सच है कि श्री मोरारजी भाई ने अपना अनशन आरम्भ करने से पूर्व प्रधान मंत्री के साथ हुई बातचीत में यह सभी तथ्य उनके समक्ष रखे थे तथा वह इनका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाई थीं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : श्री मोरारजी देसाई का जीवन हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बहुमूल्य है तथा उसे हम केवलमात्र एक व्यक्ति का जीवन ही नहीं समझ रहे हैं। वर्ष 1967 में बिहार में क्या हुआ, अभी मैं उसके बारे तो कुछ नहीं बता सकता.....

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्यों ? क्या उस समय इन्होंने राजनीतिक जीवन में पदार्पण नहीं किया था ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्री मोरारजी देसाई की प्रधान मंत्री के साथ जो बातचीत हुई थी उस समय मैं भी वहां उपस्थित था तथा उस समय केरल में श्री कृष्ण मेनन की मृत्यु के कारण हुये उप-चुनाव का उल्लेख भी आया था....

एक माननीय सदस्य : वहां कोई अकाल नहीं है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव स्थगित कर दिये जायें। हमने इसमें कुछ नहीं कहा है। दिल्ली से इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : पाण्डिचेरी में क्या हुआ ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : समुद्र में काफी ज्वार-भाटा आया हुआ है सम्भवतः इसीलिए केरल का उप-चुनाव स्थगित कर दिया गया है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : पाण्डिचेरी के बारे में सम्भवतः आपको मालूम नहीं है, वह बहुत छोटा सा क्षेत्र है और वहां पर गम्भीर सूखे की स्थिति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को अनेक बार यह सलाह दी है कि वह अपना ध्यान मुख्य प्रश्न पर ही केन्द्रित रखा करें । ऐसा करने से उनका तथा मेरा काम काफी आसान हो जायेगा । वह फिर इधर-उधर के प्रश्नों का उत्तर देने में लग जाते हैं । श्री मेहता ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने प्रश्न पूछे हैं । यदि वह उनके प्रश्न नोट नहीं कर पाये हैं तो मैं उनकी ओर से उन्हें फिर से पढ़ देता हूं । वह कृपया प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आपके सुझाव के लिए मैं आपका आभारी हूं । श्री मोरारजी देसाई ने प्रधान मंत्री के साथ जब बातचीत की थी तो उस समय केरल तथा पाण्डिचेरी का प्रश्न भी आया था, इसीलिए मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा था ।

जहां तक आश्वासनों का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आश्वासन चाहे कुछ भी क्यों न रहे हों वहां की वास्तविक स्थिति की दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता । वहां का राहत कार्य अस्त-व्यस्त हो जायेगा क्योंकि अधिकांश कर्मचारी इस कार्य में लगे हुये हैं ।

श्री पी० एम० मेहता : मैंने पूछा था कि क्या यह सच है कि निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई थी ? आप इसका उत्तर दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदयः वह इसका उत्तर नहीं देना चाहते ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : वह उत्तर क्यों नहीं देना चाहते । नियमों में यह बात पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा जाये तो उन्हें उत्तर देना ही पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रयत्न कर लीजिये, मैं उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकता. . . . (**व्यवधान**)

श्री पी० एम ० मेहता : मेरा दूसरा प्रश्न था . . .

उपाध्यक्ष महोदय : उसका उल्लेख उन्होंने कर दिया है । उन्होंने जो उत्तर दे दिया है उसी से आप निष्कर्ष निकाल लीजिए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप उनसे यह पूछिये कि वह प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस समय मेरे पास अपेक्षित जानकारी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जाता है तो उन्हें नियमों के अन्तर्गत स्पष्टरूप से उसका उत्तर देना चाहिये । परन्तु यदि मंत्री महोदय के पास आंकड़े ही न हों, तो मैं उन्हें उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता । बी० वी० नायक ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं समझता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उद्देश्य मंत्री महोदय का ध्यान विषय विशेष की ओर आकर्षित करना ही होता है । आज जिस स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्द समाज में हम विचरण कर रहे हैं, उसकी मान्य परिपाटी के अनुसार अपना अनशन समाप्त करने का पूर्ण अधिकार तो स्वयं मोरारजी देसाई को ही है । सदन उन्हें अपना 'अनशन' समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर

सकता क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रश्न है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में हम मंत्री महोदय से यही आशा कर सकते है। हमें इसके बारे में अपनी तथा लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में अधिकाधिक बतायें।

श्री मोरारजी देसाई के अनशन के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया का अन्दाजा आज के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित श्री बी० सी० गुजराती के लेख से लगाया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री देसाई का अनशन सामयिक नहीं है। उसी प्रकार एक अन्य समाचार पत्र में भी इसी आशय का कार्टून छपा है कि अब जब की गुजरात को सूखा राहत प्रभावी कार्यक्रम की आवश्यकता है तो उसे चुनावों में उलझाने में क्या बुद्धिमता है ? इतना ही नहीं श्री मोरारजी देसाई ने स्वयं अपनी आत्म कथा में 'अनशन' तथा 'हिंसा' की निंदा की है तथा किसी बात को मनवाने के लिए अनशन जैसे शस्त्र का उपयोग करना उन्होंने उचित नहीं माना है। अतः इन सभी तथ्यों के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन मतैक्य से एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर श्री मोरारजी देसाई से अपना अनशन समाप्त करने का अनुरोध करेगा ? क्या यह सत्य है कि जामनगर में किसी राजनीतिक दल के संयोजक ने यह धमकी दी है कि यदि मोरारजी देसाई को चुनाव न करवाने दिये गये तो विधान सभा सदस्यों का जीवन खतरे में पड़ जायेगा ? तीसरे क्या श्री मोरारजी देसाई के अनशन तथा चुनाव सम्बन्धी स्थिति के बारे में किसी प्रकार का बीच का रास्ता, बातचीत द्वारा नहीं निकाला जा सकता ? क्या सरकार कोई इस प्रकार का विधान प्रस्तुत करने के बारे में भी विचार कर रही है जिससे कि 'अनशन' के हथियार को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त न किया जा सके।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह ठीक है कि श्री मोरारजी देसाई की आत्मकथा की ओर मेरा ध्यान भी आकर्षित किया गया था परन्तु मैं इस मामले में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। जहां तक चुनाव सम्बन्धी घोषणा से पूर्व अनशन तोड़ने का प्रश्न है उसके बारे में प्रधान मंत्री तथा श्री मोरारजी देसाई के पत्र देखने से यह स्पष्ट हो जाता है। श्री देसाई मई माह के अन्त से पहले ही चुनाव करवाने के लिए अड़े हुए हैं।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : I think, my friend, Shri Reddy has not got the approval of the Prime Minister for the statement which he has made as P.M. is out of Delhi. But in view of the hue and cry raised by opposition he has added something about the Government's approach to it

Mr. Deputy Speaker, Sir, my submissions is that J.P.'s agitation is going on in the country for the last so many months but Government is coming out with the allegation that the opposition is creating an atmosphere of violence and fascism in the country. May I know from the Minister as to how does a fast can be regarded a violant activity ? I want to make it clear that it is due to the weapons of non-violence and civil disobedience that the ruling party is ruling the country. The chief demands of Shri Desai and that firstly, he wants elections to all the vacancies of Parliament, State Assembly, Municipal Committees and village Panchayats. Secondly, he wants that the present state of Emergency should be put to an end.

In the opening sentence of his letter to the Prime Minister, Shri Morarji Desai has stated that he has decided to go on indefinite fast from the 7th April, 1975 at his residence in New Delhi. For restoring the people's right of electing their representatives before the end of May, 1975 and ending of the state of Emergency in the country and thus stopping the accelerated process of negation democracy.

The Home Minister has stated many times that emergency powers would not be used against the opposition. But our experience of past 27 years shows that the Government have used much weapons indiscriminately.

Government are not in favour of a democratic set up in the country. They are heading towards dictatorship. They want to usurp all the powers and want the country to be ruled by Army. They would utilise the Armed forces for crushing the opposition. If some opposition leader says that Army men should not obey such unreasonable orders of the Government, they say that he is instigating the Military officers.

The people of Gujarat have been very unfortunate. Gujarat M.L.As were not given the right to vote in the Presidential election. Last time in Lok Sabha, when Government sought permission for extension of President's rule in Gujarat, the opposition leaders demanded that the recommendation of Governor of Gujarat should be obtained before extending the President's rule there. But the Home Minister said that it was not necessary. In this way, the President's rule was extended arbitrarily in Gujarat. Therefore, elections should be held in Gujarat immediately and the emergency lifted.

In 1966, the Hon'ble Minister had stated in Lok Sabha that if 25 to 30 per cent of the crop is damaged in a particular area, that area would be declared a scarcity-hit area and if 75 per cent of crop is damaged, the area would be declared a famine-affected area. We would like to know the areas which have been declared drought-affected, scarcity-affected and famine-affected, separately in Gujarat.

In an advertisement in today's newspaper, Government have stated that 4836 relief works have been undertaken in Gujarat and only 7,65,531 workers are engaged on them. But Hon'ble Minister has stated in the House that about 10 lakh workers are engagaed on them. The Hon'ble Minister should furnish correct information in this egard.

They have stated that Rs. 33.23 crores have been spent on relief works this year whereas during the last year, a sum of Rs. 95 crores was spent in Gujarat. This year, the situation is more critical and therefore, more funds should have been spent for the purpose.

In the end, I would request the Government to take steps to save the life of Shri Morarji R. Desai.

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार ने कितने क्षेत्रों को अकालग्रस्त और कितने क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : 19 में से 16 जिले सूखे से प्रभावित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : हम उन क्षेत्रों को भी जहां भयंकर रूप से सूखा पड़ता है, अकालग्रस्त क्षेत्र नहीं कहते।

उपाध्यक्ष महोदय : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में दृश्य-श्रव्य-प्रचार निदेशालय के एक विज्ञापन में कहा गया है कि गुजरात में अकाल पड़ रहा है। यह एक सरकारी विभाग है, इसलिए सदस्य यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या गुजरात के किसी भाग में अकाल की स्थिति है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यदि उस विभाग में "अकाल" शब्द का प्रयोग किया है तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि सरकार 'अकाल' शब्द का प्रयोग नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह शब्द अस्तित्व में नहीं है। सरकार के एक विभाग ने 'अकाल' शब्द का प्रयोग किया है ।

इसका एक निश्चित अर्थ है। अकाल की स्थिति में सरकार को एक निश्चित कार्यवाही करनी होती है और यदि सरकार वह कार्यवाही नहीं करती तो यह एक चिन्ता का विषय है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : विरोधी पक्ष ने कहा है कि गुजरात में सूखे और अभाव की गम्भीर स्थिति है। सरकारी विभाग के विज्ञापन में 'अकाल' शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां सूखे की गम्भीर स्थिति है। वास्तविकता यह है कि गुजरात में सूखे की गम्भीर स्थिति है, विपक्षी दलों के लोग चाहे इसे अकाल कहें या सरकारी विभाग में विज्ञापन में इसे अकाल कहा जाये या माननीय मंत्री इसे सूखे की गम्भीर स्थिति कहें। सचाई यह है कि वहां पर सूखे की स्थिति है। किन्तु यह ध्यानाकर्षण तो श्री मोरारजी आर० देसाई के उपवास से सम्बन्धित है। वे लोग शब्दजाल में फंस रहे हैं। और श्री मोरारजी भाई के उपवास के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं।

Shri Jameshwar Mishra : In this letter, Shri Morarji R. Desai has demanded for the lifting of Emergency.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आपात् स्थिति के बारे में सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और हम समय-समय पर स्थिति पर विचार करते रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमें आपात् स्थिति बनाये रखनी पड़ेगी। हाल के वर्षों में आपात् स्थिति के उपबन्धों का, जमाखोरों, मुनाफाखोरों और चोर-बाजारियों जैसे समाज विरोधी तत्वों से निपटने के लिये किया गया है। हमने इन उपबन्धों का प्रयोग तस्करों की निवारक नजरबन्दी में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोकने के लिये किया है। हमने किसी अपने नागरिकों को किसी अन्य मामले में न्यायालय में जाने से नहीं रोका।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण श्री मोरारजी देसाई के उपवास और गुजरात में शीघ्र चुनाव की मांग से सम्बन्धित है, आपात् स्थिति से नहीं।

श्री सेझियान : यह मोरारजी देसाई के उपवास से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिये है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह गुजरात चुनाव के बारे में है।

श्री वयालार रवि : उपाध्यक्ष महोदय का वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री महोदय दूसरों का तैयार किया हुआ वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे कहने का तात्पर्य था कि मंत्री महोदय तैयार वक्तव्य पढ़ रहे थे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हमने श्री मोरारजी देसाई के अनिश्चित काल तक अनशन करने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देते समय यह नहीं जानते थे कि वह अपना भाषण दे रहे हैं अथवा सरकार का ब्यान पढ़ रहे हैं।

हमारे दबाव एवं अध्यक्षपीठ के आग्रह पर ही मंत्री महोदय ने संशोधन किया।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघरामैया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने "सरकार की ओर से भी" पढ़ना था परन्तु व्यवधानों एवं व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाने के कारण उक्त शब्द सुने नहीं जा सके।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह लिखित वक्तव्य है। यह गलत बात है। आप उनका संरक्षण नहीं कर सकते।

श्री के० रघुरामैया : मंत्री महोदय ने सभा में आते ही मुझसे पूछा था कि क्या वह शब्द जोड़ सकते हैं ? मैंने उत्तर दिया कि अध्यक्षपीठ की अनुमति से अवश्य जोड़ सकते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : उन्होंने 'मैं' के स्थान पर 'हम' क्यों नहीं बोला।

हम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से कतई संतुष्ट नहीं हैं। श्री मोरारजी का अनशन आज चौथे दिन में है और उससे स्थिति गम्भीर हो गई है। वह 28 या 48 वर्ष के युवा नहीं हैं, वह 80 वर्ष के हैं। उनका वजन 11 पौंड घट गया है। जनता वहां पर अनैतिक भ्रष्ट शासन को एक मिनट के लिये भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति का शासन सदा के लिये नहीं है।

श्री मोरारजी भाई के अनशन से असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। सरकार पर अविश्वास के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। न केवल गुजरात अपितु समग्र देश के लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ गया है।. मंत्री के वक्तव्य में बचते हुए उत्तर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सितम्बर में मानसून के बाद निर्वाचन कराया जायेगा। बाद में वह नवम्बर और फिर फरवरी में कर देंगे।

मेरा मत है इस प्रकार दलीय उद्देश्यों के लिये निर्वाचनों को टाला जा रहा है। उन्होंने यह जताने की चेष्टा की है कि श्री मोरारजी का अनशन से बहुत से व्यक्तियों की अकाल की स्थिति अधिक महत्व रखती है। गुजरात के राज्यपाल तथा गुजरात के प्रशासन फरवरी-मार्च 1975 को चुनाव कराने की स्थिति में हैं। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि चुनाव क्यों नहीं कराया गया क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने भी यह विचार व्यक्त किया था कि चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गुजरात प्रशासन उस समय राहत कार्यों में संलग्न था ? मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री कट्टर रुख अपनाये हुए हैं।

श्री देसाई पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कट्टर रुख अपनाया है। मेरा कहना है दूसरी ओर सरकार ने भी कट्टर रुख अपनाया है। 1967 में बिहार में निर्वाचन हुए थे जबकि वहां पर 100 वर्ष से अकाल की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात में आपने अकाल की स्थिति में चुनाव कराये थे।

प्रश्न यह है कि श्री मोरारजी जैसे व्यक्ति को अनिश्चित काल के अनशन का सहारा लेना पड़ा। अनशन के अलावा इसमें सिद्धांतों का मामला अन्तर्निहित है तथा प्रजातान्त्रिक सरकारों का भविष्य निर्भर करता है।

यदि आप निर्वाचन को अकाल की स्थिति के नाम पर महीने दर महीने टालते जायेंगे तो क्या अभाव और अकाल की स्थिति में परिवर्तन आ सकेगा। श्री देसाई का तथा हम सभी का मत है कि ऐसी आपात स्थिति का सामना लोकप्रिय सरकार ही भली प्रकार कर सकती है।

सरकार को सहसा यह सूखे की स्थिति का बहाना कैसे सूझा ? मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है "कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें जनता की देखभाल करनी पड़ती है।" यह तो सरकार का प्रथम कर्तव्य है, यह दुर्भाग्यपूर्ण कैसे कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भूल से कहा गया है।

श्री पी० जी० मावलंकर : उनकी वास्तविक कठिनाई यह है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की स्थिति शोचनीय है। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों ने वक्तव्य दिया है कि वे कमी वाले क्षेत्रों में राहत कार्यों तथा चुनाव कार्य करने में सक्षम हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब गुजरात को बहुत महत्व देने लगा है। राज्य को अधिक अनुदान दिये गये हैं। गुजरात के संसद सदस्यों पर कांग्रेस अध्यक्ष के दबाव से उस अपील पर हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसका मसौदा प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। यदि ये संसद सदस्य इस प्रकार कार्य करते हैं तब वे जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व कैसे निभायेंगे।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 48 घंटों में श्री आई० के० गुजराल ने गुजरात के संसद सदस्यों की दो बैठकें बुलायी थीं ?

आज सरकार रेडियो, टेलिविजन और समाचार पत्रों का अधिकतम उपयोग मोरार जी के अनशन के विरुद्ध कर रही है यदि कहीं अनशन के कारण मोरारजी को कुछ हो गया तो पूरे देश में विशेषकर गुजरात में अराजकता फैल जाएगी। मैं प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम से अपील करता हूं कि वे विवेक से कार्य लें और संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण को त्याग दें।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं श्री मावलंकर को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का शासन सदा नहीं रहेगा। प्रधान मंत्री ने स्वयं श्री मोरारजी को लिखे अपने पत्र में सितम्बर में चुनाव प्रक्रिया आरम्भ कराने की बात कही है। इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। . . . **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सरकार का कर्तव्य है संविधान का पूरी तरह उल्लंघन करना। सरकार अब तक क्या करती रही है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार की ओर से ज्यादती की गई है। परन्तु ऐसा है नहीं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा उनसे यही प्रश्न है कि क्या वह मई में चुनाव करायेंगे। **(व्यवधान)**

(कुछ माननीय सदस्य : सदन से उठ कर चले गये)

(Some hon. members at this stage left the House)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मई में निर्वाचन कराया जायेगा या श्री देसाई को जान देनी पड़ेगी ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी दुःखद घटना का कारण नहीं बनना चाहता। मैं नहीं समझता कि आप भी इसे इसी रूप में लेते हैं। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री द्वारा असंतोषजनक उत्तर के कारण, मैं सभा त्यागता हूं।

(श्री वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठ कर चले गए)

Shri Vajpayee and some other hon. members then left the House)

सभा के कार्य के बारे में

Re : Bussiness of the House

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा सुझाव है कि कृषि मंत्रालय की मांगों पर 3 घंटे का समय दिया जाये। 2 घंटे वाद-विवाद के लिए तथा 1 घंटा मंत्री महोदय के उत्तर देने के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस पर सहमत है।

माननीय सदस्य : जी हां।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1975/21 चैत्र, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, 11 April, 1975 Chaitra 21, 1897 (Saka)

MGIPRRND—20 LSS/75—Sec. IInd (Day)—25-8-75—200